खण्ड-240, अंक-4
गुरूवार, 23 फाल्गुन, शक संवत् 1884
(14 मार्च, 1963 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 240 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	३११–३१४
प्रश्नोत्तर	३१५–३४६
उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन) नियमावली, १९६० में प्रख्यापित संशोधन (सदन की मेज पर रखे गये)	३४६–३४७
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन (सदन की मेज पर रखे गये)	३४७
प्रदेश के कुछ जिलों में उपलवृष्टि तथा वर्षा से क्षति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं—	३४७
श्री हरिनन्दनशरण भटनागर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य सिविल सूट के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा विधान सभा सचिवालय के लेखों की मांग (विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट)	३४८
विशेषाधिकार का प्रश्न	३४८
१९६३–६४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २५—नियोजन और एकीकरण (स्वीकृत)	३४८–३९३
नन्थियां	३९४–४०६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार १४ मार्च, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३२८

अजीज इमाम, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अब्दुल सत्तार, श्री
अब्दुल हबीब खां, चौधरी
अयोध्या प्रसाद, श्री
अवधनारायण प्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० सी० दत्त, श्री
एच० सी० ग्राइस, श्री
कंवईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कलावती मिश्रा, श्रीमती
कल्पनासिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्यानराय, श्री
काशीनाथ बहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुलतारसिंह, श्री
गौरादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री

चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्मेश्वरी प्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वर प्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम , श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल, श्री
प्रेमसिंह श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलबीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री

बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसिंह य, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भोखालाल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महाबीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मावोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुंदीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह श्री,
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जासवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रतीराल, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअवतार कौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअवध, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्यारे, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसुन्दर पांडेय, श्री

रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा श्री
विक्रमशाह, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुखेना कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री भी उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १४ मार्च, १९६३

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

देवरिया जिलाधीश को सुरक्षा कोष सम्बन्धी रसीदों के लिए आदेश

**१--श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बतायेगी कि देवरिया के जिलाधीश को सुरक्षा कोष एवं सोना वसूली के लिये सरकार की ओर से रसीदें छाप कर भेजी गई थीं या जिलाधीश को नम्बर और नमूना भेज दिया गया था छपवा लेने के लिये ? दोनों उद्देश्य के लिये यदि रसीदें भेजी गई तो किस-किस नम्बर से किस-किस नम्बर तक ? यदि नमूना और नम्बर भेजा गया तो किस-किस नम्बर से किस-किस नम्बर तक ? रसीदों के सम्बन्ध में जो आदेश भेजे गये क्या सरकार उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--

दोनों उद्देश्य से । छापकर १२ रसीद बुकें भेजी गयी थीं जिसके नम्बर ५२३ से ५३४ तक हैं । नमूने के लिये जो रसीद बुकें भेजी गयी थी उसमें एक अंग्रेजी तथा एक हिन्दी जिसके नम्बर क्रमशः बुक संख्या ३९--और रसीद संख्या ११,५०१ से ११,६०० हैं ।

रसीद संबंधी जो आदेश भेजे गये उसकी प्रतिलिपियां संलग्न हैं ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ.. ३९५-३९६ पर)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न ।]

पीलीभीत जिले में नरभक्षी शेरों का मारा जाना

*१--श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

क्या सरकार को यह पता है कि पीलीभीत जिले में नर भक्षी शेरों ने आतंक मचा रखा है ? यदि हां, तो ऐसे शेर कितने हैं और वे उस जिले में कितने आदमी मार चुके हैं ? उन्हें शिकार करने वालों को सरकार क्या सुविधा देगी ?

विद्युत उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)--

काफी समय हुआ पीलीभीत जिले में नर भक्षी दो शेरों का आतंक था । उनके द्वारा दो व्यक्ति मारे गये थे । जिलाधीश ने इन शेरों को नरभक्षी घोषित कर दिया था और उनके मारने के लिये दो-दो सौ रुपये का इनाम भी घोषित किया था। ये दोनों शेर अब मारे जा चुके हैं, एक शेर गत् जून और दूसरा गत दिसम्बर में मारा गया है ।

श्री सुरेन्द्रविक्रम--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अब कोई नरभक्षी शेर नहीं है तो क्या कोई कैटिल लिफ्टर है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

हमारे पास जो सूचना है वह तो इन्हीं दो शेरों के बारे में है और कोई सूचना इस समय नहीं है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि शेरों से जो व्यक्ति मारे गये उनके परिवार को कोई कम्पेंसेशन देने की व्यवस्था की गई है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ।

*२---श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---

[२१ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया ।]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न ।]

उद्योग सम्बन्धी अनुदानों व ऋणों का दुरुपयोग

*१---श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी) तथा श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी), श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़) तथा श्री कमला सिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह बात सही है कि सन् १९५६-५७ से १९६१-६२ तक उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों सम्बन्धी अनुदानों तथा ऋणों का दुरुपयोग हुआ है ? यदि हां, तो कितने धन का ?

लघु उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री वीरसेन)---

जी हां, सन् १९५६-५७ से १९६१-६२ तक वितरित धनराशि सम्बन्धी जो जांच अब तक हो चुकी है उसमें ४०,२१,७२६ रु० ऋण तथा ७,७६१.७२ रुपये अनुदान का दुरुपयोग प्रकाश में आया है ।

*२---श्री रामकिशोर त्रिपाठी, श्री मुकुटबिहारीलाल, श्री चंद्रजीत यादव तथा श्री श्री कमलासिंह यादव---

क्या यह बात सही है कि उद्योगों को दिये गये अनुदानों व ऋणों के उपयोग के सम्बन्ध में सरकार ने कोई छानबीन करायी है ? यदि हां, तो क्या सरकार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री वीरसेन---

जी हां, ऐसी जांच करायी गयी है जिसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३९७ पर)

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

इस बात को देखते हुये कि काफी बड़ी धनराशि का दुरुपयोग हुआ है तो सरकार अधिकारियों के विरुद्ध या जिन्होंने ऋण लिया है और दुरुपयोग किया है उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री वीरसेन---

यह दुरुपयोग सरकारी अधिकारियों ने नहीं किया है बल्कि ऋण लेने वालों ने किया है, उनसे वसूली की जा रही है ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---

ऊपर, आप देखें कि १,६३,४१,०८५ रुपये की जांच की गई जिसमें ४०,२१,००० रुपये का दुरुपयोग हुआ और २१,७५,००० रुपये का ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं हुआ, तो एक करोड़, डेढ़ करोड़ रुपये की धनराशि में से एक तिहाई से ज्यादा की धनराशि का दुरुपयोग हुआ और गलत इस्तेमाल हुआ । तो क्या मंत्री जी भविष्य में दुरुपयोग न हो इसको रोकने के लिये कोई व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

लघु उद्योग मंत्री (श्री फूलसिंह)---

यह प्रश्न बड़ा गम्भीर है । पहले जरूरत इस बात की थी कि ठीक पोजीशन मालूम हो जाय । रुपये के सही इस्तेमाल न होने के कई कारण हैं । मान लीजिये रुपया मिल जाय, लेकिन सामान न मिले तो बड़ी दिक्कत हो जाती है । इसके अलावा सामान भी है, रुपया भी है लेकिन मशीनरी नहीं है तो भी दिक्कत होती है । गवर्नमेंट आफ इंडिया से भी सामान के लिये बात की गई । माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि ऋण की दृष्टि से हमारी स्टेट सब से आगे है । लेकिन कच्चे माल की दृष्टि में कई स्टेट्स से पीछे है । इसलिये हमारी कोशिश यह है कि सामान मिले । यदि किसी आदमी को रुपया मिलने के बाद सामान न मिले या मशीन न मिले और वह रुपया दूसरे काम में इस्तेमाल कर लें तो हमारी दृष्टि में दुरुपयोग हुआ क्योंकि जिस काम के लिये रुपया दिया गया था, उसमें वह इस्तेमाल नहीं हुआ । इसलिये इन सारी बातों की जांच की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि आप कोई स्टेप्स ले रहे हैं ।

श्री फूलसिंह---

जहां तक व्यक्तियों का ताल्लुक है वह तो हमने शुरू कर दिया है । पहले हम इस बात की जांच करा लेना चाहते हैं कि ऋण देने वाले लोग उसको इस्तेमाल करने योग्य हैं या नहीं । फिर जांच होती रहे कि उनको क्या दिक्कत है ? जब पूरी जांच हो जायगी तो सारी चीजों पर गौर करेंगे कि कौन-कौन से स्टेप्स लेने चाहिये ।

श्री रामायणराय---

ऋण देते समय विभाग द्वारा पता लगा लिया जाता है कि जिस काम के लिये ऋण मांगा गया है उसका कोई भविष्य भी है और जो धनराशि मांगी गई है वह उस उद्योग के लिये काफी होगी ?

श्री वीरसेन---

जी हां, पहले देख लिया जाता है कि उस उद्योग का स्कोप है या नहीं और इतनी धनराशि दी जाती है जिससे उसका काम चल सके ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

मंत्री जी ने अभी कहा कि बहुत-सा रुपया ऐसा है जो सामान न मिलने के कारण खर्च नहीं हो सका। वह २१,७५,००० रुपये के करीब है, लेकिन ४० लाख रुपया ऐसा है जिसका दुरुपयोग हुआ है और मंत्री जी ने कानपुर में अपनी तकरीर में कहा था कि जिन लोगों ने रुपये का दुरुपयोग किया है उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का सरकार का विचार नहीं है । आयन्दा रुपया देते समय ध्यान रखा जायगा । इस रोशनी में मंत्री जी क्या विचार रखते हैं ?

श्री फूलसिंह---

जो स्टेप्स लिये हैं वह तो मैंने निवेदन कर दिया । जब जांच कम्पलीट हो जायगी तो हम सारे आफिसरों की मीटिंग करेंगे और कोई रास्ता निकालेंगे ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

इस बात को देखते हुये कि जांच १३८.१६ लाख रुपये की हुई है और दुरुपयोग ५७.१७ लाख रुपये का है और ५,७५९ पार्टीज की जांच हुई है औरों की जांच होना बाकी है । इसके अलावा कोयला, तांबा और जस्ते का भी काफी मात्रा में दुरुपयोग हुआ है, तो क्या मंत्री जी इन दोनों बातों पर गौर करेंगे ?

श्री फूलसिंह---

सामान की भी जांच हुई है और हो रही है और पार्टियों की भी जांच हुई है । सभी चीजों की जांच हो रही है ।

श्री रामायणराय—

क्या विभाग के पास ऐसी मशीनरी है जो उद्योग के प्रारम्भ में उसका सर्वेक्षण करती हो, क्योंकि मेरी जानकारी है कि साहू जैन फैक्ट्री को १ लाख ५० हजार रु० का ऋण दिया गया, लेकिन यह कहा जा रहा है कि यह फैक्ट्री घाटे पर चल रही है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इन उद्योगों की जांच के लिये कोई एजेन्सी है?

श्री फूलसिंह—

लघु उद्योगों की जांच के लिये एजेन्सी है हमारे पास।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

यह कहा गया है कि धन का दुरुपयोग अधिकारियों के द्वारा नहीं हुआ। मेरा कहना यह है कि धन का दुरुपयोग अधिकारियों और उद्योग चलाने वालों—दोनों की ओर से मिल कर हुआ है। तो भविष्य में इस प्रकार का दुरुपयोग न होने पाये, इस के लिये कौन-सी प्रणाली पर सरकार विचार कर रही है?

श्री फूलसिंह—

एक स्टैप हमने लिया है और वह यह कि जिन लोगों को ऋण दिया जाय या रा-मैटीरियल दिया जाय उनके नाम पत्रों में छापे जायं ताकि अगर लोगों को कोई आपत्ति हो तो वह कर सकें।

देवरिया जिले में अहस्तक्षेप्य अपराधों की रिपोर्टें

*३—श्री चन्द्रबलीसिंह (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के प्रत्येक थाने में १ जनवरी, १९६२ से १६ जनवरी, १९६३ तक कितनी-कितनी रपटें और गैर दस्तन्दाजी वारदातों की हुई हैं? उन रपटों में कितनों के खिलाफ कितनी-कितनी अनेक रपटें हैं और अनेक वारदात वाले व्यक्तियों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की गयी? यदि हां, तो वह क्या?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३९८ पर)

*४—श्री चन्द्रबलीसिंह (अनुपस्थित)—

क्या यह सच है कि पुलिस आयोग की रपट में गैर-दस्तन्दाजी वाले वारदातों पर चेक न होने का दस्तन्दाजी वारदातों का कारण बताया है? यदि हां, तो गैर-दस्तन्दाजी वारदातों को रोकने के लिये क्या सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो क्या?

चन्द्रभानु गुप्त—

कदाचित् माननीय सदस्य का मतलब पुलिस आयोग की रिपोर्ट के पैरा १३८ से है, जिसका तात्पर्य यह है कि जब किसी क्षेत्र में शान्ति और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने लगे तो सरकार को कुछ प्रकार के अहस्तक्षेप्य अपराधों को हस्तक्षेप्य अपराधों के रूप में घोषित करने का अधिकार होना चाहिये।

पुलिस आयोग की सिफारिशों के अनुसार दस्तन्दाजी वारदातों को रोकने के लिये थानों और चौकियों का पुनर्गठन प्रारम्भ कर दिया गया है। ऐड हाक (Ad-hoc basis) पर सिविल पुलिस में ३२५ सब-इन्स्पेक्टर, ३३९ हेड कांस्टेबिल और ४,००० कांस्टेबिल इस समय तक बढ़ा दिये गये हैं।

डी० एस० पी० कम्पलेंट्स, कानपुर को प्रार्थना-पत्र

*५—श्री शिवनार्थसिंह (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत डी० एस० पी० (कम्प्लेन्ट) को १ जनवरी, १९६२ से ३१ दिसम्बर, १९६२ तक भ्रष्टाचार सम्बन्धी कितनी दरख्वास्तें प्राप्त हुयीं, उन में कितने दरख्वास्तों की जांच हुई तथा कितनों के प्रार्थना-पत्र सही पाये गये तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

१ जनवरी, १९६२ से ३१ मई, १९६२ तक कानपुर जिले में डी० एस० पी० (कम्प्लेंट्स) को भ्रष्टाचार सम्बन्धी ३८ शिकायतें प्राप्त हुयीं। उनमें से २१ शिकायतों की पुष्टि की गई।

पुष्ट की गई शिकायतों में से ११ कर्मचारियों को विभागीय दण्ड दिया गया, ३ को मुक्त किया गया और ३ के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। शेष ४ शिकायतों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

१ जून, १९६२ से ३१ दिसम्बर, १९६२ तक की अवधि में प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

लखनऊ में रोशनी की कमी

*६—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर की सड़कों की बिजली की रोशनी कम कर देने के कारण नगर में गुन्डों और कुत्तों का उत्पात बढ़ने का समाचार उनके पास आया है ? यदि हां, तो उस पर सरकार कौन सी कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

लखनऊ नगर की सड़कों की बिजली की रोशनी कम कर देने पर नगर में गुन्डे और कुत्तों का उत्पात बढ़ने का कोई समाचार सरकार के पास नहीं आया है।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

पीपीगंज थाने की घटना के इन्दराज पर एतराज

*७—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के पीपीगंज थाने में जनवरी, १९६३ के अन्तिम सप्ताह में कोई डकैती हुई है जिसमें काफी लोगों को चोटें आयी हैं ? यदि हां, तो एक विस्तृत रपट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

गृह उपमन्त्री (श्री नवलकिशोर)—

थाना पीपीगंज, जिला गोरखपुर में दिनांक २९-१-६३ को एक सूचना प्राप्त हुई जिस पर धारा ३९५ भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत मामला दर्ज हुआ, परन्तु जांच करने पर यह मामला धारा १४७, १४८, १४९, ३२३ भारतीय दण्ड विधान का पाया गया। घटना का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३९९ पर)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

जब एफ० आई० आर० धारा ३९५ के अन्तर्गत लिखी गयी तो फिर थानाध्यक्ष ने दूसरी धाराओं में उसे क्यों बदल दिया और क्या इसका असर मुकदमें पर पड़ेगा ?

श्री अध्यक्ष—

इन धाराओं का कोई महत्व नहीं होता, आप कोई और बात पूछिये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

श्रीमन्, उक्त डकैती में बहुत से लोगों के चोटें आई हैं। बहुत से लोग अस्पताल में भर्ती भी किये गये हैं, लेकिन वक्तव्य में कहा गया है कि मामूली चोटें आई हैं, तो यह मालूम होने का स्रोत क्या है ?

श्री नवलकिशोर—

चोटें मामूली हैं या संगीन, इसको तो डाक्टर तय करता है। क्योंकि कोई सामान आदि चोरी नहीं गया, चोटें ही आई हैं, इसलिये इन धाराओं के अन्दर मुकदमा बदल दिया गया।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

जिस वक्त रिपोर्ट दर्ज की जाती है उस वक्त धारा थाने वाले खुद लिखते हैं। उस वक्त रिपोर्ट धारा ३९५ में दर्ज की गयी। उसके बाद जांच होने के बाद उसको बदल दिया गया। तो पहले धारा जो लिखी गयी उसका क्या कारण था और फिर उसे बदलने का क्या कारण था ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने यह जवाब दिया है कि रिपोर्ट को देखते हुए ३९५ में दर्ज किया गया और उसके बाद जांच के फलस्वरूप बदला गया।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

जब रिपोर्ट में ३९५ बनी और कोई प्रापर्टी या जेवरात की लूट हुई और उसके बाद वह साबित नहीं हुई, तो क्या सरकार इस मामले को १८२ में चलाने पर विचार करेगी ?

श्री नवलकिशोर—

जो दफायें मने पढ़ीं उनके अन्तर्गत तफतीश चल रही है। ६ आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं और बाकी की गिरफ्तारी का इन्तजाम किया जा रहा है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

यह देखते हुए कि वहां के लोगों ने पुलिस कप्तान के पास शिकायत की है कि बाद में सेक्शन बदल दिया गया ताकि मुकदमा कमजोर हो जाय, तो क्या इसकी जांच करावेंगे और उचित कार्यवाही करेंगे कि मुकदमा ३९५ का ही चले ?

श्री नवलकिशोर—

मेरी दिक्कत यह है कि पांडेय जी बहुत सी बातों को मानकर चलते हैं। मुझे शिकायत की सूचना नहीं है। कोई सामान चोरी नहीं गया, इस पर हम बिल्कुल डेफीनिट हैं। एस० पी० को शिकायत की है तो वह जांच करेंगे।

श्री रामायणराय—

जांच करने वाले पुलिस अधिकारी ने थाने पर बैठे-बैठे जांच की, जिला हेडक्वार्टर से जांच की या घटनास्थल पर वह तशरीफ ले गये थे ?

श्री नवलकिशोर—

रिपोर्ट से स्पष्ट है कि थानाध्यक्ष घटनास्थल पर गये और वहां जांच की।

बिजनौर जिले में गन्ना क्रशर्स के लाइसेंस न मिलने की शिकायत

*८—श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६२ में केन कमिश्नर साहब के यहां से लाइसेन्स फीस जमा होने पर भी दिसम्बर के अन्त तक लाइसेन्स रिन्यू किन कारणों से नहीं हुए ?

श्रम मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

गन्ना आयुक्त के कार्यालय में लाइसेंस के प्रार्थना-पत्र क्षेत्रीय खांडसारी अधिकारी द्वारा प्राप्त होते हैं। प्रार्थना-पत्र देने व उस पर निर्णय करने में लगभग १ मास लगता है। जो प्रार्थना-पत्र समय से प्राप्त हो गये थे उनको दिसम्बर मास के भीतर रिन्यू कर दिया गया था।

*९—श्री श्रीराम—

क्या गन्ना विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे क्रशर बिजनौर जिले में जिनकी फीस जमा करा ली गयी थी और वह गत वर्ष भी चल रहे थे, इन्स्पेक्टर द्वारा सील किया गया है ? लाइसेंस रिन्यू किन कारणों से नहीं हुए और देर से सील होने के बाद रन्यू किये गये, तो इसमें भूल केन कमिश्नर कार्यालय की है या क्रशर के मालिक की है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

उत्तर प्रदेश शक्कर निर्माताओं को लाइसेंस देने की आज्ञा, १९६० तथा उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर), अधिनियम, के अन्तर्गत बिना लाइसेंस प्राप्त किये कोई भी क्रशर पुराना होने पर भी नहीं चलाया जा सकता। इसकी सूचना प्रेस नोट द्वारा अगस्त, १९६२ ही में दे दी गयी थी। इसके बावजूद भी कुछ व्यक्तियों ने प्रार्थना पत्र देने में विलम्ब किया तथा बिना लाइसेंस प्राप्त किये ही क्रशर चालू कर दिये।

इस अवैधानिक कार्य को रोकने के लिये ऐसे क्रशरों को सील (Seal) कर दिया गया। केवल फीस जमा करने और प्रार्थना-पत्र देने से क्रशर चलाने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता।

*१०—श्री श्रीराम—

क्या गन्ना विकास मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय या इस समय से पूर्व कितने क्रशर सील तोड़ कर चलाये जा रहे हैं या चल रहे थे?

श्री बंशीधर पांडेय—

बिजनौर जिले में कुल ७९ इकाइयों को सील (Seal) किया गया जिनमें से १९ इकाइयों को लाइसेंस रिन्यू कर दिये गये और १० इकाइयां उच्च न्यायालय के स्टे आर्डर्स (Stay orders) के आधार पर चलीं। शेष ५० इकाइयां जिन्होंने सील तोड़ ली थी उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

श्री श्रीराम—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यह प्रेस नोट जारी करने के अलावा कोई अलग आर्डर भी क्रशर के मालिकों को इन्स्पेक्टर द्वारा भिजवाया?

श्री बंशीधर पांडेय—

खांडसारी स्टाफ के लोग जो थे उनको सबको उसकी हिदायत दे दी गई।

श्री श्रीराम—

लोगों से लाइसेंस रिन्यू करने की फीस जमा करा ली गई और उन्हें यह विश्वास हो गया कि उनके क्रशर चलेंगे, लेकिन चलने से लाखों मन गन्ना सूखा और उसका शीरा भी नहीं बन सका, तो उसका क्या होगा?

श्री बंशीधर पांडेय—

ऐसी बात नहीं है। लाइसेंस फीस जमा करने से यह नहीं मान लेना चाहिये कि लाइसेंस मिल ही जायगा।

श्री श्रीराम—

क्रशरों के मालिक जब लाइसेंस रिन्यू कराने के लिये आये तो केन कमिश्नर साहब ने अपने सम्बन्धित क्लर्क से पूछा कि ये क्यों नहीं रिन्यू हुए, तो क्लर्क ने कहा कि एक हफ्ते में चले जायेंगे और फिर बाहर निकल कर चुटकी बजाकर कहा कल ही ले जा सकते हो? क्या यह सही है?

श्री बंशीधर पांडेय—

ऐसी सूचना नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या ये क्रशर के लाइसेंस इसलिये नहीं दिये गये कि मिल मालिकों ने शिकायत की थी कि उनकी फैक्ट्री जोन में बहुत से क्रशर चलने से गन्ना कम मिल रहा है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

यह सही है कि केन्द्रीय सरकार की ओर से इस वर्ष के लिये आदेश थे कि अधिक चीनी पैदा करने के लिये जरूरी है कि क्रशर इत्यादि के लाइसेंस न दिये जावें। लेकिन प्रदेशीय सरकार ने इसपर विचार किया और जिन लोगोंने पिछले वर्ष क्रशर चलाये थे अधिकांशतः उन्हें क्रशर चलाने की आज्ञा दी गई।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

यह देखते हुए कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के गुड़ व खांडसारी के निर्धारित लक्ष्य क्रशरों के लाइसेंसेज न देने से पूरे नहीं होंगे, तो क्या जो लोग लाइसेंस न देने के जिम्मेदार हैं, सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

लक्ष्य तो सबसे बड़ा रखा गया है शुगर पैदा करने का। उसे पूरा करने की आवश्यकता इसलिये और भी हो गयी है कि विदेशी बाजारों में शुगर की कीमतें बढ़ गयी हैं। अब तक जो शुगर विदेशों में जाती थी उसमें केन्द्रीय सरकार को काफी रुपया देना पड़ता था, लेकिन अब जो परिस्थिति है उसमें केन्द्रीय सरकार को रुपया नहीं देना पड़ेगा और बाहर के बाजारों में काफी शुगर बेची जा सकेगी और काफी विदेशी मुद्रा कमाई जा सकेगी और जो आज हमारे यहां विदेशी मुद्रा की कमी है वह काफी हद तक पूरी की जा सकेगी शुगर की बिक्री से। इसीलिये केन्द्रीय सरकार का ध्यान अधिक शुगर की पैदावार की ओर गया है और इसीलिये वह प्रदेशीय सरकार का ध्यान भी इस ओर दिला रही है। यदि विदेशी बाजार में इसी प्रकार शुगर की कीमतें रहीं तो अवश्य उसके लिये प्रयत्न किया जायगा।

कुमारी श्रद्धादेवी (जिला मेरठ)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार के द्वारा इस प्रकार के आदेश आने के बाद क्या उन लोगों को भी लाइसेंस नहीं दिये गये जिन्होंने गतवर्ष उसकी फीस दाखिल की थी और गतवर्ष जिन्होंने क्रशर चलाये थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इस विषय में मुझे व्योरे की तो जानकारी नहीं है यदि प्रश्नकर्त्री महोदया इस ओर किसी खास विषय में मेरा ध्यान आकर्षित करेंगी तो उसके बारे में मैं कुछ जानकारी करा सकूंगा।

श्री रामायणराय—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी को यह ज्ञात है कि हमारे राज्य में जो चीनी मिलें लगी हुई हैं वे हमारे राज्य में उत्पादित कुल गन्ने का केवल एक-चौथाई गन्ना ही पेरती हैं, ऐसी स्थिति में रिजर्व एरिया के बाहर जो गन्ना उत्पादित होता है, उस क्षेत्र में क्रशर्स के लाइसेंस उदारतापूर्वक देने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जैसा मैंने अभी बताया केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अनुसार इस वर्ष हमारा यह दृष्टिकोण है कि शुगर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पैदा की जाय और शुगर अधिक से अधिक मात्रा में पैदा करने के लिये यह आवश्यक है कि मिलों को अधिक मात्रा में गन्ना दिया जाय। इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर मुख्यतः हमने कार्यवाही की है।

कुमारी श्रद्धादेवी—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि पिछले वर्ष जिन लोगों को लोन्स देकर क्रशर लगाने की आज्ञा उन्होंने दी थी और प्रोत्साहित किया था और जिन्होंने पिछले वर्ष क्रशर चलाया था, बिजली वगैरह के बिल इसके सबूत हैं, तो क्या ऐसे लोगों की सूची बनाकर मुख्य मन्त्री जी उनको लाइसेंस देने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जैसा मैंने अभी बताया कि पिछले वर्ष जिन लोगों को लाइसेंस दिये गये थे उनको अधिकांशतः इस साल भी लाइसेंस दे दिये गये हैं। यदि माननीय सदस्या किसी खास केस के बारे में मेरा ध्यान आकर्षित करेंगीं तो उसके बारे में सूचना दी जा सकेगी।

श्री चन्द्रजीत यादव—

अभी माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बताया कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी का दाम बढ़ गया है और इसलिये सरकार गन्ने के अधिक उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन पिछले ४–५ वर्षों से केन्द्रीय सरकार की यह नीति थी कि गन्ने के उत्पादन को हतोत्साहित किया जाय

क्योंकि गन्ने के ज्यादा पैदा होने से अन्न की पैदावार कम हो रही है और इस साल उत्तर प्रदेश और बिहार में गन्ना कम पैदा हुआ है, जैसा कि केन्द्रीय सरकार की रिपोर्ट से ही पता चलता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने अपनी पिछली नीति को छोड़ दिया है? और क्या सरकार ने गन्ने के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये कोई योजना बनायी है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां, इस वर्ष योजना बनायी है और बजट में भी इस योजना का एक अंश है और वह इस प्रकार से किया गया है कि अधिक गन्ने के उत्पादन के लिये गन्ने के एकरेज को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है बल्कि गन्ने की फी एकड़ पैदावार को बढ़ाना है, अर्थात् इन्टेन्सिव कल्टीवेशन करना है और प्रादेशिक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से भी इस बात की अनुमति ले ली है और इस दिशा में अगले वर्ष से कदम उठाने का निर्णय लिया है कि हर फैक्टरी ४–५ हजार एकड़ भूमि में इंटेसिव कल्टिवेशन करें। उस इंटेशिव कल्टीवेशन में केन्द्रीय सरकार भी मदद करेगी, प्रादेशिक सरकार भी मदद करेगी, गन्ना उत्पादक भी मदद करेंगे और मिल मालिक भी मदद करेंगे। आशा यह की जाती है कि कम से कम १००, १२५, १५० मन फी एकड़ गन्ने का उत्पादन इस नीति से जो हम अगले वर्ष बरतने जा रहे हैं करा सकेंगे और हम अधिक गन्ना पैदा करा सकेंगे। केन्द्रीय सरकार की नीति है कि इस वर्ष और अगले वर्ष उनके यहां हर चीज की कीमत शुकरोज कंटेंट्स बेसिस पर रहे और यही उनका आग्रह है। कदाचित् अच्छी कीमत दिलाने के लिये किसानों को इस बात की आवश्यकता है कि हर एकड़ में गन्ने का उत्पादन अधिक मात्रा में बढ़ाया जाय और अच्छी क्वालिटी भी बढ़े जिससे गन्ना उत्पादकों को क्वालिटी की बुनियाद पर ज्यादा से ज्यादा कीमत मिल सके।

अहारन थाने में दुशासन मेहतर की मृत्यु

*११—श्री शिवचरण (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि ग्राम महोवत पुरा, थाना अहारन, जिला आगरा में २५ जनवरी, १९६३ की रात को किसी दुशासन नामक मेहतर का कत्ल हुआ है? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

दिनांक २५–१–६३ की रात में, ग्राम महोवतपुरा, थाना अहारन में दुशासन नामक मेहतर का कत्ल नहीं हुआ वरन् चोरी करते हुए वह ग्रामीणों द्वारा घायल हुए और थाना ले जाते समय रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। जांच से कत्ल का होना नहीं पाया गया।

बेल्थरा रोड, गन्ना-क्रय-केन्द्र पर गलत तौल का मामला

*१२—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बेल्थरा रोड गन्ना, क्रय केन्द्र, जिला देवरिया पर दिनांक २९ जनवरी, १९५९ को वहां के अवैतनिक मंत्री महोदय ने ग्राम करनी के श्री बाबा कुमारद स चेला श्री सियाराम दास के मिल पर्ची नं० ७४७–१९ सप्लाई टिकट नं० ७३०,१०९ से चार मन गन्ना कम तौलने की कोई रिपोर्ट पत्र संख्या ४११–१२, दिनांक, २९ जनवरी, १९५९ द्वारा जिला गन्ना अधिकारी देवरिया को कोई की थी? यदि हां, तो उस पर क्या हुआ? यदि नहीं, तो क्यों?

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

प्राप्त सूचनानुसार अवैतनिक मंत्री ने जिला बलिया स्थित बेल्थरा रोड गन्ना क्रय केन्द्र पर दिनांक २९–१–१९५९ को श्री कुमार दास चेला श्री सियाराम दास ग्राम करनी की गाड़ी का गलत तौल का केस पकड़ा था, परन्तु गवाह न मिलने के कारण केस नहीं चलाया जा सका।

सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा न होने की शिकायत

*१३—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर नित्य प्रति बढ़ती हुई अराजकता तथा जी० आर० पी० तथा Excise Staff के सिपाहियों द्वारा गरीब लोगों को लूटने तथा तंग करके मुसाफिरों का धन इत्यादि छीनने की वारदातों को रोकने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक?

*१४—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर पिछले एक साल में कितनी गुन्डों द्वारा अराजकता, सट्टा, जुआ तथा सवारियों को लूटने की घटनायें हुयीं और सरकार ने उनमें क्या कार्यवाही की ?

श्री नवलकिशोर—

सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर अराजकता की स्थिति नहीं है। जनवरी, १९६२ और जनवरी १९६३ के बीच केवल एक ऐसी घटना हुई है जिसमें तीन अज्ञात आबकारी चपरासियों द्वारा एक व्यक्ति की जेब में चरस की एक टिकिया रखकर उससे १०० रु० लेने की बात कही गई है। इस मामले में भा० दं० वि० की धारा ३९२ के अन्तर्गत दरियाफ्तहाल पर जांच हो रही है। पिछले एक साल में प्रश्न में उल्लिखित अन्य प्रकार की कोई घटना सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर नहीं हुई है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ३९२ की जो रिपोर्ट लिखी गयी है और जिसके लिये कहा गया है कि अज्ञात व्यक्तियों ने डकैती का काम किया है क्या यह सही है कि जिस गुरुबख्श सिंह ने यह रिपोर्ट लिखायी वह ४ दिनों तक वहीं पड़ा रहा, उसने उन तमाम आदमियों को पहचाना तो वहां के दारोगा ने इस बात के लिये कोशिश की कि वह माफ कर दें और घर को चला जाय । लेकिन वह नहीं गया, इसके बाद बावजूद इसके कि एस० पी० ने उस मामले की जांच करने के लिये आदेश किया है, वहां के दरोगा ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की और वे लोग जिनके ऊपर ये आरोप हैं, वहीं स्टेशन पर आज भी मौजूद हैं और आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है । तो क्या माननीय मंत्री जी इस बारे में भी कोई आदेश जारी करने की कृपा करेंगे ?

श्री नवलकिशोर—

जितनी बातें माथर जी ने बतलायीं, उनके बारे में मुझे कोई सूचना नहीं है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि सिर्फ एक ही वारदात १९६२-६३ में ऐसी हुई, तो मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिये बतला दूं कि ४ मार्च, के हिन्दुस्तान अखबार में श्री शुकार सिंह नेगी ने बड़े विस्तार के साथ जो दुर्दशा उनकी सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर हुई, बयान की है। इस तरह के कई गिरोह इस वक्त वहां काम कर रहे हैं । एक तो कम्बल डालने वाला, एक चरस बेचने वाला, एक सिपाहियों का दल है, इसके बारे में एस० पी० तक मामला गया और वहां की ऐंटी करप्शन कमेटी ने भी पिछले ४-५ वर्ष की तमाम चीजें सरकार के पास भेंजी, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्या सरकार फिर कोई जांच कराने के आदेश देगी ?

श्री नवलकिशोर—

जब माथर जी मुझे लिख कर सूचना देंगे तो उस पर कार्यवाही की जायगी । जब कोई सूचना नहीं है तो कार्यवाही क्या की जाय ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इस संबंध में बतला दूं । यदि आपके प्रश्न में जरा भी इसका संकेत होता तो इस संबंध में जानकारी मांगी जाती, लेकिन आपने तो एक जनरल सवाल किया है । जो कुछ आपको कहना हो, लिख कर देदें तो वे देख लेंगे ।

बरेली में सुरक्षा कोष के लिए चन्दा वसूली के सम्बन्ध में शिकायत

*१५—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बरेली में १०७–११७ के मुकदमें कायम करके जमानत के समय अथवा बन्दूकों के लाइसेंस रिन्यू करते समय अथवा मंजूर करते समय राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में रुपया देना अनिवार्य हो गया है तथा सख्ती से वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इस प्रकार की कार्यवाही सरकारी आदेशों के अनुसार की जा रही है ?

श्री नवलकिशोर—

यह सत्य नहीं है कि बरेली में १०७–११७ के मुकदमें कायम करके जमानत के समय अथवा बन्दूकों के लाइसेंसों का नवीनीकरण करते समय अथवा स्वीकृत करते समय राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में रुपया देना अनिवार्य हो गया है तथा सख्ती से वसूल किया जा रहा है। इस प्रकार के कोई शासकीय आदेश भी जारी नहीं किये गये हैं ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जितने भी बन्दूकों के लाइसेंस नवम्बर से अब तक स्वीकृत हुए हैं या विचाराधीन चल रहे हैं या जिनका नवीनीकरण किया गया है उन्हीं व्यक्तियों के नाम से पहले ही सुरक्षा कोष की रसीदें काट दी गई हैं और उन्हीं को लाइसेंस दिया गया है जिन्होंने सुरक्षा कोष का पैसा दिया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

चन्दे से और लाइसेंस के ग्रान्ट करने से कोई संबंध नहीं है, लाइसेंस ग्रान्ट करना एक अलग चीज है और वालंटरी ढंग से चन्दा देना एक अलग चीज है, लेकिन जो लाइसेंसदार हैं उनसे यह आशा की जाती है क्योंकि वे अधिकतर पैसे वाले लोग हैं इसलिये उनसे चन्दे की मांग की गई होगी और उन्होंने रजामन्दी से पैसा दिया होगा लेकिन उससे लाइसेंस की बात जोड़ना कहां तक मुनासिब है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मंत्री जी मेरी इस बात को सूचना मानकर कि आइजट नगर के श्री ठाकुर दास और चुन्नीलाल को सिटी मैजिस्ट्रेट ने उस वक्त तक लाइसेंस नहीं दिया और कहा कि १०० रुपया दोगे तब दिया जायगा, क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि इस तरह से सुरक्षा कोष जमा किया जा रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

अगर लाइसेंस होल्डर यह शिकायत करेंगे कि उनको लाइसेंस देने में अड़चने डाली गईं और कहा गया कि जब तक चन्दा न दोगे तब तक लाइसेंस न दिया जायगा तो मैं अवश्य ही इस बात की इन्क्वायरी कराऊंगा ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, वह कहते हैं ....

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कह दिया कि जो शिकायत करना चाहें कर सकते हैं ।

श्री ऊदल—

लाइसेंस फी तो बढ़वा दी जाय वह बहुत कम है ।

बनकटी ब्लाक में मारपीट की घटना

*१६—श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

क्या सरकार को पता है कि बनकटी ब्लाक, तहसील बस्ती में डाकुओं का एक बहुत बड़ा गिरोह है जिसके रामनवल और रामअचल पाल मुख्य सरदार हैं ?

श्री नवलकिशोर—

जी नहीं। ऐसा कोई गिरोह नहीं है।

*१७—श्री श्यामलाल—

क्या यह सत्य है कि गत एक महीने के भीतर इन डाकुओं ने थाना महुली साकीन बाघापार के घुरहू यादव को और आसरे चौकीदार को इतना मारा कि मरा जान के छोड़ा ? यदि हां, तो पुलिस में जो रिपोर्ट लिखायी गयी है क्या उसकी एक प्रति मुख्य मंत्री जी सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री नवलकिशोर—

जी नहीं। इस प्रकार से मारने की कोई घटना नहीं हुई किन्तु दिनांक २३-११-६२ को घुरहू यादव के पुत्र ने एक रिपोर्ट धारा ३२३ भा० द० वि० के अन्तर्गत रामनवल व राम अचल पाल के विरुद्ध लिखाई थी। दिनांक १७-९-६२ को रामआसरे चौकीदार ने भी एक रिपोर्ट धारा ३२३ भा० द० वि० के अन्तर्गत रामअचल व कुछ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध लिखाई थी। उक्त रिपोर्ट की प्रतियां संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४००-४०१ पर)

श्री श्यामलाल—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि "जी नहीं, इस प्रकार से मरने की कोई घटना नहीं हुई" तो क्या वह बतायेंगे कि किस प्रकार की घटना हुई और क्या यह दोनों बेचारे रामनवल और रामअचल पाल द्वारा मारे गये या नहीं ? और वहां किसी प्रकार की कोई घटना हुई या नहीं ?

श्री नवलकिशोर—

जब ३२३ की रिपोर्ट लिखाई गई तो उसके माने हैं कि हाथा पाई हुई होगी।

श्री अवधनारायणप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—

यह जो कहा गया है कि रामनवल और रामअचल पाल मुख्य सरदार हैं, यह वे अपनी सूचना के अनुसार कह रहे हैं या किन्हीं कागजात में वह दर्ज है या किस आधार पर वह कह रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—

आप यह उनसे अलग से पूछ लें।

श्री श्यामलाल—

माननीय मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया कि घुरहू यादव और आसरे चौकीदार मारे गये, लेकिन यह सरकार किस आधार पर कहती है कि डाकुओं का गिरोह नहीं है और रामनवल और रामअचल पाल उसके सरदार नहीं हैं ? मेरी बात को सूचना मानकर कि यह दोनों दिन-दहाड़े मारे गये और थाना महुली, महथा ग्राम के जमात साहू को इन्होंने मारा, थाना मुंडरवा के ग्राम बेहिल के कोरी को मारा, मुंडरवां थाने के सिहुआ ग्राम के महमूद को मारा दिन दहाड़े और बनकटी बाजार के अन्दर व्यापारियों तथा अन्य बाजार करने वाले गरीब किसानों से दिन दहाड़े छीना झपटी यह दोनों आदमी करते हैं, तो किस आधार पर सरकार कहती है कि यह डाकुओं का गिरोह नहीं हैं ? डकैती की परिभाषा क्या है, मंत्री जी बतायेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

डकैती की परिभाषा पीनल कोड में लिखी हुई है यहां बताने की क्या आवश्यकता है ?

श्री श्यामलाल—

हमारे क्षेत्र में आतंक फैला है उसका कुछ प्रबन्ध करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप कमलासिंह जी से मिल लीजियेगा, वह बता देंगे।

[१४ मार्च, १९६३ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-२--श्री शिवेन्द्र प्रताप (जिला सीतापुर) --

[२८ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

एटा जिले में बिजली देने पर विचार

*३--श्री बेदराम (जिला एटा) --

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा में सहावर कस्बे में बिजली पहुंचाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ?

*४--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इसी जिले में मोहनपुर टाउन व अमांपुर टाउन में भी कोई योजना विद्युतीकरण करने की है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा --

इन नगरों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि प्राविधिक तथा आर्थिक दृष्टि से सम्भव हुआ तो कार्य तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पूरा किया जायेगा ?

श्री बेदराम --

मन्त्री जी बतायेंगे कि यह कब से विचाराधीन है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

इसकी सूचना मेरे पास इस समय नहीं है, नोटिस चाहिये।

श्री बेदराम--

जो लाइन गंडरवारे पहुंचायी जा रही है वह सहावर होते हुये जाय क्योंकि वहां से पास पड़ेगी, ऐसी सूचना मन्त्री जी को है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा --

इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

अभी तो वह कह रहे हैं कि जांच करा रहे हैं, तो कैसे लाइन जायगी यह बाद में तय होगा।

श्री रामायणराय --

कोई प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार किया है क्योंकि आपने कहा कि आर्थिक और प्राविधिक परिस्थितियां अनुकूल हुईं तो कार्यान्वयन होगा ? अगर प्राक्कलन तैयार है तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि कितना खर्च होगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा --

जब कहीं बिजली लगाते हैं तो दो, तीन चीजें देखते हैं कि कितना खर्च होगा, कितनी लम्बी लाइन होगी, कितनी आमदनी होगी ?

श्री अध्यक्ष--

कोई ऐस्टीमेट तैयार हो गया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा --

अभी नहीं हुआ, वहीं जांच करा रहे हैं।

श्री मैनेजरसिंह --

मन्त्री जी इस बात की छानबीन करायेंगे कि जो गंडरवारे लाइन जा रही है वह सहावर होकर ले जाने में कम व्यय होगा, तो सहावर होकर लाइन ले जाने के सम्बन्ध में क्या जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा कि यह सुझाव आप भेज दें, उसको ध्यान में रखेंगे।

कुमारी श्रद्धादेवी --

क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि उन उसूलों के अन्दर जिनके आधार पर सरकार गांवों में बिजली दे रही है उनमें वह गांव आते हैं जिनमें उद्योग धंधे कभी से चल रहे हैं और आज भी चल रहे हैं और जिनकी संख्या ४,००० से ऊपर है ?

श्री अध्यक्ष--

उनके नाम बतायेंगे ?

कुमारी श्रद्धादेवी --

उनको प्राथमिकता दी जाती है कि नहीं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा --

जरूर देंगे और ऐसी जगह बिजली लगायी है।

*५--श्री विजयसिंह (जिला जालौन) --

[२८ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

बुन्देलखंड में एडीशनल डी० आई० जी० नियुक्त करने का सुझाव

*६--श्री विजयसिंह --

क्या मुख्य मन्त्री बुन्देलखंड की सुविधा के लिये और दस्यु दलों को दबाने के लिये अलग से एक डी० आई० जी० की नियुक्ति पर विचार करेंगे ?

श्री नवलकिशोर --

सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया, और अतिरिक्त डी० आई० जी० की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं समझी।

श्री विजयसिंह --

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि पुलिस प्रशासन को अधिक सक्षम बनाने के लिये तथा अपराधों और डाकुओं के आतंक को देखते हुये सरकार पुलिस प्रशासन खंड की स्थापना करना क्यों नहीं आवश्यक समझती उसके मुख्य-मुख्य कारण बतायेंगे ?

श्री नवलकिशोर--

मैंने यह कहा कि एडीशनल एक डी० आई० जी० की आवश्यकता नहीं समझी गयी। जहां तक कि सेक्योरिटी का सवाल है पी० ए० सी० है, और काफी पुलिस फोर्स है।

श्री अध्यक्ष--

यह मतलब है कि वहां पर पुलिस फोर्स है वह पर्याप्त है।

श्री नवलकिशोर --

जी हां।

श्री विजयसिंह --

यह सब पर्याप्त होते हुये बुन्देलखंड में रोज अखबारों में माननीय मन्त्री देखते होंगे कि दिन-दहाड़े डाकू लोग आदमियों को उठा कर ले गये। कोई डी० आई० जी० की नियुक्ति अगर नहीं करना चाहते तो किसी सबसे अधिक अनुभवी अधिकारी को इस काम के लिये नियुक्त करने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री नवलकिशोर --

वहां वाकये भी होते हैं और साथ ही डाकुओं का लिक्विडेशन भी होता है। जो एस० पी० भेजे गये हैं वे बहुत ही अनुभवी हैं।

*७--श्री विजयसिंह--

[७वें गुरुवार के लिये प्रश्न ९८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*८--श्री दीपनारायण सिंह--

[२८ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

*९--चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)--

[२८ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

सोवियत संघ की सहायता से स्थापित होने वाले बड़े उद्योग

*१०--श्री चन्द्रजीत यादव--

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कौन-कौन बड़े उद्योग हमारे राज्य में सोवियत संघ की सहायता से निर्मित हो रहे हैं, इन उद्योगों पर कुल कितना रुपया व्यय होने वाला है और अब तक इनकी स्थापना में क्या प्रगति हुई है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

इस प्रदेश में तृतीय योजना के अन्तर्गत हैवी इलेक्ट्रिकल्स प्लान्ट (हरिद्वार के समीप ज्वालापुर में) और एन्टीबायटिक्स प्लान्ट (ऋषीकेश, देहरादून में) भारत सरकार रूस के सहयोग से स्थापित करा रही है।

पहले के अनुमान के अनुसार इनकी अनुमानित लागत क्रमश : ५० करोड़ और १५ करोड़ के लगभग होगी।

दोनों योजनाओं के लिये क्रमश : लगभग ८,००० एकड़ और ९०० एकड़ भूमि प्रदेशीय सरकार ने अधिग्रहण करके योजनाधिकारियों को सौंप दी है जो निर्माणकार्य कर रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव--

क्या माननीय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ६५ करोड़ के जो दो प्लान्ट्स लग रहे हैं कब तक उनके पूरा हो जाने की आशा है और उनमें कितने मजदूरों को एम्प्लायमेंट मिलेगा ?

नियोजन मन्त्री (श्री हरगोविन्दसिंह)--

कोशिश की जा रही है लेकिन यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि कितने दिनों में तैयार होगा, कितने मजदूर इसमें लगेंगे। ज्यादा मजदूर लगेंगे, लेकिन संख्या नहीं बतलाई जा सकती।

श्री चन्द्रजीत यादव --

क्या नियोजन मन्त्री बतलायेंगे कि पिछली दो योजनाओं में पब्लिक सेक्टर में प्रदेश में जितना रुपया इस्तेमाल किया गया है वह हमारी आबादी को देखते हुये हमारे प्रदेश में बहुत कम लगाया गया है। सोवियत रूस तथा दूसरे देशों की मदद से ६५ बड़े उद्योग तीसरी पंच वर्षीय योजना में हमारे देश में लगाये जा रहे हैं। हमारे प्रदेश में चार बड़े उद्योग हैं तो क्या सरकार इस बात को देखते हुये कि अब भी हमारी जन-संख्या के अनुपात से और हमारी आवश्यकता को देखते हुये ये बहुत कम हैं तो क्या केन्द्रीय सरकार से मुख्य मन्त्री तथा नियोजन मन्त्री इस बात का प्रयास करेंगे कि ऐसे बड़े उद्योग पब्लिक सेक्टर में हमारे प्रदेश में लग सकें ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त --

कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब किसी उद्योग धंधे की अखबार में चर्चा हो और कुछ खबर मिले तो मुख्य मंत्री खास तौर से उसे अपने प्रदेश में लगाने की चेष्टा न करते हों। अब उत्तर बराबर केन्द्रीय सरकार से यह मिलता है कि उद्योग धंधे के लगाने का विषय तो अधिकतर विशेषज्ञों की राय से होता है। यदि विशेषज्ञ जलवायु तथा रा-मेटीरियल इत्यादि की उपलब्धि के विषय में संतुष्ट हो जाते हैं तो वह जिस प्रकार से सलाह देते हैं उसी प्रकार से केन्द्रीय सरकार कार्य करती है। उदाहरणार्थ बड़ी भारी चेष्टा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से थी कि नैनी में और

इलाहाबाद में आप्टिकल ग्लास को पैदा करने की फैक्टरी कायम की जाय और उसमें विशेषज्ञ आयें, लेकिन जो विशेषज्ञ रूस से आये हैं जिनकी सिफारिश पर बहुत से उद्योग धन्धे लगे हैं उन्होंने दूसरी राय दे दी कि नैनी की जमीन या इलाहाबाद की जमीन ठीक जमीन नहीं है। नियोजन मन्त्री और मुख्य मन्त्री की तो अभिलाषा और आकांक्षा यही है कि उत्तर प्रदेश में उद्योग धन्धे लगें, परन्तु जब विशेषज्ञ किसी उद्योग धन्धे के विषय में राय नहीं देते तो वह नहीं लग पाता। आज भी कई उद्योग धन्धों के विषय में कई मर्तबा मैं केन्द्रीय सरकार के मन्त्रियों से और प्रधान मंत्री से चर्चा कर चुका हूं और अब भी जब-जब मौके मिलते हैं और आते हैं तो जैसा मैंने कहा उसकी चर्चा फिर करने की अभिलाषा रखता हूं।

श्री रामायणराय ---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस देश से यह सहायता मिल रही है उस देश की ओर से सहायता के निमित्त कोई शर्त भी रखी गयी है ? अगर रखी गई है तो क्या ?

श्री हरगोविन्दसिंह ---

यह तो गवर्नमेंट आफ इंडिया के कोलैबोरेशन से उद्योग लगते हैं। इस सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं है कि उनकी क्या शर्तें आपस में तय हुई हैं।

श्री श्यामलाल ---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सोवियत संघ से जो करोड़ों रुपये उद्योग-धन्धे खोलने के लिये मिले हैं ये ऋण के रूप में मिले हैं अथवा औद्योगिक दृष्टिकोण से भारत को उन्नतशील बनाने के लिये सोवियत संघ ने हमारे साथ सहानुभूति दिखायी है ?

श्री अध्यक्ष---

(मन्त्री जी से) आपने तो कहा कि शर्तें हमें नहीं मालूम।

श्री हरगोविन्दसिंह ---

जी हां, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है।

श्री कल्पनार्थसिंह ---

चीन से हिन्दुस्तान के सम्बन्ध बिगड़ने के बाद और चीन और सोवियत संघ के भाई-चारे के सम्बन्ध रहने के बावजूद भी क्या इस उद्योग पर कोई असर पड़ने वाला है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---

यह आप सेन्टर से पूछ सकते हैं।

श्री तेजसिंह (जिला मेरठ) ---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ज्वालापुर में जो हैवी इलेक्ट्रिकल्स का कारखाना लगाया गया है उसके लिये कितनी जमीन ली गयी है और क्या उसका मुआविजा किसानों को दे दिया गया है ? यदि हां, तो उस मुआविजे की दर क्या है ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो उत्तर में आ गया है कि ८ हजार एकड़ और ९ सौ एकड़ भूमि ली गयी।

श्री तेजसिंह ---

जिस भाव पर जमीन ली गयी है वह भाव बता दें और आया किसानों को कब्जा लेने से पहले मुआविजा मिल चुका है या नहीं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा ---

यहां जो जमीन ली गयी है उसका करीब ५४ लाख रुपया हम देंगे और अलग-अलग गांवों में अलग-अलग किस्म की जमीन है इसलिये वह तो बतायी नहीं जा सकती। पहले मुआविजा देने का कोई सवाल नहीं है। मुआविजा बटने लगा है।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर) --

क्या नैनी के अलावा यू० पी० में किसी और जगह इस बात की जांच कराने की सरकार कृपा करेगी कि जहां पर आप्टिकल कारखाना लगाया जा सकता हो ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त --

उसका तो फैसला हो गया और वह कलकत्ता में लग भी रहा है।

*११--श्री चन्द्रजीत यादव --

[७वें गुरुवार के लिये प्रश्न ९९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

मैनपुरी जिले में कत्ल

*१२--श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी) --

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले के विभिन्न थानों के अन्तर्गत जनवरी, १९६० से जनवरी, १९६३ तक थाना व वर्ष-वार पृथक-पृथक कितने कत्ल हुये ?

श्री नवलकिशोर --

वाँछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४०२ पर)

*१३--श्री सूबेदारसिंह --

क्या सरकार यह भी बताने का कष्ट करेगी कि इन तीन वर्षों में हुये कत्ल के केसों में से पुलिस ने कितने केसों में चार्जशीट लगाई और कितनों में फाइनल रिपोर्ट लगाकर केस समाप्त कर दिये ?

श्री नवलकिशोर --

इस अवधि में हुये कत्ल के केसों में से ८६ केसों में चार्जशीट और ३४ केसों में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई।

*१४--श्री सूबेदारसिंह --

जिन केसों में पुलिस ने चार्ज शीटें लगाई उनमें से कितने केसों में सजायें हुईं ?

श्री नवलकिशोर --

चार्जशीट लगाये गये मामलों में से २१ केसों में सजा हुई।

श्री सूबेदारसिंह--

क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर गया है कि मैनपुरी जिले में गत तीन वर्षों से कत्ल के केसों में क्रमशः विकास जारी है ? क्या सरकार ने उसको रोकने के लिये कोई कदम उठाया है या कोई कार्यवाही करने पर विचार किया है ?

श्री नवलकिशोर--

मान्यवर, आमतौर से क्राइम्स हर जिले के अन्दर बढ़ रहे हैं और उसकी एक वजह यह भी है कि जो कत्ल वगैरह होते हैं उनकी रिपोर्टें सही लिखी जाती हैं। जहां तक कार्यवाही का प्रश्न है उनके समाधान के लिए इस प्रकार के आदेश हैं, और वह कोशिश कर रहे हैं कि क्राइम्स न बढ़ने पायें।

श्री सूबेदारसिंह--

क्या सरकार ने यह देखा कि ८६ केसेज में से २१ में सजा हुई बाकी केसेज छूट गये, २५ फीसदी केसेज सफल हुए ? क्या इसका यह कारण नहीं है कि पुलिस कर्मचारी कत्ल के केसेज में उदासीनता का परिचय देते हैं या ठीक से छानबीन नहीं करते और गलत केसेज में चार्टशीट लगाते हैं ?

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर, इसके बहुत से कारण होते हैं। यह बात भी सही है कि कभी-कभी इनवेस्टीगेशन में भी कमी होती है। कभी-कभी गवाह ऐन वक्त पर टूट जाते हैं और यह कोर्ट के टेम्परामेंट पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। बहुत-सी चीजें होती हैं इसके अन्दर।

श्री बृजेश्वरसहाय (जिला मैनपुरी)—

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि कुरावली थाना जो कि एटा और मैनपुरी के बार्डर पर है वहां पर हर वर्ष कत्ल बढ़ते चले जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या उस बार्डर पर कोई व्यवस्था करने जा रहे हैं जिससे वहां पर कत्ल न हों?

श्री नवलकिशोर—

जितने भी हमारे इस तरह के बार्डर हैं जो मध्य प्रदेश के या आगरा के आसपास हैं वहां पर पुलिस फोर्स भी बढ़ा दिया गया है, पी० ए० सी० भी है और जितने मुमकिन तरीके हैं वह अख्तियार किये जा रहे हैं।

श्री सूबेदारसिंह—

इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि मैनपुरी जिले का बार्डर एटा और फर्रुखाबाद जिले से संलग्न है जहां पर क्राइम्स की संख्या और ज्यादा है तो कुरावली और भोगांव थानों की सीमाओं को छोटा करके वहां पर एक नया थाना कायम करने पर सरकार विचार करेगी ताकि क्राइम्स कम हो सकें?

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर, तमाम स्टेट का सर्वे किया गया है, क्योंकि कुछ थानों को हम बहुत जल्दी बढ़ाने वाले हैं, इसके अन्दर मैनपुरी वगैरह पर भी ध्यान दिया जायगा।

*१५—श्री बेदराम—

[२८ मार्च, १९६३ के लिए स्थगित किया गया।]

*१६—श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)—

[२८ मार्च, १९६३ के लिए स्थगित किया गया।]

शुगर केन क्रशर लाइसेंस मिलने में कठिनाई

*१७—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या यह सही है कि डिप्टी केन कमिश्नर, उत्तर प्रदेश ने इस वर्ष ऐसे भी कुछ केन क्रशर के लाइसेंसदारों का लाइसेंस रिन्यू करने से इन्कार कर दिया है तथा उनके केन क्रशर सील करने का आर्डर दे दिया जिनको कि रेन्युअल फीस प्रार्थना-पत्र सहित जमा थी? यदि हां, तो किस लिये?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

U. P. Khandseri Sugar Manufacturers Licencing order, 1960 के अनुसार क्रशर के लाइसेंस के लिये जो भी apply करता है उसको फीस जमा कर के चालान लाइसेंस की दरखास्त के साथ लगाना पड़ता है। उसके बाद भी Licencing authority को अधिकार है कि उपरोक्त order की धारा ३ में दिये हुये कारणों पर व लाइसेंस की दरखास्त को अस्वीकार (reject) कर दे।

*१८—श्री मुहम्मद रफी खाँ—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उन व्यक्तियों का लाइसेंस रेन्यु करने से क्यों इन्कार किया गया जिनको कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट द्वारा क्रशर लगाने के लिये कर्जा दिया गया था, या केन क्रशर चलाने के लिये सरकार ने पावर कनेक्शन दिया था?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

साधारणतया हर केस की मेरिट देख कर उस पर फैसला किया गया है। यदि कोई केस ऐसा हो जिसमें कोई दिक्कत हो तो विवरण मिलने पर या सूचना मिलने पर उस केस को फिर से देखा जा सकता है।

उन्नाव जिले के बिहार थाने में बन्दूक से घायल होने की घटना

*१९--श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद उन्नाव के अन्तर्गत थाना बिहार में १ सितम्बर, १९६२ से ३० सितम्बर, १९६२ तक ३०७/३२४ आई० पी० सी० की कितनी रिपोर्टें दर्ज की गईं और इनमें कितने व्यक्ति बन्दूक के छर्रे से घायल अस्पताल भेजे गये ?

श्री नवलकिशोर--

थाना बिहार में १-९-६२ से ३०-९-६२ तक ३०७/३२४ भा० दं० वि० के अन्तर्गत २ रिपोर्ट दर्ज की गई इनमें केवल एक व्यक्ति बन्दूक के छर्रे से घायल हुआ तथा अस्पताल भेजा गया।

*२०--श्री गुप्तारसिंह--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त थाने में रिपोर्टें के करने वालों के नाम क्या हैं और रिपोर्टें किन-किन तारीखों में हुई और रिपोर्टें के करने का पृथक-पृथक समय क्या था ?

श्री नवलकिशोर--

उपरोक्त थाने में सर्वश्री रामकृष्ण तथा मथुरासिंह नामक व्यक्तियों ने रिपोर्टें लिखाई थीं। श्री रामकृष्ण ने दिनांक १७-९-६२ को प्रातः १० १/२ बजे तथा श्री मथुरा ने दिनांक १८-९-६२ को प्रातः ७ बजे रिपोर्ट लिखाई थी।

*२१--श्री गुप्तारसिंह--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त थाने में अगर ऐसी घटना हुई है तो उनमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री नवलकिशोर--

उपरोक्त दो घटनाओं में से एक में सबूत की कमी के कारण अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई जो न्यायालय द्वारा स्वीकार हो चुकी है तथा दूसरे मामले में ४ अभियुक्तों का ३०७ भा० दं० वि० के अन्तर्गत चालान किया जा चुका है।

श्री गुप्तारसिंह--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दो रिपोर्टें दो दिन लिखायी गई--एक रामकृष्ण जी ने लिखाई १७ को और एक मथुरा ने लिखायी १८ को, तो एक ही घटना की दोनों रिपोर्टें हैं या घटनायें अलग अलग हैं ? अगर एक ही घटना है तो छर्रा जिस व्यक्ति को लगा वह किस पार्टी का है, रामकृष्ण की पार्टी का है जिन्होंने १७ को रिपोर्टें लिखायी या मथुरा सिंह की पार्टी का है जिन्होंने १८ को रिपोर्ट लिखायी ?

श्री नवलकिशोर--

मान्यवर, यह जो मथुरासिंह जी के खिलाफ रपट लिखायी गई इसमें तो फाइनल रिपोर्ट लग गई और जो दूसरी रिपोर्ट थी उसमें ३०७ के अन्दर चालान कर दिया गया चार आदमियों का।

श्री गुप्तारसिंह--

मैंने सवाल तो यह पूछा है कि जो व्यक्ति छर्रे से घायल हुआ है वह मथुरासिंह जिनकी कि रिपोर्ट १८ को लिखायी गई, उनकी पार्टी का है या रामकृष्ण की पार्टी का है जो कि १७ को रिपोर्ट लिखायी गई ?

श्री नवलकिशोर--

मान्यवर, अब कौन किस पार्टी का है, यह मैं कैसे बता सकता हूं।

*२२-२३--श्री नियामतुल्ला अन्सारी (जिला गोरखपुर)--

[६वें शुक्रवार के लिए प्रश्न ७१-७२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२४-२६--श्री शरीफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)--

[२८ मार्च, १९६३ के लिए स्थगित किये गये।]

फतेहपुर जिले में पुलिस चौकियां और थाने बढ़ाने की प्रार्थना

*२७--श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)--

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में गठित पुलिस आयोग की रिपोर्ट को दृष्टि में रखते हुये क्या फतेहपुर जिले में भी कुछ नवीन पुलिस स्टेशन व पुलिस चौकी स्थापित करने पर सरकार विचार कर रही है, यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर और कब से ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

जी हां, परन्तु चूंकि नवीन पुलिस स्टेशनों तथा चौकियों को खोलने का प्रश्न अभी विचाराधीन है, अतः प्रश्न के दूसरे भाग के विषय में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

*२८--श्री रामकिशोर वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या फतेहपुर जिलान्तर्गत कुछ पुलिस स्टेशनों के मुख्यावासों का स्थान परिवर्तन करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों का और क्यों तथा नवीन परिवर्तनीय मुख्यावास किन-किन स्थानों में होंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*२९-३१--श्री बालकराम वैश्य (जिला लखनऊ)--

[२८ मार्च, १९६३ के लिए स्थगित किये गये।]

रामनगर विकास खण्ड में प्रान्तीय रक्षक दल के शिविर पर व्यय

*३२--श्री गिरजा प्रसाद (जिला गोंडा) तथा श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले के विकास खंड रामनगर द्वारा प्रान्तीय रक्षक दल का शिक्षण शिविर सन् १९६२ में कब से कब तक चलाया गया, उसमें कितने युवकों ने भाग लिया और उस पर ब्योरेवार कितना व्यय हुआ ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

रामनगर विकास क्षेत्र जिला बाराबंकी में प्रान्तीय रक्षक दल स्वयं सेवक प्रशिक्षण शिविर १५ से २१ नवम्बर, १९६२ तक चलाया गया जिसमें ९४ स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया गया। उक्त प्रशिक्षण शिविर पर कुल १६३१.३८ रुपये व्यय हुआ जिसका ब्योरा निम्नलिखित है :

(१)	भोजन व्यवस्था आदि में	४६५.०० रु०
(२)	वर्दियों आदि में	१,११६.३८ रु०
(३)	रोशनी व्यवस्था तथा फुटकर व्यय में ..	५०.०० रु०
	योग ..	१,६३१.३८ रु०

नोट--तारांकित प्रश्न १९-२१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*३३—श्री गिरजाप्रसाद तथा श्री द्विजेन्द्रनारायण—

उपरोक्त शिक्षण शिविर पर व्यय की गई धनराशि में कितना पंचायतों से प्राप्त किया गया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

उपरोक्त शिक्षण शिविर पर व्यय की गई धनराशि में से ११४५ रुपये पंचायतों से प्राप्त किये गये हैं।

देवीनगर ग्राम के प्रधान का कत्ल

*३४—श्री बृजेश्वरसहाय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम देवीनगर, थाना कुरावली, जिला मैनपुरी के प्रधान का कत्ल दिन के ८ या ९ बजे दिनांक ५ सितम्बर, १९६२ को हुआ है उसकी नामजद रिपोर्ट की गई है ? सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है, क्या कातिल अब तक पकड़े गये हैं या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

५-९-६२ को ग्राम देवीनगर के प्रधान का कत्ल हुआ था जिसकी नामजद रिपोर्ट की गई। अपराधियों के विरुद्ध धारा ३०२ भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा चालान किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है। सभी अपराधी पकड़े जा चुके हैं।

कानपुर में गंगा के मार्ग में परिवर्तन

*३५—श्री गोपीनाथ दीक्षित (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि गंगा नदी की धारा कानपुर से उन्नाव की तरफ हट जाने के कारण कानपुर नगर को बिजली व्यवस्था आदि को गम्भीर संकट बना रहता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*३६-३७—श्री गोपीनाथ दीक्षित—

[६ ठे शुक्रवार के लिए प्रश्न ८२-८३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र, श्री रामनिवास के कत्ल की जांच

*३८—श्री कल्याणचन्द मोहिले, श्री सारखंडेराय (जिला आजमगढ़) तथा श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के महमूदाबाद छात्रावास के विद्यार्थियों ने रामनिवास अग्रवाल के हत्याकांड की पुलिस द्वारा ठीक से जांच न होने के विरुद्ध छात्रों ने विश्वविद्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया तथा आम हड़ताल करने का प्रस्ताव पास किया ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां ! विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शन का विववरण इस प्रकार है :—

१४ फरवरी, १९६३ को लगभग ८।। बजे रात लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने विश्वविद्यालय में एक सभा की जिसमें विद्यार्थी श्री रामनिवास की कथित हत्या की पूरी जांच किये जाने की मांग की गई। तत्पश्चात् विद्यार्थियों ने उप कुलपति के निवास स्थान पर प्रदर्शन किया। उप कुलपति ने अधिकारियों से विचार विमर्श करके आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया परन्तु विद्यार्थियों को कदाचित् उससे सन्तोष नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने अगले दिन विश्वविद्यालय में आम हड़ताल करने का निश्चय किया। १५ फरवरी को विश्वविद्यालय की आर्ट्स तथा कामर्स फैकल्टियों में हड़ताल रही। उसी दिन साढ़े ग्यारह बजे विश्वविद्यालय

[श्री चन्द्र भानु गुप्त]

के छात्रों ने एक शोक सभा आयोजित की एवं उसमें सी० आई० डी० द्वारा जांच किये जाने का प्रस्ताव पास किया। इसके पश्चात् छात्रों का एक जुलूस जिलाधीश के निवास स्थान पर गया। जिलाधीश ने तीन छात्रों को सिटी मजिस्ट्रेट एवं सर्किल आफिसर (सिटी) से भेंट करने को कहा। इस भेंट के पश्चात् छात्र संतुष्ट हो गये एवं उन्होंने आगे कोई कार्यवाही नहीं की।

*३९—श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी)—

[५वें शुक्रवार के लिए प्रश्न १५६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*४०-४१—श्री उमाशंकर तिवारी—

[२८ मार्च, १९६३ के लिए स्थगित किया गया।]

*४२—४३—श्री उमाशंकर तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

[२८ मार्च, १९६३ के लिए स्थगित किया गया।]

*४४-४६—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

[२८ मार्च, १९६३ के लिए स्थगित किये गये।]

पत्रकार

*४७—श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आपत्तिकालीन स्थिति की घोषणा होने के बाद पुलिस अथवा सी० आई० डी० द्वारा कुछ पत्रकारों की जांच कराई गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी नहीं।

*४८—श्री यादवेन्द्रदत्त—

यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त दिनांक जांच के परिणाम स्वरूप कितने पत्रकार चीन भक्त तथा रूस भक्त प्रतीत हुये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

प्रश्न नहीं उठता।

झूसी व नैनी चीनी मिलों में तालाबन्दी

*४९—श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद जिले में झूसी और नैनी शुगर मिल कितने दिनों से बन्द हैं और क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इलाहाबाद जिले में झूंसी और नैनी चीनी मिलें लगभग पिछले १९ वर्षों से बन्द हैं जिसका कारण मुख्यतया उक्त क्षेत्र में गन्ने का अभाव एवं साझेदारों के पारस्परिक झगड़े व मुकदमेबाजी आदि हैं।

*५०—श्री बंशीलाल—

क्या सरकार उन मिलों के चलाने की योजना पर विचार करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

राज्य नियोजन बोर्ड

*५१—श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)—

क्या नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में एक स्टेट प्लानिंग कमीशन बनाने की जो योजना थी वह समाप्त कर दी गई है, यदि नहीं, तो उसमें क्या प्रगति है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी नहीं। सरकार ने राज्य नियोजन बोर्ड बनाने का निर्णय ले लिया है और इस दिशा में विस्तृत विवरण सरकार के विचाराधीन है।

*५२–५४—श्री रामलखन वकील (जिला वाराणसी)—

[२८ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

*५५–५६—श्री चन्द्रबली सिंह—

[२८ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

*५७–५९—श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी) तथा श्री बंकटासिंह (जिला खीरी)—

[७वें गुरुवार के लिये प्रश्न १०१–१०३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*६०–६२—श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आंजमगढ़)—

[२० मार्च, १९६३ के लिये प्रश्न १५७–१५९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*६३–६५—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

[२८ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

*६६—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

[२८ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

लापता सैनिकों के परिवारों को सहायता

*६७—श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार राज्य के मृतक विकलांग और लापता सैनिकों के परिवारों की आर्थिक स्थिति के विषय में छानबीन कराकर असहाय परिवारों को किसी न किसी प्रकार का आर्थिक संरक्षण देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इस समय सरकार के पास इस प्रकार की कोई योजना नहीं है, परन्तु लापता सैनिकों के परिवारों को तत्काल वित्तीय सहायता दी जा रही है।

*६८—श्री रघुनाथसिंह—

[६ठे शुक्रवार के लिये प्रश्न ८१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

मथुरा जिले में सुरक्षा कोष

*६९—श्री लखीसिंह (जिला मुथरा)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुथरा जिले में सुरक्षा कोष का कितना रुपया मुख्य मंत्री कोष तथा प्रधान मंत्री कोष में अब तक वसूल हो चुका है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मथुरा जिले में सुरक्षा कोष में दिनांक २८ फरवरी, १९६३ तक कुल ४,६५,१६४.६९ रुपये जमा हुए हैं, जिसमें मुख्य मन्त्री कोष तथा प्रधान मन्त्री कोष में क्रमशः ४,०१,८९२.२० रुपये एवं ९३,२७२.४९ रुपये हैं।

*७०—श्री लखीसिंह—

क्या यह सत्य है कि उक्त कोष में व्यापारी वर्ग ने किसान तथा मजदूरों की अपेक्षा कम दिलचस्पी ली है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां।

*७१—श्री लखीसिंह—

क्या सरकार को पता है कि मथुरा, वृन्दावन और कोसी कलां में सर्राफे की कितनी दुकानें हैं और उनसे सरकार को सुरक्षा कोष के लिये कितना सोना मिला है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मथुरा नगर में ९५ दुकानें, वृन्दावन नगर में १३ दुकानें, कोसी में २१ दुकानें हैं। इन सर्राफों की दूकानों से सुरक्षा कोष के लिये कोई सोना नहीं मिला।

*७२-७३—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

[२८ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

बन्दूक लाइसेन्स नियमों में परिवर्तन

*७४—श्री जगदीशप्रसाद (जिला बहराइच)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या बन्दूक का लाइसेन्स देने सम्बन्धी नियमों में कुछ ढिलाई की है? यदि हां, तो क्या?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

नये आर्म्स ऐक्ट, १९५९ के अन्तर्गत, जो १-१०-६२ से लागू हैं, बीस इंच या उससे लम्बी बैरल वाली स्मूथ बोर (Smooth bore) बन्दूकों के लाइसेन्स के लिये हैसियत की कोई कैद नहीं है, और न ही इसके लिये प्रार्थी को अपनी आवश्यकता सिद्ध करने की जरूरत है। बन्दूकों के लाइसेन्स अब केवल हथियार को सुरक्षित रखने की प्रार्थी की क्षमता-योग्यता, उसके पूर्व चरित्र और सार्वजनिक शांति और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये दिये जांयगे।

बांदा जिले में करघा उद्योग

*७५—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

क्या सरकार बांदा जिले में करघा उद्योग की स्थापना का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री फूलसिंह—

बांदा जिले में हथकरघा उद्योग पहले से प्रचलित है।

*७६—श्री मतोलासिंह—

[२८ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

*७७—श्री सईद अहमद (जिला सहारनपुर)—

[२१ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

सुरक्षा कोष विरोधी कथित नरेश

*७८—श्री झारखंडेराय—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सरकार को भारत सरकार से एक गम्भीर शिकायत प्राप्त हुई है कि प्रदेश के एक भूतपर्व नरेश देश भर में घूम-घूम कर भूतपूर्व नरेशों को सुरक्षा कोष में धनदान न करने का गुप्त प्रयत्न कर रहे हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी नहीं।

*७९---श्री झारखंडेराय--

यदि हां, तो सरकार इस गम्भीर विषय में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

इसका प्रश्न ही नहीं उठता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा कोष

*८०---श्री कल्याणचन्द मोहिले--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि प्रदेश के कितने आदमी या फर्म ऐसे हैं जिन्होंने सुरक्षा फंड में दान के वायदे के बाद अभी तक वह रकम सुरक्षा फंड में नहीं दी जिस का उन्होंने वायदा किया था?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

इस प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं है।

*८१---श्री कल्याणचन्द मोहिले--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो धन सुरक्षा फंड के नाम पर प्रदेश में लिया गया है उस में कितना धन प्रदेश में सुरक्षा के कार्य में खर्चा किया गया तथा कितना धन केन्द्रीय सरकार को भेजा गया?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

प्रदेश में प्राप्त धन में से सुरक्षा के कार्य पर कोई धन खर्च नहीं किया गया।

अब तक तीन करोड़ पचास लाख रुपये (केन्द्रीय) राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में भेजा गया।

*८२---श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

[६ठे बुधवार के लिये प्रश्न ८० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*८३---श्री कैलाश (जिला देवरिया) तथा श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

[२८ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

मऊरानीपुर में नई अदालतें न खुल सकना

*८४---श्री काशीप्रसाद द्विवेदी (जिला झांसी)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में मऊरानीपुर में एस० डी० ओ० कोर्ट व जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट खोलने के आदेश कब हो चुके हैं और उपरोक्त अदालतों के आफिस मऊरानीपुर में कब तक खुल जावेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

एस० डी० ओ० को मऊरानीपुर भेजने का प्रश्न संकट की अवस्था के कारण निलम्बित कर दिया गया है। जुडिशियल अफसर को झांसी से न हटाने का निर्णय ले लिया गया है।

पन्नी जी चीनी मिल पर सेस का बकाया

*८५---श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में पन्नी जी शुगर मिल पर कितना रुपया आज तक सेस का बाकी है और उसके वसूल करने के क्या-क्या साधन अपनाये गये हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

इस मिल पर सेस क्रय कर की मद के अन्तर्गत २०-२-६३ तक लगभग १७.९८ लाख रुपये बकाया था। गन्ना आयुक्त द्वारा उक्त रकम में से १५.९६ लाख रुपये की वसूली के लिये १९-११-६२ को रिकवरी सर्टीफिकेट जारी कर दिया गया है।

*८६—श्री हिम्मतसिंह तथा श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पन्नी जी शुगर मिल पर किसानों के गन्ने का कितना रुपया १९६२-६३ का बाकी है और उसकी वसूली के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

उक्त मिल पर गन्ने के मूल्य के रूप में वर्तमान सीजन २०-२-६३ तक ८.७६ लाख रुपये शेष था। गन्ना आयुक्त ने उक्त रकम में से ८,५०,३७२.२१ रुपये की वसूली के लिये २ फरवरी, १९६३ को रिकवरी सार्टीफिकेट जारी कर दिया है।

सुरक्षा कोष सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार का कथित डाइरेक्टिव

*८७—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भारत सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई ऐसा डाइरेक्टिव आया है कि जिसमें यह कहा गया है कि प्रधान मन्त्री तथा मुख्य मन्त्री सुरक्षा कोष में जो चन्दा वसूल हुआ है उस के द्वारा कोई प्रेस किसी ट्रस्ट के अन्तर्गत दिल्ली में स्थापित किया जाय तथा प्रदेशीय सरकार उस कोष में २० हजार रुपया प्रचार में खर्च करे ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इस प्रकार का कोई डाइरेक्टिव भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

*८८—श्री सूरजपालसिंह (जिला बदायूं)—

[२८ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

सदस्यों का वेतन

*८९—श्री श्रीराम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान मंडल के सदस्यों को मार्च, १९६२ के ७ मार्च से २३ मार्च तक के वेतन का न मिलने का क्या कारण है जिसकी घोषणा सदन में सूचना मन्त्री ने की थी ?

सूचना राज्य मन्त्री (श्री बनारसीदास)—

विधान सभा के सदस्यों को दिनांक ७ मार्च, १९६२ के वेतन देने के सम्बन्ध में जो घोषणा सदन में हुई थी, उसको कार्यान्वित करने के हेतु उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्यों की उपलब्धियों का (संशोधन) विधेयक, १९६२, जो विधान परिषद् द्वारा दिनांक १ नवम्बर, १९६२ को पारित हुआ, विधान सभा के विचारार्थ लम्बित है।

*९०—श्री शांतिचन्द्र शुक्ल—

[५वें शुक्रवार के लिये प्रश्न १२५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

हिन्दुस्तान समाचार हिन्दी टेली-प्रिन्टर

*९१—श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

क्या सूचना मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि "हिन्दुस्तान समाचार" से जो खबरें उत्तर प्रदेश सरकार लेती थी उसे क्यों बन्द कर दिया गया ? क्या इस सम्बन्ध में प्रेस कन्सल्टेटिव कमेटी का भी कोई निर्णय हुआ है ?

श्री बनारसीदास—

'हिन्दुस्तान समाचार' से कोई समाचार नहीं लिया जाता था। जी नहीं।

*९२—श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या सरकार ने हिन्दी टेलीप्रिंटर के व्यापक प्रचार की कोई योजना बनाई है ?

श्री बनारसीदास---
जी नहीं ।

*९३--श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--
[२८ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया ।]

फतेहपुर जिला सुरक्षा कोष समिति

*९४--श्री दीपनारायणसिंह--
क्या मुख्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर की सुरक्षा समिति में कौन-कौन व्यक्ति, सदस्य के रूप में लिये गये हैं ? इन व्यक्तियों के जिला सुरक्षा-समिति में लिये जाने के लिये जिलाधीश महोदय, फतेहपुर ने किन आधारों व विशेषताओं को दृष्टि में रखा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--
फतेहपुर जिला सुरक्षा कोष समिति के सदस्यों के नाम संलग्न सूची में दिये हुये हैं ।

इस समति का संगठन जिलाधीश द्वारा इस आधार पर किया है कि जिले के ऐसे सार्वजनिक कार्यकर्त्ता जिनको युद्ध सम्बधी प्रयत्न में काफी दिलचस्पी हो और जो ऐसे उपयुक्त उदाहरण उपस्थित कर सकें जिनको दूसरे लोग भी अनुसरण करें, जिला परिषद् के अध्यक्ष और मुख्यालय की नगरपालिका के सभापति एवं महत्वपूर्ण संस्थाओं तथा संगठनों से सम्बद्ध प्रमुख व्यक्ति भी इसके सदस्य हैं।

(देखिय नत्थी 'छ' पृष्ठ ४०३ पर)

बाराबंकी में सुरक्षा कोष के लिए महिला हाकी मैच

*९५--श्री गिरजाप्रसाद--
क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी में जनवरी, १९६३ में सुरक्षा कोष के लिये धन एकत्रित करने के लिये छात्राओं के हाकी मैच का आयोजन किया गया ? यदि हां, तो इसमें टिकटों की दर क्या थी और कितनी धनराशि टिकट बिक्री से एकत्रित की गयी ? इस आयोजना पर कितना व्यय हुआ और कितनी धनराशि सुरक्षा कोष में जमा की गयी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--
जी नहीं । बल्कि दिनांक ४ जनवरी, सन् १९६३ को महिलाओं का हाकी मैच प्रेसीडेन्ट ११ और प्राइम मिनिस्टर ११ के बीच में हुआ था जिसका आयोजन आल इन्डिया हाकी वीमन एसोसियेशन ने किया था । इसमें टिकटों की दर ५० नये पैसे, १ रु०, २ रु०, ३ रु० और ५ रु० था । टिकट की बिक्री से कुल २,९२२ रु० ५० नये पैसे, प्राप्त हुए थे । इस आयोजन पर १,४७९ रु० ७१ नये पैसे व्यय हुए । १,१५१ रु० राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में जमा किये गये ।

*९६--श्री रामसुन्दर पाण्डेय--
[२८ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया ।]

*९७--श्री उमाशंकर तथा श्री रामसुन्दर पाण्डेय--
[२८ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया ।]

*९८--श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--
[२८ मार्च, १९६३ के लिय स्थगित किया गया ।]

अतारांकित प्रश्न

ए० डी० एम० (जे०)

१—श्री दीपनारायणसिंह—

क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या गत वर्ष उत्तर प्रदेश के मंत्रिमन्डल ने यह निर्णय लिया था कि डिप्टी कलेक्टरों में से ए० डी० एम० (जे) न बनाये जायें, बल्कि जुडिशियल अफसरों में से बनाये जायं ? यदि हां, तो उक्त निर्णय का पालन किस हद तक किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मंत्रिमंडल ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है ।

२—श्री दीपनारायणसिंह—

क्या मुख्य मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि उस समय इस प्रदश में कुल कितने ए० डी० एम० (जे) उक्त निर्णय के बाद बनाये गये और उनमें कितने डिप्टी कलेक्टरों में से ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

प्रश्न नहीं उठता ।

३-४—श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

[२८ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये ।]

५-६—श्री गंगाप्रसाद—

[२८ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये ।]

७—श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर)—

[२८ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया ।]

८-१०—श्री सूबेदारसिंह—

[२८ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये ।]

टांडा-मुबारकपुर में चोरियां

११—श्री महादेव (जिला फैजाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि नवम्बर, सन् १९६२ से जनवरी, १९६३ तक टान्डा मुबारकपुर (फैजाबाद) में कितनी चोरियां हुई हैं और उनमें कितनी रकम जाने की रिपोर्ट हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

उक्त अवधि में टांडा-मुबारकपुर में कुल १२ चोरियां हुईं । इनमें कुल मिलाकर १८,२६२ रु० ४ न० पै० के माल की चोरी हुई ।

१२—श्री जगन्नाथ राव—

[२८ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

जलालपुर के थानेदार के विरुद्ध शिकायतें

१३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि थाना जलालपुर, जिला फैजाबाद के थानेदार के विरुद्ध मन्डल कांग्रेस कमेटी, मियांव के अध्यक्ष नें भ्रष्टाचार की भीषण शिकायतें अगस्त, १९६२ में की हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उन शिकायतों पर अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--
जी हां ।
शिकायतों की जांच कराई गई और वे सही नहीं पाई गईं ।

१४--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--
क्या सरकार शिकायतों की प्रमुख बातें सदन के समक्ष रखने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--
शिकायतों का ब्यौरा संलग्न तालिका में दिया हुआ है ।
(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ४०४ पर)

१५-१६--श्री चन्द्रबलीसिंह--
[२८ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये ।]

रुद्रपुर थानान्तर्गत चौकियां

१७--श्री चन्द्रबलीसिंह--
क्या सरकार देवरिया जिला के रुद्रपुर थाना के तिअरा खैरवा, मदनपुर और तिवई नामक ग्रामों में पुलिस चौकी स्थापित करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--
जी नहीं ।

सेमी आटोमेटिक बन्दूकों के लाइसेंस

१८--श्री केशव सिंह (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री सुरेन्द्रविक्रम--
क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि कुछ हथियारों के लाइसेंस गृह सचिव एवं मुख्य सचिव देते हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से हथियारों के ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--
नये आर्म्स रुल्स, १९६२ के अनुसार सेमी आटोमेटिक बन्दूकों (semi-automatic guns) जिनमें कारबाइन भी शामिल हैं, और बीस इन्च से कम लम्बी बैरल वाली स्मूथ बोर (smooth bore) बन्दूकों को रखने के लिए लाइसेन्स शासन द्वारा दिये जाते हैं ।

तेल मिल एसोसिएशन, कानपुर

१९--श्री कल्याणचन्द मोहिले--
क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर के तेल मिल के एसोसिएशन ने तेल निकालने के सामान विदेश से न आने से अपनी दिक्कतें सरकार के पास लिख कर भेजी हैं ? यदि हां, तो क्या उनको सुविधा देने का विचार है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री फूलसिंह--
(क) जी नहीं ।
(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

२०--श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पाण्डेय--
[२८ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया ।]

२१--श्री मुहम्मद रफी खां--
[५वें मंगलवार क लिय प्रश्न ५१ क अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

केन क्रशर लाइसेन्स

२२—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या सरकार बतायेगी कि जिन जिलों में गन्ना कम होने की आशा है उन जिलों में केन क्रशर के लाइसेंस देने या रिन्यू करने में सरकार की पालिसी क्या होगी ? क्या सरकार इस संबंध में अपनी पालिसी का एलान २० अप्रैल, १९६३ तक करने की कृपा करेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना —

क्रशर के लाइसेंस देने या रिन्यु करने की पालिसी गन्ने के उत्पादन से संबंध रखती है। चीनी का देश में कितना उत्पादन होना चाहिये इससे भी उसका संबंध होता है और इस कारण भारत सरकार की नीति का ध्यान रखना पड़ता है। आमतौर से हर केस को मेरिट पर देखकर के ही इस संबंध में फैसला किया जाता है। तारीख ३० अप्रैल, १९६३ तक कोई announcement होने की संभावना नहीं है। पर जब भी कोई policy statement issue करने की जरूरत समझी जावेगी तो अवश्य वैसा एलान किया जायेगा।

२३–२५—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

[९वें गुरुवार के लिये तारांकित प्रश्न १–३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

२६—श्री इन्द्रासनसिंह—

[२८ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

२७–२८—श्री गंगाप्रसाद—

[२८ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

२९–३१—श्री गुप्तारसिंह—

[२८ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

३२–३४—श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती) तथा श्री विजयसिंह—

[२८ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

३५–३८—श्री ऊदल तथा श्री विजयपालसिंह—

[सचिवालय प्रशासन विभाग (विविध) को विभाग का निर्धारण करने के लिये भेजे गये हैं।]

३९–४०—श्री हिम्मतसिंह तथा श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

[२८ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

बस्ती के थाना कोतवाली का कथित डकैती काण्ड

४१—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या मुख्य मंत्री जांच करा के एक रपट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे कि क्या जनवरी, १९६३ के अन्तिम सप्ताह में बस्ती जिले के थाना कोतवाली के अन्तर्गत कोई डकैती काण्ड हुआ जिसमें पुलिस तथा गांव की जनता में मुठभेड़ हुई जिसके परिणाम स्वरूप दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी नहीं। इस प्रकार की कोई घटना थाना कोतवाली के अन्तर्गत नहीं हुई।

४२—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या इस काण्ड के संबंध में कोई प्रेस वक्तव्य जिलाधीश, बस्ती ने भी जारी किया है ? यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

प्रश्न नहीं उठता।

गौरी बाजार गन्ना परिषद् की बैठकों पर व्यय तथा गन्ने की तौल

४३---श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला की गौरी बाजार गन्ना परिषद् (बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स) सीजन १९६०-६१ व १९६१-६२ तथा चालू सीजन में क्रम से कुल कितनी बार बैठा ? कुल बैठकों में अलग-अलग कितना व्यय हुआ ? बैठकों के प्रारम्भ होने का समय तथा तिथियां क्या हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

देवरिया जिले की गौरी बाजार गन्ना परिषद् (बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स) की वर्ष १९६०-६१ मे ११, १९६१-६२ में १५ और चालू वर्ष में १५-२-६३ तक १५ बैठकें हुई हैं। कुल बैठकों में अलग-अलग व्यय, उनके प्रारम्भ होने का समय और तिथियां संलग्न तालिका में दी हुई हैं ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ४०५-४०६ पर)

४४---श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की किन-किन चीनी मिलों में बैल गाड़ियों पर से गन्ना दिन रात तुलता रहता है और किन किन में सिर्फ दिन में ही तुलता है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

प्रदेश की जिन चीनी मिलों में बैलगाड़ियों पर से गन्ना दिन रात या रात में देर तक तुलता रहता है और जिन मिलों में बैलगाड़ियों द्वारा केवल दिन में लाया गया गन्ना तुलता है उसका विवरण क्रमशः संलग्न† तालिका 'क' व 'ख' में दिया हुआ है ।

४५---श्री चन्द्रबलीसिंह---

जिन चीनी मिलों में रात में भी गन्ना तुलता रहता है उनके कम्पाउन्ड में रात में गन्ने से लदी गाड़ियों के रहने का औसत क्या है ? रात में शीत और वर्षा से आदमियों और पशुओं को बचाव के लिये साये की क्या व्यवस्था है ? जो मिल-मालिक साये की व्यवस्था नहीं किये हैं क्या सरकार साये की व्यवस्था हेतु कदम उठायेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

ऐसी मिलों के कम्पाउन्ड में रात में गन्ने से लदी गाड़ियों के रहने का औसत तथा रात में शीत और वर्षा से मनुष्यों और पशुओं के बचाव के लिये की गई व्यवस्था का विवरण क्रमशः उपरोक्त तालिका* 'क' के स्तम्भ ४ व ५ में दिया हुआ है। जिन मिलों ने साये की व्यवस्था नहीं की है गन्ना आयुक्त ने उन्हें उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन नियम, १९५४ के नियम ४० (डी) के अधीन आवश्यक व्यवस्था करने के लिये हिदायत कर दी है।

सूचना अधिकारी

४६---श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

क्या सूचना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने सूचना अधिकारी ऐसे हैं जो आप ही जिलों में अपना पद संभाल रहे हैं ? क्या इनमें से किसी के बारे में राजनीतिक दलबंदी की शिकायत उन्हें प्राप्त हुई है ?

श्री बनारसीदास---

पांच जिला सूचना अधिकारी ऐसे हैं जो उन जिलों में कार्य कर रहे हैं, जहां के वे रहने वाले हैं । इनमें से केवल एक अधिकारी के बारे में स्थानीय गुटबंदी में लिप्त रहने की शिकायत प्राप्त हुई थी जो जांच के बाद निराधार पायी गयी ।

---

†छापी नहीं गई ।

४७—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या सूचना मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सूचना अधिकारियों में कितनी महिलायें और कितने हरिजन हैं ?

श्री बनारसीदास—

जिला सूचना अधिकारियों में कोई महिला अधिकारी नहीं है। एक अधिकारी हरिजन है।

४८—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या सूचना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय रीतिनीति का प्रचार और प्रसार नगरों की अपेक्षा ग्रामों में अधिक जरूरी है इसलिये प्रत्येक ब्लाक में वे एक ए० डी० ओ०, सूचना नियुक्त करेंगे ?

श्री बनारसीदास—

राजकीय रीति नीति का प्रचार तथा प्रसार नगरों तथा गांवों में समानतः आवश्यक है। नागरिक प्रशासन (Civil Administration) पर व्यय की कमी की सरकारी नीति को ध्यान में रखते हुये प्रत्येक ब्लाक में एक ए० डी० ओ० (सूचना) की नियुक्ति संभव नहीं है ।

गन्ना विकास विभाग की डायरी

४९—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कृषि विभाग (गन्ना विकास) की तरफ से जो डायरी दो प्रकार की तथा कैलेन्डर सन् १९६३ का छापा गया है उसकी तादाद कितनी है और इस पर कितना रुपया व्यय हुआ है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा सन् १९६३ में कोई डायरी तथा कैलेन्डर नहीं छापा गया है अतः अन्य प्रश्न उठते ही नहीं ।

५०—श्री ऊदल—

क्या सरकार को पता है कि सूचना विभाग द्वारा डायरी तथा कैलेन्डर सन् १९६३ का छापा गया था जिसे वितरित भी कर दिया गया है, तो कृषि विभाग द्वारा इसको छापने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) नियमावली, १९६० में प्रख्यापित संशोधन*

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) नियमावली, १९६० में खाद्य तथा रसद विभाग की विज्ञप्ति संख्या डब्ल्यू० एम० आर० ए० एम० (७)-२२२८/२९(१३) डब्ल्यू० एम०-६१, दिनांक २३ नवम्बर, १९६२ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, १९५९ की धारा ४३ की उपधारा (५) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

---

*छापे नहीं गये ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय खाद्य मंत्री, एक बात मैं निवेदन कर दूं। आपने जो यह संशोधन रखा है यह २३ नवम्बर, सन् १९६२ का है । इतने विलम्ब से यह नहीं आना चाहिये था । ज्यादा से ज्यादा मेरी समझ से २ महीने का समय सरकार ले सकती है अपने संशोधनों को तैयार करके सदन की मेज पर रखने में । यह २३ नवम्बर का है और आज १४ मार्च हो गई। यह बहुत लेट है । जरा इस पर ध्यान रखना चाहिये । सरकार इन बातों का ध्यान रखे।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी कारण तो बता दें ।

श्री अध्यक्ष—

अब आपने एतराज नहीं किया । वह तो मैंने अपनी तरफ से कहा ।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन*

विद्युत् उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन शर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यू० पी० मोटर वैहिकिल्स रूल्स, १९४० में परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम० बी० आर० ए० एम०–४६ (२६७)–टी० एम०/३०–बी० (९) (९६)–पी०–६१, दिनांक ६ फरवरी, १९६३ के अधीन प्रख्यापित संशोधन को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

प्रदेश के कुछ जिलों में उपलवृष्टि तथा वर्षा से क्षति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

माननीय उग्रसेन जी, आपका एक कामरोको प्रस्ताव है। एक बात ध्यान में रखने की है कि कामरोको प्रस्ताव में जब तक कि स्पष्ट रूप से (क्लीअरली) सरकार के ऊपर कोई आरोप न लगाया जाय तब तक कामरोको प्रस्ताव का विषय बनता नहीं है । उसी संबंध में उसी विषय पर नियम ५२ की कई सूचनायें हैं । यह नियम ५२ की सूचनाओं का जो विषय है माननीय राजस्व मंत्री, उसको मैं महत्वपूर्ण समझता हूं । विभिन्न गांवों में जो ओलाबारी हुई है, वर्षा हुई है, फसल खराब हुई है उसके संबंध में मुझे यह सूचना मिली है कि अल्प सूचित तारांकित प्रश्न दिया गया है तो वह अल्प सूचित तारांकित प्रश्न आप स्वीकार कर लीजियेगा ।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

वह मैं देख लूंगा। सारी इनफार्मेशन यहां होगी तो हम जल्दी जवाब दे देंगे, नहीं तो बयान दे देंगे ।

श्री अध्यक्ष—

आप वक्तव्य दे दीजियेगा ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मैं ४ रोज के बाद दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

आप १९ तारीख को वक्तव्य दे दीजियेगा। (श्री उग्रसेन जी से) यह आपका नियम ५२ भी मैंने इसी में शामिल कर लिया है ।

---

*छापे नहीं गये।

श्री हरिनन्दनशरण भटनागर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, सिविल सूट के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा विधान सभा सचिवालय के लेख्यों की मांग

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना मेरे सामने रखी गई है जो मुझे इस सदन के माननीय सदस्यों को देनी है । वह यह है कि सिविल सूट 'श्री हरिनन्दन शरण भटनागर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य' के मामले में अतिरिक्त मुन्सिफ, लखनऊ, के न्यायालय के माध्यम से वादी द्वारा विधान सभा सचिवालय से संबंधित कुछ लेख्य मांगे गये थे । श्री हरिनन्दन शरण भटनागर ने यह शिकायत की है कि उनको जो आफिस में पोस्ट मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिली और इसी संबंध में उन्होंने दावा दायर किया है । उस संबंध में कुछ लेख्य पत्र हमारे यहां से तलब हुये हैं । नियम यह है कि जितने लेख्य पत्र हैं वह सदन की कस्टडी में समझे जाते हैं और सदन की ही आज्ञा से मैं उन कागजात को अदालत में दाखिल कर सकता हूं । तो मैंने वह सूचना, जो आई है, विशेषाधिकार समिति को भेज दी है कि वह निश्चय करे कि वह लेख्य पत्र अदालत में दाखिल हो सकते हैं या नहीं या फिर हम यह कुछ क्लेम करें कि वह हमारे कान्फिडेन्शल पत्र हैं । जब उसकी रिपोर्ट आ जायेगी तो उसे मैं आपके सामने रख दूंगा ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

मेरा भी एक प्वाइंट आफ आर्डर है । वह बहुत दिनों से पड़ा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष—

उसको आप कल उपस्थित कीजियेगा ।

विशेषाधिकार का प्रश्न

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—

मेरा एक प्रिविलेज का मोशन कई दिन से पड़ा हुआ है । उसको आज लेने के लिये माननीय उपाध्यक्ष ने आश्वासन दिया था । उस पर आपका क्या फैसला है ?

श्री अध्यक्ष—

अब मैं आ गया हूं, तो मैं उसको देख लूंगा । वह आज ही मेरे सामने रखा गया है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

होली के बाद आप पधारे हैं तो मैं चाहता हूं आप और आराम करें ।

श्री अध्यक्ष—

धन्यवाद ।

(इस समय ११ बज कर ३८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुये ।)

१९६३–६४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २५—नियोजन और एकीकरण

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करती हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या २५— नियोजन और एकीकरण के अन्तर्गत ११,७२,२४,८०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि यह जो बजट इस सदन के सामने रखा गया है, यह देश में लड़ाई की पृष्टभूमि होने के कारण उसको ध्यान में रखते हुए रखा गया है । यह परिस्थिति होने के कारण कुछ मनोभावना इस प्रकार की इस देश में पैदा हुई है, और होना लाजिमी भी है, कि उन्हीं चीजों की ओर ध्यान देना चाहिये जिससे देश की सुरक्षा हो, जिसमें हमारी शांति की नीति मजबूत हो और जो विकास के काम हैं उनकी गति कुछ धीमी कर दी जाय । ऐसे समय में विकास के कामों का महत्व कुछ कम समझा जाता है । परन्तु इस परिस्थिति में हमको यह फिर विचार करना चाहिये कि जो विकास के काम हैं उनको घटाया जाय, या उनको उसी तादाद में रखा जाय या और अधिक बढ़ाया जाय । यह एक विचारणीय प्रश्न है ।

मैं इस संबंध में आपको यह बता देना चाहती हूं कि हम सामुदायिक विकास योजनाओं के द्वारा सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे देश में यह कोशिश कर रहे हैं कि ग्रामांचलों की उन्नति हो । जो हमारा सबसे कमजोर तबका है, उसका विकास हो ताकि वह अपने जीवन को उन्नत कर सके और वह अपने जीवन का सर्वतोन्मुखी विकास कर सके । यही हमारा उद्देश्य है । अब प्रश्न यह है कि विकास केवल सरकार की मदद से हो या लोगों की अपनी चेष्टा से हो ? सामुदायिक विकास की नीति यही है कि यह काम लोगों के प्रयास से कराया जाय, क्योंकि जो ऊपर की मदद होती है, वह टिकाऊ नहीं होती है । यदि उनकी वास्तव में सहायता करनी है, तो उनके अन्दर एक इनिशिएटिव पैदा करना होगा, लोगों के अन्दर सहयोग की भावना पैदा करनी होगी, हमको पीपुल्स पार्टिसिपेशन और पीपुल्स इनीशिएटिव की भावना जगानी होगी । अगर हम ऐसा कर सके तभी विकास में हमें सफलता मिल सकती है ।

दूसरी बात यह है कि यह जो ग्रामीण स्तर पर विकास का संगठन बने वह किस राजनीतिक पद्धति से हो ? उसका केवल एक ही उत्तर है और वह यह है कि वह डेमोक्रैटिक तरीके से हो सकता है । हमको यह काम गांव की इकाइयों द्वारा निम्न स्तर पर इस जनतांत्रिक पद्धति को लोगों में उतारना है । जनता को अपने आप अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाना है । टु टीच दि पीपुल हाऊ टु गवर्न देमसेल्वज के मार्ग पर हमको चलना है और यह भी हम चाहते हैं कि हमारे देश और प्रदेश का इकनामिक बेस स्ट्रेंग्थेन्ड हो । जिसको प्रापर प्लानिंग में सेल्फ जेनरेटिंग इकानमी कहा जाता है, वह तैयार हो ताकि नीचे स्तर पर जनता की शक्ति बढ़े । इससे देश की वास्तविक उन्नति होगी ।

एक बात और मैं यह कहना चाहती हूं कि हमार देश में समाज में लोगों का ज्यादातर इंडीविजुअलिस्टिक आउटलुक-व्यक्तिगत दृष्टिकोण रहता है । मैं आपको बता दूं कि कम्युनिस्ट डेवलपमेंट के जरिये सामुदायिक विकास और सामूहिक कम्युनिटी आउटलुक लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोग अपनी समस्याओं का समाधान व्यक्तिगत तरीके से न सोचें । लोगों में यह मनोभावना पैदा हो कि सारी समस्या का समाधान सहयोग द्वारा किस प्रकार हो सकता है । हम यह समझते हैं कि इसके बिना इस प्रदेश और देश की उन्नति नहीं हो सकती है । यह बड़ा गरीब और पिछड़ा हुआ प्रदेश है, उसमें यह शक्ति नहीं है कि वह आगे उठ सके । उनको सामूहिक संगठन के द्वारा ही आगे बढ़ाया जा सकता है । यह सब काम हैं जिनको कि हम और हमारी सरकार करने की कोशिश कर रही है । यह काम कराने के लिये हम जिस पैटर्न के आधार पर चल रहे हैं वह है डैमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन । प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की योजना इसलिये बनाई गई है कि लोगों में सामूहिक दृष्टिकोण पैदा हो, लोगो में इनीशिएटिव पैदा हो, लोगों में अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की शक्ति पैदा हो । तभी यह काम हम सम्पन्न कर सकते हैं । आप देखें कि पिछले कुछ सालों में हमारे उत्तर प्रदेश में विकास की गति कुछ धीमी रही है और दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में । प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण के तरीके से हम विकास के कामों में नई जान लाना चाहते हैं और ऐसा हो रहा है । मगर जो प्रजातान्त्रिक

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

विकेन्द्रीकरण का ढांचा है, उसमें आप देखें कि जिला परिषद् और क्षेत्र समिति अपनी-अपनी जगह अधिकार पा रही है । हम लोग यह कोशिश कर रहे हैं कि निम्नस्तर पर जो गांव सभा की इकाई है, उसमें कर्मशक्ति लोगों में पैदा हो जिससे कि नीचे के स्तर पर डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह से हो सके और वह इस काम में पूरी तरह से हाथ बंटा सकें। अब तक शासन का तरीका एक ब्यूरोक्रेटिक तरीका था पर अब कोशिश कर रहे हैं कि यह काम प्रजातांत्रिक तरीके से हो । यह काम एक दम मुश्किल है । क्योंकि दृष्टिकोण बदलने में, जिम्मेदारी समझने में समय लगता है। इसलिये जहां हमारा प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण का काम चल रहा है वहां जगह-जगह शिकायतें और दिक्कतें हैं। एक शिकायत यह है कि हमारे अफसरों का रिओरि-एंटेशन होना चाहिये, उनको इस ढांचे में ढाला जाय कि हम हुकूमत नहीं कर रहे हैं बल्कि जनता के काम में मदद कर रहे हैं।

जनता के लोगों को समझाना है कि गवर्नमेंट के लोग हुकूमत करने वाले नहीं है, बल्कि मदद करने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि आफिश्यल और नान-आफिश्यल कार्यकर्ताओं को कैसे एडजस्ट करवाया जाय। नान-आफिश्यल लोग नया-नया इन्तजाम सम्भाल रहे हैं उनको भी परेशानी होती है, शिकायत आती है जैसे कि प्रमुखों द्वारा टीचरों का बहुत ट्रांस्फर हो रहा है । नया-नया जब किसी के पास अधिकार आता है तो उसका अधिक उपयोग करने की कोशिश की जाती है । कुछ दिनों के बाद एक सामंजस्य बैलेंस आ जाता है । तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक बड़ा भारी डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट हम देश में उतारने की कोशिश कर रहे हैं । यदि यह कार्य हम सुचारुरूप से नहीं उतार सके तो डेवलपमेंट प्रोग्राम में हमें कायमाबी नहीं हो सकती । यह एक मुश्किल और नाजुक चीज है जिसमें सब लोगों की मदद और सहारे की आवश्यकता है। इस समय खास कर लड़ाई की पृष्ठभूमि में हमारे सामने एक बड़ी-भारी चुनौती है डेमाक्रेटिक वे आफ लाइफ की है । डेमोक्रेटिक तरीके से हम उठने की कोशिश करते हैं । हमें कम्युनिस्टों की चुनौती है कि हम इसको रख सकेंगे या नहीं। तो इस सब के सामने हमको खड़ा होना है, उसके लिये भीषण प्रयत्न करके काम करना है । जो छोटी-छोटी गांव की इकाइयां हैं उनमें शक्ति देकर संगठित करना है । ईश्वर न करे, अगर लड़ाई छिड़ जाय तो उसका बोझा वह बरदाश्त कर सकें उनमें इतना इनिशिएटिव हो, और नीचे स्तर पर सारी शक्ति को विकेन्द्रित करके इमरजेंसी के मौके पर टोटल मोबिलाइजेशन आफ रिसोर्सेज ऐंड मैन-पावर हमको करना है । जब हम यह कर सकेंगे तब हमारे सामने जो चुनौती है उसका जवाब दे सकेंगे, यह एक बड़ा भारी काम है ।

यह हम तभी कर सकेंगे जब हमारे विकास का काम पूरी तेजी से चलेगा और इमरजेंसी समझ कर विकास के काम को ढीला कर दें तो टोटल मोबिलाइजेशन आफ रिसोर्सेज ऐंड मैन-पावर फार रेजिस्टिंग दि एनिमी जो हम करना चाहते हैं वह नहीं कर सकते, इसलिये लड़ाई के समय विकास का काम बड़ा महत्व रखता है ।

सामुदायिक विकास ब्लाकों के बारे में यह कहना है कि सन् ६३–६४ के लिये हम ८, ३० लाख की बर्जेटिंग कर रहे हैं। हमारा ब्लाकों का काम पहले से बढ़ गया है। पहले जहां ७१० ब्लाक थे, अब ८७५ हो गये हैं, यानी १६५ बढ़ गये हैं, मगर बजट ११ करोड़ के बजाय ८ करोड़ ३० लाख रख रहे हैं। हमने इतनी कोशिश करके इसलिये बचाया है जिससे कम खर्च हो, यानी ११ करोड़ के बजाय ८ करोड़ रखा गया है खर्चा जब कि काम दायरा पहले से बढ़ गया है । इन ८७५ ब्लाक्स में ४६८ स्टेज वन्, २०९ स्टेज टू और १६५ स्टेज प्रीसीडिंग एक्सटेंशन में रहेंगे और हम आशा करते हैं कि १६५ जो स्टेज प्रीसीडिंग एक्सटेंशन में हैं वह बहुत जल्दी ही स्टेज वन में पहुंच जायेंगे । जब हम कोई प्रोग्राम चलाते हैं तो हम जरूरत के हिसाब से समय-समय पर उसमें हेरफेर भी करते हैं । हम इमरजेन्सी की वजह से उत्पादन और खासकर कृषि उत्पादन पर अधिक इम्फैसिस दे रहे हैं। खरीफ और रबी आन्दोलन का खासा काम कृषि उत्पादन के क्षेत्र में हमारा चला था और आज करीब १५ लाख एकड़ जमीन में जापानी ढंग से खेती करने का बहुत अच्छा काम हुआ है । इसमें हमें कुमायूं और बरेली डिवीजन में सबसे अधिक कामयाबी मिली है ।

अच्छा बीज बांटने का हमने नया तरीका अपनाया है। कुछ गांव सभाओं ने चुनौती लगायी थी प्रोडक्शन के काम में और इस प्रोग्राम में बहेरी ग्राम सभा मल्लावां ब्लाक ने प्रदेश का प्रथम पुरस्कर प्राप्त किया है। वहां सबसे अधिक प्राइज मिली है इस ग्राम को १९ सौ एकड़ में ६१.१४ मन धान ऐवरेज ईल्ड लाने के लिये। प्रोडक्शन प्रोग्राम में कुछ अड़चनें थीं। इसलिये हमने बहुत सोच विचार करके देखा और कोशिश की है कि उसकी फंक्शनिंग ठीक हो जाय। हमने उसमें नये-नये सुधार किये हैं जिनको मैं आपको बताना चाहती हूं।

जो स्टेट ट्यूबवेल्स हैं, अगर एक एरिया में उससे कोई जायद क्राप, १५ मार्च से १५ जून के अन्दर करेगा तो उसको ५० फीसदी सबसीडी पानी के लिये मिलेगी और अगर यही काम कैनाल से होगा तो २५ फीसदी की सबसीडी हम देने वाले हैं। फिर ब्लाक में बीज बांटने के लिये सबसीडी देने का विचार है। खंड बीज सहायक से जो बीज ले जायगा उसमें साढ़े १२ फीसदी प्रीमियम दिया जायगा यानी मोटे तौर से लगभग ३ रुपये मन पीछे सबसीडी देने के लिये हम तैयार हैं। हरी खाद के सिलसिले में भी साढ़े १२ प्रतिशत प्रीमियम दिया जा रहा है ताकि अच्छी तरह से प्रचार हो सके और लोग उसमें अधिक से अधिक लग सकें।

ट्यूबवेल गारन्टी स्कीम नाम की एक नई स्कीम हम चला रहे हैं जिसमें जहां २ हजार घंटे से कम ट्यूबवेल चलते हैं वहां लोग अगर खेती करें, मगर उन तरीकों से जो ब्लाक्स में क्राप पैटर्न है उनके मुताबिक और उसकी वजह से जो नुकसान पहुंचेगा वह नुकसान सरकार का होगा और इसलिये किया जा रहा है ताकि नये काम करने में जो नुकसान की वजह से हिच-किचाहट होती है वह दूर हो और लोग नयी पद्धति से उत्पादन बढ़ाने के लिये आगे आवें।

एक आम शिकायत यह थी कि प्लानिंग के सीमेंट का कोटा जगह-जगह पर पहुंचता नहीं है और इसलिये माइनर इर्रीगेशन का काम पूरा नहीं हो पाता है। इसके लिये हमने यह फैसला किया है और एक आर्डर निकाला है कि बी० डी० ओ० अब ब्लाक्स में सीमेंट का कोटा डिस्ट्रीब्यूट करें। एक और फैसला किया गया है कि वी० एल० डब्ल्यू० अब सारा काम ऐग्रीकल्चर प्रोडक्शन का करेगा। क्योंकि इस बारे में आप लोग यहां आम शिकायतें करते थे कि वी० एल० डब्ल्यू० ऐग्रीकल्चर का काम नहीं कर पाता है क्योंकि उसके जिम्मे बहुत से काम हैं। इसी के साथ-साथ कुछ इर्रीगेशन फैसिलिटीज बढ़ाई गयीं हैं। जो प्राइवेट ट्यूबवेल हैं उनकी एरिया को २० एकड़ के बजाय अब १० एकड़ कर दिया गया है बिजली पाने के लिये क्वालीफाई करने के लिये। इससे काफी सहूलियत हो जायगी।

एक नये किस्म के हाइब्रिड मेज के उत्पादन की कोशिश की जायगी जिसमें बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिये हमने कुछ वी० एल० डब्ल्यूज० को तथा अन्य कार्यकर्त्ताओं को विवेकानन्द लेबोरेट्री, अल्मोड़ा में ट्रेनिंग दी है। अब वह लोग तैयार हो गये हैं और इसी साल से काम करेंगे। एक और बड़ी खुशी की बात है कि २० लाख रुपये के बेहतर इम्प्लीमेंट्स पिछले साल खेती के लिये बांटे गये थे। पोल्ट्री आदि के काम को बढ़ाने की तरफ भी कोशिश की जा रही है और उसमें हमें काफी कामयाबी भी मिली है। खासकर पहाड़ों में हमें इस काम में काफी कामयाबी मिली है, लोग उसके लिये मांग कर रहे हैं। शुरू में कुछ दिक्कत जरूर हुई थी। प्लेन्स में कुछ दिक्कत अब भी है, मगर पहाड़ों में काफी सफलता मिली है। इस तरह से आप देखें कि सब्सीडियरी प्रोटीन फूड को बढ़ाने के लिये कुछ स्पेशल कोशिशें की जा रही हैं।

माइनर इर्रीगेशन की तरफ आप देखिये। सन् १९६२-६३ के लिये जितना रुपया रखा गया था वह सब बांट दिया गया और ऐसी आशा की जाती है कि करीब ३७० लाख एकड़ में ज्यादा सिंचाई हो पायेगी। इस स्कीम में जो काम हैं, उनमें कुछ में ईंट, कोयले और सीमेंट की कमी के कारण कमी जरूर आयी है, मगर कुछ में हमने अपने टारगेट से ज्यादा अचीवमेंट्स किये हैं। करीब ७०–७५ फीसदी तक हमारा काम पूरा हो जायेगा। कुछ कामों में हमें उम्मीद से भी ज्यादा सक्सेज मिली है, जैसे गूल बनाने के काम में ११२ परसेंट कामयाबी मिली है, ड्रिंकिंग

[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

वाटर वेल्स में १२९ परसेंट और ड्रेन्स बनाने में २४४.९ परसेंट। इसक अलावा, आपको मालूम होना चाहिये कि इस साल में हमने लोन के लिये ग्रो मोर फूड के लिये २.६६ करोड़ रु० का प्राविजन किया है, और माइनर इर्रीगेशन आदि पर १.७५ करोड़ रु०।

अब हमारी ट्रेनिंग स्कीम को देखिये। यह काम कोई आसान काम नहीं है। सी० डी० प्रोग्राम की सफलता में ट्रेनिंग का मुख्य स्थान है क्योंकि इसके जरिये हमें लोगों के आउटलुक में परिवर्तन लाना है और यह तभी हो सकता है जब हम उन्हें ठीक प्रकार की ट्रेनिंग दें। आप देखें कि ६६९ वी० एल० डब्ल्यू० ने दो साल की ट्रेनिंग पूरी करके अपना काम शुरू किया है और २०१ की ट्रेनिंग १९६२-६३ के आखिर तक पूरी हो जायेगी। १,५४४ वी० एल० डब्ल्यू० तथा दूसरों ने इनसर्विस ट्रेनिंग पायी और उनको फील्ड में काम करने के लिये भेजा है। जब से पंचायत राज का काम शुरू हुआ है, तब से नान-आफिशियल्स को ट्रेनिंग देने का कार्य एक महत्व का काम हो गया है। पहले इसके लिये हमारे यहां १६ सेन्टर्स थे, अब ८ और नये ऐड करके वह २४ हो गये हैं जहां पर कि करीब २० हजार नान-आफिशियल्स को ट्रेनिंग दी गयी है। ३५ यूथ वर्कर्स ट्रेनिंग कैम्प भी खोले गये हैं। १० सेन्टर्स पर एक नयी ट्रेनिंग शुरू की गयी है--वह है, न्यू स्कीम फार ट्रेनिंग विलेज आर्टीजन्स ऐंड फिटर्स। करीब २०० आदमी इस साल के आखिर तक इसमें ट्रेन्ड हो जायेंगे। अगले साल से यह नम्बर और बढ़ जायेगा। देहातों में छोटी-छोटी मशीनें लगानी पड़ती हैं, हैंड पम्प इत्यादि लगाने होते हैं, उनकी मरम्मत आदि की ट्रेनिंग उनको दी जाती है ताकि उसके लिये वहां परेशानी न उठानी पड़े।

एजूकेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत हमने ५,०४६ यूथ क्लब्ज आर्गेनाइज किये हैं। इनमें मेम्बरों की संख्या ८४ हजार तक पहुंच गयी है। सन् १९६३-६४ में ब्लाक यूथ काउन्सिल भी बनाने का इरादा है।

शिक्षा की प्रगति ब्लाकों में हो, इसके लिये १,५०० मिक्स्ड जूनियर बेसिक स्कूल और १,००० लड़कियों के लिये स्कूल खोले गये हैं। करीब ९ हजार प्राइमरी स्कूल भी खोले गये हैं और कुल २० हजार खोलने का प्रोग्राम तीसरी योजना में है।

हम एक और खास प्रोग्राम चला रहे हैं। वह है न्यूट्रीशन प्रोग्राम। यह हम यूनीसेफ तथा वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन और फूड ऐंड एग्रीकल्चरल आर्गेनाइजेशन की मदद से चला रहे हैं। यह ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू किया गया है। वहां की तरफ केन्द्रीय सरकार का भी काफी ध्यान है। इस प्रोग्राम के अन्तर्गत लोगों को Nutrition के सम्बन्ध में ज्ञान दिया जायेगा तथा Supplementary food production के सम्बन्ध में जानकारी दिलाई जायेगी। इसमें सप्लीमेंट्री फूड प्रोडक्शन आदि का जो प्रोग्राम है उसे अभी ८०० गांवों में चालू किया जायगा। पिछले साल ही इस काम को हाथ में लिया गया था। इसके साथ ही साथ एप्लाइड न्यूट्रीशन प्रोग्राम के अन्तर्गत ३५ ट्रेनिंग सेंटर्स २८ ब्लाक्स में कायम किये जा रहे हैं।

मेडिकल ऐंड हेल्थ के अन्तर्गत १२० मेटरनिटी सेंटर्स खोले गये हैं, ६ प्राइमरी हेल्थ सेंटस खोले गये हैं, १५ पुरानी डिस्पेंसरीज की मरम्मत की गयी है, १४४ ब्लाक्स में एलोपैथिक डिस्पेंसरीज ६३-६४ में बनाये जाने का प्रोग्राम है और ७८ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाने का इरादा है।

अब पी० आर० डी० के बारे में दो शब्द कहना चाहती हूं। इसके जरिये से हम टोटल मोबेलाइजेशन के बारे में सोच रहे हैं। राष्ट्र के सुरक्षा की दृष्टि से और प्रोडक्शन की दृष्टि से और इन्टरनल सिक्योरिटी की दृष्टि से यह किया जा रहा है। विलेज वालन्टियर प्रोग्राम के अन्दर पंचायतों के जरिये से वालंटियर्स को रिक्रूट किया जायगा। वे दलपति और टोलीनायक को रिक्रूट करेंगे, इसके बाद ट्रेनिंग और सुरक्षा का कार्यक्रम जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के अन्डर होगा। विलेज फोर्स की तरफ से श्रम बैंक्स बनाये जायेंगे। इस तरफ उत्तर प्रदेश में हमें एक सहूलियत है। हमने अभी पंचायत राज ऐक्ट को अमेंड किया है उसके अनुसार दो-तिहाई

मेजोरिटी से यदि कोई गांव सभा यह फैसला करती है कि गांव के हित में किसी काम का चलाना आवश्यक है तो गांव वालों को ९६ घंटे का एक साल में श्रम देना पड़ेगा। अगर कोई श्रम नहीं देना चाहता है तो उतने घंटे की मजदूरी उसको देनी होगी। इससे गांव की उन्नति में बहुत मदद मिलेगी।

इस वक्त जो पी० आर० डी० की स्ट्रेंग्थ है वह ९ लाख ६६ हजार से ऊपर है। इसक अन्तर्गत हल्का सरदार, दलपति, सेक्शन लीडर्स और रक्षकों को ट्रेनिंग दी गयी है। ये लोग गांव के production programme के स्पीअर हेड बनेंगे और इनकी मदद से गांवों की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का भी प्रसार किया जायगा।

जहां तक पानी के इन्तजाम की बात है आप लोगों की समालोचना को सुन कर हम ने यह तय किया है कि हरिजनों को पेय जल की स्कीम के लिये जो लोकल कन्ट्रीब्यूशन देना पड़ता था उसके लिये अब उनको हैंड पम्प के लिये सिर्फ ५० रुपया और कुएं के लिये सिर्फ २०० रुपया देना होगा बाकी सब गवर्नमेंट बरदाश्त करेगी। बांदा और हिल एरियाज में लोकल कन्ट्रीब्यूशन सिर्फ १० प्रतिशत होगा और ९० प्रतिशत गवर्नमेंट की तरफ से सब्सीडी दी जायगी।

जहां तक अनएम्प्लायमेंट का ताल्लुक है, उसको बिल्कुल दूर तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैन पावर मोबिलाइजेशन स्कीम के मातहत गवर्नमेंट आफ इंडिया ने १ करोड़ २५ लाख रुपया सब्सीडी दिया है। इसका प्रोग्राम ३ स्टेज में रखा गया है। इस साल ५५ लाख हम खर्च कर रहे हैं।

इसके अलावा एफ रेस्टेशन स्कीम भी है। इसमें हमें आजमगढ़ और देवरिया म कामयाबी मिली है और ४१ हजार एकड़ में एफरेस्टेशन करने की योजना है। प्लानिंग रिसर्च ऐंड ऐक्शन इंस्टीट्यूट्स के मातहत हमने ८८ action research projects चालू किये हैं। हमने अपने डिपार्टमेंट की मार्फत कई नये पैटर्न के प्रोजेक्ट्स पी० आर० ए० आई० के अन्तर्गत चालू किये हैं जिनमें रूरल इंडस्ट्रीज, कोआपरेटिव, यूथ वेलफेयर, पंचायत, सोशल एजूकेशन, स्वायल कंजर्वेशन, रूरल हेल्थ, वीमेन्स प्रोग्राम, मास कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर ऐंड एनीमल हस्बेंड्री, इंडस्ट्रीज हैं। और ये काफी कामयाबी के साथ काम कर रहे हैं। चीनी उद्योग के सम्बन्ध में भी छोटी बड़ी कई यूनिटें बहुत कामयाबी के साथ चालू हुई हैं। लेदर यूनिट भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। इसी तरह से पौटरी व कैनिंग की स्कीम भी अच्छी तरह से चल रही है। सबसे अच्छी स्कीम विलेज सेनिटेशन की है जो बहुत अच्छी तरह से चल रही है। वह स्कीम गांव ही नहीं बल्कि शहर वालों में भी काफी पापुलर है और वहां की लैटरिन में जिस तरह के sanitary fittings इस्तेमाल की जाती हैं उनको गांव वाले ही क्या शहर वाले भी खरीद कर लगा रहे हैं। इसी तरह से agro-industrial project की कुछ यूनिटें भी काम कर रही हैं। इसके लिये बजट में अलग से कोई रकम नहीं मांगी गयी है। हमारी कोशिश है कि सीमित पैसे से भी किस तरह से हम इस स्कीम को कामयाब कर सकते हैं। चिनहट में पंचायत उद्योग के बारे में एक दिलचस्प experiment किया गया है। वहां ढाई साल में इधर काफी काम हुआ है। ढाई हजार रुपये की तो लागत से काम शुरू हुआ था और वहां करीब ८० हजार रुपये का माल तैयार हुआ है। हल्द्वानी में एक पीपुल्स कालेज खुला है जहां छोटे-छोटे किसान, लेबरर्स, नाई, धोबी आदि को अच्छे ढंग की ट्रेनिंग देने की योजना है। अब तक वहां इस तरह की ट्रेनिंग हम ५८४ आदमियों को दे चुके हैं। मुझे आशा है कि जो बजट मैंने पेश किया है उसे सदन स्वीकार करेगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि अनुदान संख्या २५ ---नियोजन और एकीकरण के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

श्रीमन्, हमारे प्रदेश के लिये हमारी आज की आर्थिक अवस्था एक बहुत बड़ी चुनौती बन गयी है। पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओं के बाद बड़े-बड़े आर्थिक विशेषज्ञ भी इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारे प्रदेश की आर्थिक अवस्था स्थिर और अधोमुखी बन गयी है। इसका एक ऐसा सर्किल बन गया है जिसको तोड़ने का प्रयास पिछले १३ वर्ष में सरकार ने किया है, लेकिन उसका सारा ही प्रयास निष्फल रहा है। इससे न केवल हमारे प्रदेश के अन्दर बल्कि देश के अन्दर, इस प्रकार की चिन्ता व्याप्त है कि हमारा सूबा जहां देश की आबादी का छठवां हिस्सा है, वहां की इकोनामी स्टेगनेंट स्थिति को पहुंच गयी है, आगे को नहीं बढ़ी है जिसका लाजिमी तौर पर देश के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसका स्पष्ट कारण लोगों ने यह बतलाया कि हमारे प्रदेश के नियोजन के अन्दर उदव्यय और विनियोग (आउट पुट और इनवेस्टमेंट) पूरे मुल्क के तमाम सूबों से बहुत ही कम है और यह सबसे गम्भीर बात है। इसका असर फीकस आमदनी पर भी पड़ता है और आने वाले वर्षों में जितनी बड़ी योजनायें होनी चाहिये वे भी नहीं हो पातीं। पिछली योजनाओं पर दृष्टिपात किया जाय तो उन्हें देख कर बड़ी हैरत होती है। आज भी हमारा सूबा देश के अन्दर सबसे पिछड़ा हुआ है। मैं आपके सामने तीसरी पंचवर्षीय योजना के कुछ आंकड़े प्रस्तुत करता हूं जिससे सारी बातें स्पष्ट हो जायेंगी।

हमारा प्रदेश जो सबसे पिछड़ा प्रदेश है, उसके अन्दर आउट पुट और इनवेस्टमेंट जो होना चाहिये वह आज भी सबसे कम है। आप को प्रति व्यक्ति जो रुपया तृतीय योजना पर अन्य राज्यों में खर्च होने वाला है उसके आंकड़े देना चाहता हूं। जम्मू काश्मीर में २०८.३३, राजस्थान ११७.४१, पंजाब ११३.९९, आसाम १००.८४, उड़ीसा ९०.९१, मद्रास ८६.३५, आंध्र ८४.७२ और यू० पी० में केवल ६७.३४ प्रति व्यक्ति ही हम व्यय करने जा रहे हैं। यदि हम एक दूसरी ओर और ध्यान दें तो यह स्थिति और भी गम्भीर हो जाती है। अगर हम देखें कि और प्रदेशों में प्रति व्यक्ति आय कहां पहुंची है इन २ पंचवर्षीय योजनाओं के बाद या १२ वर्ष की योजनाओं के बाद तो हम देखेंगे कि हमारे प्रदेश में सब से कम है। यहां की स्थिति दूसरे राज्यों के मुकाबले में क्या है? फी कस आय आसाम में ३३०.९६, पच्छिमी बंगाल ४६१.०९, गुजरात में ३९१.२०, राजस्थान में २७१.५०, पंजाब में ४३२.१९, केरल में ३०५.०३, मध्यप्रदेश २७४.५३, महाराष्ट्र ३९८.८१, मैसूर में २५७.०८, उड़ीसा २३७.०५, बिहार २९७.२६ और उत्तर प्रदेश में २७२.७५ यानी यहां पर फी कस आय पूरे भारत में सब से कम बढ़ी है और अन्य सूबों में भी फी कस आमदनी २० फीसदी से १५ फीसदी तक बढ़ी है, किन्तु हमारे प्रदेश में स्थिर है। १२ साल के नियोजन के बाद यह एक गम्भीर चिन्ता की बात है। दो योजनाओं के बाद आर्थिक विशेषज्ञों ने यह सवाल भी किया कि हमें अपने यहां की आर्थिक व्यवस्था में एक आमूल परिवर्तन करना होगा वर्ना हम देश के समूचे विकास में एक रोड़ा बन जायेंगे, लेकिन सरकार ने इस रोड़े को हटाने के लिये अबतक कौन सा प्रयास किया है?

मन्त्राणी जी ने कहा है कि आज हमारे यहां राष्ट्रीय संकट की स्थिति है और उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपने यहां कृषि तथा उद्योग के द्वारा उत्पादन बढ़ाना चाहिये और हमारे देश के प्रधान मन्त्री ने भी इस तरफ हमारा ध्यान खींचा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये हमें हर प्रकार की तैयारी करना है और राज्यों का यह परम कर्तव्य है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में उत्पादन बढ़ावें ताकि हमारी आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो सके और हम आत्मनिर्भर हो सकें। हमारे विकास के सारे कार्य कृषि के विकास और उत्पादन के बढ़ाने के सम्बन्ध में हैं, लेकिन हमारे यहां कृषि की हालत क्या है? पिछले सालों में सारे देश में जो कृषि की उन्नति हुई है वह प्रति वर्ष ५ प्रतिशत बढ़ी है, लेकिन हमारे प्रदेश में कुल १.२ प्रतिशत बढ़ी है जहां की सारी इकोनामी कृषि पर ही निर्भर है। सारे भारत में कृषकों का अनुपात ६३ प्रतिशत है और ७४ प्रतिशत हमारे प्रदेश में है और पूर्वी अंचल में जहां कि ३ करोड़ जनता निवास करती है उसमें से ८३ प्रतिशत कृषक हैं और वहीं दुनियां के किसी भी पिछड़े हुए देश से अधिक पिछड़े लोग रहते हैं। जहां यह उत्पादन की गति हो, जहां पर विकास की यह दशा हो वह एक गम्भीर चिन्ता की बात है।

दूसरी ओर उद्योग में हमारे पूरे प्रदेश की स्थिति भी दयनोय है। हमार यहां सार्वजनिक क्षेत्र में या प्राइवेट क्षेत्र में जितनी पूंजी लगी है वह भारत भर में अन्य प्रदेशों के मुकाबले में सबसे कम है। इसका मुख्य कारण यह है कि सरकार ने यहां वह सुविधायें उपलब्ध नहीं की हैं कि निजी सेक्टर के लोग भी अपने उद्योगों को यहां लगा सकें। अब जरूरत इस बात की है कि क्विक और प्राम्प्ट ट्रांसपोर्ट हो, लेबर सस्ता मिले, बिजली जितनी हमको देनी चाहिये वह नहीं द पा रहे हैं, इन बातों की तरफ सरकार का ध्यान बहुत पहले जाना चाहिये था, लेकिन १२ साल की व्यवस्था के बाद भी सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं जा सका।

आज हम मुख्य रूप से विचार कर रहे हैं कम्युनिटी प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट के कामों पर, में भी चाहता हूं कि सरकार का ध्यान मुख्य रूप से विकास की समस्याओं की तरफ खींचा जाय। १२ साल के अनुभव के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि विकास के जो काम हो रहे हैं उनमें आमूल परिवर्तन की जरूरत है। विकास अधिकारियों के दृष्टि कोण, उनके काम करने के तरीके और सरकार की जो मौजूदा व्यवस्था है इससे १२ साल के बाद अगर एक-एक विकास क्षेत्र को देखें तो दिखाई नहीं पड़ता कि वहां की जनता के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। सारा रुपया कृषि पर सरकार लगाती है, अभियान चलते हैं, रबी, खरीफ अभियान आदि, अब एक सब्जी उगाने का अभियान चला हुआ है, अगर इन अभियानों को निकाल दिया जाय तो विकास अधिकारियों के पास १२ महीने में से ९ महीने कोई काम नहीं रह जायगा। लेकिन नतीजा क्या होता है कि आज भी किसान सरकारी खाद बड़े पैमाने पर नहीं इस्तेमाल करते हैं, उसको जो पानी मिलना चाहिये वह नहीं मिल पा रहा है, हमारा कृषि उत्पादन इसीलिये नहीं बढ़ता है कि किसानों को पानी उचित रूप में नहीं मिलता है। पूर्वी जिलों में सरकार आज तक केवल १०, १५ फीसदी सरकारी क्षत्रों में व्यवस्था कर पायी है। ऐसा क्यों है? जो पुराने सिंचाई के कुएं, ताल, तालाब थे वह बरबाद हो रहे हैं, उनकी तरफ सरकार का ध्यान खींचा गया कि उनकी सुरक्षा होनी चाहिये, लेकिन अभी तक कोई प्रयास नहीं हो रहा है। किसान इसलिये खाद नहीं इस्तेमाल करते हैं कि जब खाद इस्तेमाल करते हैं और ठीक समय से पानी नहीं मिलता है तो सब व्यर्थ ही जाता है और कर्जदार वह अलग हो जाते हैं सरकार के। इसके अलावा दैवी आपदायें उसके सर पर हैं। पूर्वी जिलों में विकास आयुक्त के प्रयास के बावजूद किसान खाद इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इसलिये कि वहां आलटरनेट ईयर में कभी फ्लड आता है, कभी ड्राट आता है। अगर उसकी फसल बरबाद हो गई तो १० रु० खाद का कर्जा उस पर अलग हो गया जिसको वह दे नहीं पाता है। इसीलिये वह खाद का इस्तेमाल नहीं करता है। सरकार से कहा गया कि वह सबसिडी इसके अन्दर दे, और अगर ५० फीसदी सब्सीडी सरकार नहीं देगी तो किसान खाद इस्तेमाल नहीं करेगा। इस बात का आश्वासन मिलना चाहिये कि यदि बाढ़ और सूखे से उसकी फसल बरबाद हो जाती है तो खाद का पैसा सरकार माफ करेगी अन्यथा वह इस्तेमाल नहीं कर सकता है।

मन्त्राणी जी ने बताया कि राष्ट्रीय संकट को देखते हुए खर्चा बहुत कम कर दिया है, लेकिन बजट से पता लगता है कि प्लानिंग विभाग बहुत हैवी और एक्सपेंसिव है जिसका काम था लोगों की सहायता करना। लेकिन इस विभाग में अफसरों की फौज है, मैं मानता हूं योजना का काम करना है तो अफसर बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन जिन अफसरों की जरूरत न हो उनको बढ़ाना और शासन के खर्चे के बोझ को बढ़ाना नितांत अनावश्यक और अनुचित है। मैंने देखा इस साल के बजट को तो यह पाया कि डेवलपमेंट कमिश्नर के जोनल आफिसेज का खर्चा रिवाइज्ड एस्टिमेट्स का ६२–६३ में २,६३,४०० रुपये था और ६३–६४ में २,८६,४०० रुपये था। कुल २३ हजार रुपये की बचत की गयी है। राष्ट्रीय संकट के नाम पर दोहाई देना और इतने टाप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन में केवल २३ हजार रुपये की बचत करके यह नहीं कहा जा सकता कि हमने इकोनामी के लिये बड़ा कदम उठाया है। जिलों में देखें तो पिछले साल रिवाइज्ड एस्टिमेंट का खर्चा ४२,३९,२०० रुपये था और इस साल ४३,१७,८०० रुपये है। ७७ हजार रुपये की वृद्धि हुई है। यही इकोनामी है? इकोनामी जो अनुदान हैं उनको काट कर की जा रही है जैसे

[श्री चन्द्रजीत यादव]

हरिजनों के लिये कुएं, उनको शिक्षा देने का काम, उसमें कमी करके इकोनामी की जा रही है। राष्ट्रीय संकट का अवश्य मुकाबला हमें करना है, लेकिन यह बात हम नहीं देख सकते कि जो हरिजन तथा पिछड़ा वर्ग है उस को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के लिये जो अनुदान दिया जाता है उसमें कमी कर दें। गरीब हरिजनों तथा पिछड़े वर्ग की सहायता में कमी कर दें। यह कैसी इकोनामी है? यह उचित बात नहीं है यह मेरा निश्चित मत है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जो जोनल आफिसेज बने हुए हैं डेवलमेंट के उनको समाप्त करना चाहिये। उन पर लगभग ७ लाख रुपया सालाना खर्च होता है। हम जोनल इकोनामी डेवलपमेंट कौंसिल बना सकते हैं लेकिन इन आफिसेज के बनाने में इतनी भारी रकम खर्च करना गलत है।

एक-एक विकास क्षेत्र में ६ से ८ ए० डी० ओ० हैं। बार-बार इस बात को कहा गया और सदन में आवाज उठाई गयी कि ए० डी० ओ० की संख्या को कम करना चाहिये, लेकिन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने हमेशा इस बात को रेसिस्ट किया है। २ से ३ ए० डी० ओ० तक काम चल सकता है जैसे पंचायत, कृषि तथा कोआपरेटिव ए० डी० ओज० क्योंकि हर चीज के लिये ए० डी० ओ० का निर्माण कर के खर्च बढ़ाना अनुचित काम है। सरकार को विकास के स्तर पर, कृषि पर तथा सिंचाई तथा सहकारिता के कामों पर जोर देना चाहिये।

मैं पूर्वी जिलों की जनता की समस्या के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। पूर्वी जिले ऐसे अभागे जिले हैं कि उनकी चर्चा जब इस सदन में की जाती है तो बहुत से सदस्य वहां की समस्या को समझ नहीं पाते। हमारे पूर्वांचल में पौने ३ करोड़ जनता रहती है। यूरोप और अफ्रीका के देशों से बड़ी संख्या इस अंचल में रहती है। आज वहां के लोगों की स्थिति बहुत अधिक गम्भीर है और सही बात हम कहते हैं तो लोग समझते हैं कि अतिरंजित बातें हम करते हैं। नेशनल कौंसिल आफ एम्प्लायड इकोनामी ऐंड रिसर्च के मुख्य संचालक श्री पी० एस० लोकनाथन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पूर्वी जिलों में ७ फीसदी ऐसे लोग हैं जो निर्धनता रेखा के ऊपर रहते हैं। ८ फीसदी ऐसे हैं जो जरूरी निम्नतम जीवन स्तर व्यतीत करते हैं। ५० फीसदी ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा पर हैं या जिनका उसके नीचे जीवन स्तर है उस पर जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रदेश के ३ करोड़ निवासी आज भी आर्थिक, शैक्षिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण से जो इस अंचल के निवासी हैं उपेक्षित हैं। प्लानिंग कमीशन ने इस बात पर जोर दिया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक हमें इस बात का प्रयास करना चाहिये कि कृषि पर निर्भर रहने वालों की तादाद ६० फीसदी लाई जाय। लेकिन आज इस प्रदेश के पूर्वी अंचल में उलटी गंगा बह रही है। सन् १९०१ में गोरखपुर में ६२ फी सदी लोग खेती पर निर्भर करते थे। १९५१ में उनकी संख्या ५५.७ हुई। इसी तरह से देवरिया में ७१.६ से बढ़ कर ९३.५ हो गयी, बस्ती में ६४.७ से बढ़कर ९०.७ हो गयी, आजमगढ़ में ५९.४ से बढ़ कर ८३.३ हो गयी, गाजीपुर में ७०.५ से बढ़कर ७८ फी सदी हो गयी, बलिया में ६६.३ से बढ़ कर ७३.७ हो गयी। वाराणसी में ५६.१ से ५८ ३ हो गयी और प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में ७४ और ७६ फी सदी से बढ़ कर क्रमश : ८४ और ८८ फी सदी हो गयी और जौनपुर में पहले से ही ८१ फी सदी है। प्लानिंग कमीशन इस बात को मानता है कि आज इस अंचल की ८३ फी सदी जनता खेती पर निर्भर है। जब हम खेती पर जनभार को कम करने का प्रयास कर रहे हैं तो यहां वह उल्टे बढ़ता जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस ओर क्या करने जा रही है? हमारी माननीया मन्त्राणी जी ने कहा था कि चूंकि केन्द्रीय सरकार ने पूर्वी अंचल की स्थिति की ओर ध्यान खींचा है इसीलिये राज्य सरकार भी कुछ न्यूट्रीशन प्लान्ट्स वहां लगा रही है। आज हालत वहां यह है कि लोगों को सूखी रोटी भी नहीं मिल रही है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार वहां रोटी की भी व्यवस्था करने जा रही है या नहीं? वहां की स्थिति तब तक नहीं सुधरने वाली है जब तक वहां मुख्य रूप में यातायात, सिंचाई और उद्योग की व्यवस्था नहीं की जायगी।

आज वहां यातायात की हालत यह है कि दोहरीघाट के ऊपर एक पुल की योजना पिछले दस वर्षों से बनी हुई है। लेकिन इतना जरूरी पुल जो गोरखपुर और बनारस को मिलाये, जिससे उस इलाके की समस्या बहुत कुछ हल हो सकती है वह आजतक खटाई में पड़ा हुआ है। इसी तरह गाजीपुर और बलिया में गंगा नदी पर पुल बनने की योजना केन्द्रीय सरकार से पास हो चुकी है लेकिन आज तक उसके लिये कोई कदम नहीं उठाया गया। आज ऐसा इलाका जिसके पड़ोस में झरिया और आसनसोल है, मिर्जापुर का वह इलाका जहां खनिज पदार्थ मिल रहे हैं फिर भी वह गरीब है इसका मुख्य कारण यही है कि वहां यातायात की बहुत जबरदस्त कमी है और जब तक इस कमी को सरकार दूर नहीं करती तब तक कोई तरक्की उस इलाके की हो नहीं सकती।

श्रीमन्, हमारे विकास आयुक्त जानते हैं, जब वे केन्द्रीय कमीशन के साथ गये थे, कि वहां चमड़ा बहुत पैदा होता है। वहां का चमड़ा कलकत्ता और कानपुर में जाता है लेकिन वहां चमड़े का कोई कारखाना नहीं है। अगर कोई प्राइवेट इन्टरप्राइजर वहां नहीं जाता है तो इसका यही कारण है कि वहां यातायात का अभाव है और अगर प्राइवेट इन्टरप्राइजर नहीं जाता है तो क्या सरकार ने अपने कर्त्तव्य की पूर्ति की है? आज हमें चमड़े के फारेन मार्केट्स मिल रहे हैं और हम उससे फौरन एक्सचेन्ज कमा सकते हैं। अगर सरकार इसकी व्यवस्था करे तो उस इलाके के लोगों का बहुत बड़ा कल्याण होगा।

हमने बार-बार सरकार से कहा है कि पूर्वी जिलों का लेबर कलकत्ता और कानपुर जाता है। कानपुर में स्वदेशी काटन मिल, म्योर मिल, विक्टोरिया मिल आदि के मालिकों की जो बड़ी-बड़ी अट्टालिकायें बनी हुई हैं वह इन पूर्वी जिलों के लोगों की मेहनत और पसीने की कमाई है। मैं चाहता हूं कि जिन्होंने पूर्वी जिलों को नहीं देखा है वे कानपुर की उन सड़कों को देखें जहां इन पूर्वी जिलों के मजदूर तपती हुई लू और माघ पूस के कटकटाते जाड़े में फुट पाथ पर सोते हैं। इन्हीं के खून और पसीने की कमाई से वहां बड़ी-बड़ी अट्टालिकायें बनी हुई हैं लेकिन ये बेचारे रोटी के लिये भी मोहताज हो रहे हैं। सरकार का यह बिल्कुल अन्याय होगा उन गरीबों के प्रति, उस इलाके के रहने वालों के प्रति जिन्होंने इस देश की आजादी के लिये सब से बड़ी कुरबानी की है और आज भी देश की रक्षा के लिये जितनी भी कुरबानी की जरूरत पड़ेगी उस इलाके के लोग दिल खोल कर दे रहे हैं। माननीय मुख्य मन्त्री ने भी माना है कि गरीब होते हुये भी राष्ट्रीय कोष में धन देने में या फौज में जाने के लिये उन्होंने सब से ज्यादा उत्साह दिखाया है। उनकी उपेक्षा को मैं समझता हूं इस प्रदेश की जनता क्षमा नहीं करेगी। मैं विकास मन्त्राणी जी से नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि इस राष्ट्रीय संकट की घड़ी में जो टोटल मोबिलाइजेशन करना है वह तब तक नहीं होगा जब तक अमीरी और गरीबी का भेदभाव इस प्रदेश में बढ़ता चला जायगा और आज यह वास्तविकता है कि गरीब देखता है कि उसकी कमाई का पैसा कुछ मुट्ठी भर लोग लूट रहे हैं। हमारी योजना के तीन लक्ष्य थे--फी कस आमदनी बढ़ाना, गरीबी, अमीरी के भेदभाव को मिटाना, कृषि की पैदावार बढ़ाना और अपने देश को आत्म निर्भरता की स्थिति में ले आना। इन तमाम लक्ष्यों के अन्दर हमारे प्रदेश का नियोजन विभाग असफल रहा है। हमें साधन चाहिये। हमारे देश के अर्थशास्त्री जो इस सरकार के आयोजना सलाहकार भी हैं, प्रोफेसर दलजीत सिंह, उन की भी निश्चित राय है कि अगर इस प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो केन्द्रीय सरकार से इस बात की सिफारिश इस सरकार को करनी चाहिये कि वह सार्वजनिक क्षेत्र में कामों को बढ़ाने के लिये राष्ट्रीयकरण की नीति को अपनाये। इस प्रदेश ने जमींदारी उन्मूलन कर के इस देश की रहनुमाई की। इस प्रदेश को अब चीनी और सूती मिलों का राष्ट्रीयकरण करने के लिये केन्द्रीय सरकार को लिख कर इस देश की रहनुमाई करनी चाहिये। जब तक राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायगा। तब तक हमारे देश की गरीबी दूर होने वाली नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार बड़ी गम्भीरता से इस बात पर विचार करेगी इसलिये कि आज हमारी आर्थिक व्यवस्था बड़ी दलदल में फंसी हुई है। अगर इस दलदल से निकलना है तो अपने दृष्टिकोण के अन्दर आमूल परिवर्तन करने की जरूरत है।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

मैं उम्मीद करता हूं कि जो सरकार अपने को समाजवादी घोषित करती है और मैं मानता हूं कि उसके बहुत से काम ऐसे हैं जिससे समाजवाद की तरफ बढ़ने में हमें सहूलियत मिलती है इसीलिये मैं चाहता हूं कि आप समाजवाद को बदनाम न करें। अगर समाजवाद का नतीजा यह होगा कि १३ साल के बाद आर्थिक स्थिति गिरती जाय तो लोगों का विश्वास समाजवाद के अन्दर से उठने लगता है। इन शब्दों के साथ में अपने प्रस्ताव को पेश करता हूं।

श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर) --

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रम मन्त्राणी जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह निर्विवाद है कि किसी देश और प्रदेश के बजट को जब बनाते हैं तो उसके घोषित लक्ष्यों और उद्देश्यों को हम अपनी दृष्टि के समक्ष सदैव रखते हैं। इसमें तो कोई संदेह नहीं, और इसको सभी माननीय सदस्य मानते हैं कि सरकार ने समाजवादी समाज की रचना के लक्ष्य को घोषणा की है और उन समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये जिस तरीके की घोषणा की है वह लोकतांत्रिक तरीका है। अभी-अभी श्रम मन्त्राणी जी ने जो अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया उसमें भी उन्होंने इस बात की ओर स्पष्ट संकेत किया कि पीपुल्स पार्टिसिपेशन, पीपुल्स इनीशिएटिव, लोगों के अन्दर स्वयं अपने अन्तर से प्रबुद्ध भावना आयोजना के प्रति उत्पन्न हो, यह बुनियादी बात है और लोकतांत्रिक तरीके से समाजवादी समाज की रचना के लिये अत्यन्त आवश्यक है। इस उद्देश्य की ओर ले जाने में बजट कुछ हद तक सहायक हुआ है या नहीं, हमें यह देखना है। बजट में जो प्राविधान हैं जिनके द्वारा हम यह नतीजा निकाल सकते हैं कि निश्चित रूप से हम समाजवादी समाज की रचना लोकतांत्रिक ढंग से सम्पन्न करने की दिशा में जा रहे हैं। उपयुक्त वातावरण उत्पन्न करना, समाजवादी दृष्टिकोण को उत्पन्न करना, आर्थिक व्यक्ति के स्थान पर सामाजिक व्यक्ति की स्थापना करना उस दिशा की ओर वातावरण स्थापित करने में निश्चित रूप से यह बजट अग्रसर होता है।

इसके लिये सबसे आवश्यक कार्य यह है कि लोगों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय। मैं विशेष रूप से मंत्राणी जी को इस बात के लिए बधाई देता हू कि उन्होंने प्रशिक्षण की व्यवस्था की। उस प्रशिक्षण में कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है, गैरसरकारी लोगों के प्रशिक्षण का व्यवस्था है और मैं समझता हूं कि उस के लिये बजट में ३७ लाख १८ हजार ५०० रुपये का प्राविधान किया है और इससे भी विशेष एक बात और है जिसके लिये मैं खासतौर पर मन्त्राणी जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने विधान सभा के सदस्यों का प्रशिक्षण भी चलाने की व्यवस्था की है। २४ हजार रुपये इस पर खर्च करने का प्राविधान है। परन्तु मान्यवर, मेरा निवेदन यह है और मेरी यह शिकायत है मन्त्राणी जी से कि हम लोग जो अपने ज्ञान का यहां पर डिस्प्ले करते हैं इस आदरणीय सदन के अन्दर उससे मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि यह २४ हजार रुपये का जो प्राविधान है वह हम लोगों के प्रशिक्षण के लिये कुछ कम मालूम पड़ता है। मैं समझता हूं कि इसे कुछ अधिक बढ़ाना चाहिये और हमारे प्रशिक्षण की योजना को और अधिक व्यापक करना चाहिये ताकि हम इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिक से अधिक सहयोग प्रदान कर सकें।

एक दूसरी बात जो पीपुल्स पार्टीसिपेशन की ओर हमें ले जाती है वह यह है कि वह कौन सी ऐसी व्यवस्था है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था को समाज के निम्नतम स्तर तक पहुंचाती है? हमारे प्रदेश में इसकी आबादी को देखते हुये हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इसमें श्रमशक्ति अधिक है, धन शक्ति रुपये पैसे की शक्ति कम है। तो श्रम शक्ति का उपयोग अधिक से अधिक लघु उद्योगों और लघु शिल्पकलाओं के माध्यम से ही हो सकता है। बड़े-बड़े उद्योगों का केन्द्रीयकरण एक स्थान पर अधिक हो सकता है लेकिन विकेन्द्रित तरीके से उसका नियोजन अगर करना है तो लघु उद्योगों की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिये। मैं इस बात के लिये भी माननीया मन्त्राणी जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस दिशा में ग्रामीण शिल्पकला तथा उद्योग मे ४ करोड़ १० लाख ६३ हजार रुपया खर्च करने का प्राविधान किया है। इस प्रकार लघु उद्योगों के माध्यम से जो मानव श्रम का वास्तविक मूल्य है उसके नियोजन की एक समुचित व्यवस्था

की गई है और मानव मूल्यों के संरक्षण के साथ-साथ उसकी अर्थ-व्यवस्था को सुनियोजित करने की जो विकेन्द्रीकरण के मातहत व्यवस्था है उसको भी समुचित आदर इसमें दिया गया है। इसलिये मैं ऐसा समझता हूं कि इस बजट में निश्चित रूप से अपने समाजवादी लक्ष्य की ओर जाने का एक ठोस कदम उठाया गया है, इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है।

माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में कुछ अपनी राय व्यक्त की है। अभी-अभी हमारे पूर्ववक्ता ने बताया कि हमारी अर्थव्यवस्था स्टैग्नेंट और डिकेडेन्ट है यानी हमारी अर्थ-व्यवस्था स्थिर है और नीचे की ओर जा रही है। मैं इसको स्वीकार नहीं करता। मैं ऐसा समझता हूं कि हमारी आन्तरिक अर्थव्यवस्था के अन्दर इसके इम्बैलेंसेज में कमी हुई है, जो इसमें असन्तुलन रहा है उस में कमी हुई है। जो हमारे प्रदेश की जन-संख्या है और जो प्राकृतिक और दूसरे प्रकार की आपदायें हमारे यहां आकर हमको असहाय बना देती हैं, उन तमाम बातों और परिस्थितियों को देखते हुये हमारी अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से स्टैग्नेंट और डिकेडेंट नहीं है।

एक बात की ओर और मैं आपका और अपने भाई का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि नियोजन का कार्य एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है, लांग टर्म योजना है, इसको शार्ट पीरिअड में आंकना उचित नहीं है। इस प्रकार के प्लान में एक चीज यह देखने की आवश्यकता होती है कि हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया और हमने उस इन्वेस्टमेंट को बेसिक इन्डस्ट्री में कितना लगाया जिनके पनपने से और जिनकी सुगन्ध देहात के क्षेत्र तक पहुंचने से वहां की इन्डस्ट्रीज अपने आप पनपने लगें। इस दिशा में सरकार ने कितना कदम उठाया, यह चीज देखने की आवश्यकता है। मैं ऐसा समझता हूं कि इन दस वर्षों में जितने भी काम किये गये उनमें विशेष रूप से बेसिक उद्योगों को बढ़ानें के लिये निश्चित रूप से कदम उठाये गए। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि यदि इस बात को देखा जाय कि इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है तो इन्वेस्टमेंट कम हुआ है। मैं इस बात को, जो चन्द्रजीत यादव जी ने कही, स्वीकार करता हूं। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ व्यवस्था वह बतलायें कि इन्वेस्टमेंट किस तरह से बढ़े। किस प्रकार से ऐसी व्यवस्था हो कि जिसमें प्रदेश के अन्दर इन्वेस्टमेंट बढ़े कि जहां पर लोगोंके अन्दर निश्चयरूप से अधिक बोझा बरदाश्त करने की शक्ति होनी चाहिये और जो इस बात की ओर संकेत कर सके कि हमें अधिक विनियोग करना चाहिये वहां हम अधिक विनियोग का प्राविधान कर सकते हैं। जब हम इस दिशा में सोचेंगे तो हमें टैक्सेशन की तरफ जो हमारा दृष्टिकोण है उसमें हमको परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ेगी। मैं समझता हूं आज जो विकास की गति को जांचने की बात है वह इस पैमाने पर जांचनी चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है और प्रत्येक व्यक्ति आमदानी कितनी बढ़ी। आमदनी बढ़ने की बात भी उसमें आती है लेकिन सब से पहले हमको यह देखना है कि कितना इन्वेस्टमेंट प्रत्येक व्यक्ति यहां पर हुआ। हम सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारे यहां इन्वेस्टमेंट कम हुआ। उसको बढ़ाने के लिये क्या उपाय हो इसकी ओर हमारा ध्यान जाना चाहिये। जब हमारा ध्यान इस तरफ जायगा तभी हम यहां इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकेंगे और तभी यह विशस सरकिल टूटेगा नहीं तो नहीं टूटेगा।

एक दो बातें सिंचाई के साधनों के सम्बन्ध में कही गईं। जो भी शिकायतें की गईं उनमें से अधिकांश से मैं स्वयं भी सहमत हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि सिंचाई के साधन बुनियादी तौर पर बढ़ाने की ओर सरकार सचेष्ट है, लेकिन सरकार को असफलता वहां पर होती है जहां पर सिंचाई के साधन की उपयोगिता की ओर सरकार का समुचित ध्यान नहीं जाता। सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, लेकिन वह उपयोग में नहीं आते हैं, वह वर्किंग आर्डर में नहीं हैं। इसके ज्यादा उदाहरण दिये जा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे यहां सिंचाई की व्यवस्था जो मौजूद है उसको इस तरह से व्यवस्थित किया जाना चाहिये कि जिससें वह वर्किंग आर्डर में हो जाय। हमारे यहां जो भारी साधन हैं उनके अतिरिक्त सिंचाई लघु सिंचाई साधनों के द्वारा की जानी चाहिये। इस बात क बजट में प्राविधान किया गया है। इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है।

[श्री रामलखन शुक्ल]

जोनल आफिसर के बारे में कहा गया। उसके विषय में उठायी गयी आपत्ति से मेरी असहमति है। जब हम प्लान को सर्वांगीण दृष्टि से देखते हैं तो प्लान के हर रीजन में रीजनल आफिसर उसको देखते हैं। उनकी सहायता के लिये वहां पर जोनल कौंसिल से काम चल जाय यह मैं समझता हूं पर्याप्त नहीं है। इस बात की शिकायत आज भी हुई है कि वहां पर विकास कार्यकर्त्ताओं क संख्या अधिक है। मेरी ऐसी धा णा है कि विकास कार्यकर्ताओं की संख्य कम है। जिस प्रकार से आप विकास कार्य बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से आप इकोनामी एक्सपैंड करना चाहते हैं, जिस तरह से उसकी गतिविधि को बढ़ा रहे हैं उसमें होल टाइम वर्कर की आवश्यकता है। जिसका यह काम रहे, जिसका यह उद्देश्य रहे कि सरकार द्वारा जो कुछ प्रतिष्ठित किया गया, जो सरकार के द्वारा परिचालित किया गया उसको समाज के निम्नतम स्तर तक पहुंचायें। उस चीज को न मैं पहुंचाता हूं, न माननीय सदस्य पहुंचाते हैं और न आनरेरी वर्कर मात्र पहुंचा सकते हैं। इसके लिये वेतनभोगी कार्यकर्त्ताओं का होना आवश्यक है। अगर कोई गड़बड़ हो कोई अगर ठीक प्रकार से काम नहीं करता है, तो उसके लिये ठीक ढंग से कार्य कराने का जो रिकेग्नाइज्ड तरीका है, जिसको हम और अ प सब इस्तेमाल करने के लिये सक्षम हैं, जिसकी ओर हमको सरकार का ध्यान आकर्षित करने का अधिकार है उस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहिये। यह जो प्रथा है, एकांगी आलोचना की, मेरा नम्र निवेदन है कि यह बन्द होनी चाहिये। स्वतन्त्र भारत में जो आज नई व्यवस्था को लाना चाहते हैं उन कर्मचारियों की ओर यदि हम सहानुभूतिपूर्वक नहीं देखेंगे तो उनमें और माल विभाग के और पुलिस विभाग के पुराने अधिकारियों में कोई अन्तर नहीं कर पायेंगे। हम चाहते हैं कि हम अपनी बातें आलोचना की दृष्टि से नहीं बल्कि सुझाव की दृष्टि से बतलायें और उनको प्रतिष्ठित करने का प्रयास करें। हम चाहते हैं कि जो एक नई फौज आपने तैयार की है वह समुचित रूप से विकास के मार्ग पर अग्रसर हो और समुचित रूप से विकास के कार्य को सम्पन्न करे। उसमें बाधा न पड़ने पाये।

मान्यवर, जो पूर्वी जिलों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है उससे मैं पूर्णतया सहमत हूं। अब मैं संक्षेप में कहूंगा क्योंकि समय मेरा समाप्त हो गया है। इस आदरणीय सदन में कुछ माननीय सदस्य कभी-कभी यह कह दिया करते हैं कि पूर्वी जिलों की भी कुछ उन्नति होनी चाहिये। मैं इस आदरणीय सदन के समक्ष यह स्पष्ट निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह टेरीटोरियल स्लोगन नहीं है। यदि समय होता तो मैं इसको राष्ट्रीय नारा "नेशनल स्लोगन" सिद्ध कर देता। यह किसी प्रकार भी विघटन की प्रवृत्ति नहीं है, किसी भी प्रकार यह डिसक्रिमिनेशन की प्रवृत्ति नहीं है। आपको मैं बता दूं कि वह एक निश्चित रूप से एक इकाई है, एक अंग है। यदि उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया, तो इस प्रदेश में संतुलित अर्थ-व्यवस्था का नितान्त अभाव रहेगा। इसलिये मैं आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जो ११० करोड़ रुपया पूर्वांचल के लिये ईयर मार्क्ड कर दिया गया था, मैं समझता हूं कि उसकी झलक आनी चाहिये। अगर कहीं वह है, तो माननीयामन्त्राणी जी उस ओर संकेत करेंगी। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय चन्द्रजीत यादव द्वारा जो कटौती के प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण हुआ है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। कागज के ऊपर बड़ी-बड़ी योजनायें बनाना और कई करोड़ रुपये का व्यय स्वीकृत कराने के बाद उसको खर्च भी कर देना, यह एक पुरानी बात है। परन्तु यदि हम उनकी ऐक्चुअल वर्किंग को देखें, तो वास्तव में जितने गीत गाये जाते हैं उतना सन्तोष नहीं होता है और न उतना दिखाई ही देता है। इस योजना के अन्तर्गत, इस अनुदान के अन्तर्गत, विकास खंडों का एक प्रमुख

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्यय भी है और उनको एक भार भी सौंपा गया है। परन्तु उनके कार्यकलाप को देखने पर पता चलता है कि वह सन्तोषजनक नहीं है। जहां तक कम्यूनिटी प्रोजेक्ट की बात है, उसमें यह है कि पिछड़ी जातियों और हरिजनों के लिये एक ऐसा कार्यक्रम प्रस्तुत करें, जिससे कि उनका भला हो सके। उनकी उपेक्षा बहुत समय से की जाती रही है वह सब समाप्त हो सके और जल्दी ही कुछ सुविधायें उनको मिलें। परन्तु जब यह देखा जाता है कि एक-एक विकास खंड के लिये ९०० और १,००० रुपये उनकी पानी की समस्याओं को दूर करने के लिये दिया जाता है तो उससें बड़ी निराशा होने लगती है। उससे उनका भला नहीं हो सकता है।

अब मैं आपको अपने क्षेत्र की बात बताता हूं जहां से कि मैं आया हूं। बरेली जिले के अन्तर्गत जितने भी ब्लाक हैं वहां पर कहीं भी पिछले सालों में १,००० रुपये से ज्यादा हरिजनों की पानी की समस्या के लिये नहीं दिया गया है। आप देखें कि उसमें वहां लोगों ने क्या किया। ९०० रुपया या १,००० रुपया नलों के लिये हरिजनों को उनकी पानी की समस्या को हल करने के लिये दे दिया जाता है। परन्तु इससें उनकी पानी की समस्या वास्तविक रूप में हल होने वाली नहीं है। वह इस प्रकार से अपने जानवरों को पानी नहीं पिला सकते हैं और न अपने कपड़े इत्यादि ही धो सकते हैं यह सब काम भली प्रकार से नलों पर नहीं किये जा सकते हैं। इसलिये यह कहना पड़ता है कि यह सब कुछ दिखावा ही है। इस से हरिजनों की और अस्पृश्य जातियों को कुछ सुविधायें नहीं मिली। कई कैसेज ऐसे हैं कि जहां पर २००–४०० की आबादी हरिजनों की है और वहां पर कुओं की डिमांड है, लेकिन कुयें नहीं बनाये जा सकते हैं। यह कह दिया जाता है कि इतना रुपया दे देंगे अपने यहां नल लगवा लो। परन्तु इससे समस्या हल होने वाली नहीं है। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चूंकि वह पानी दूसरी जगह नहीं भर सकते हैं, इसलिये अलग कुओं की व्यवस्था होनी चाहियें। यह नल लगाने से काम नहीं चलेगा। इसलिये मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप उस पर सहानुभूतिपूर्वक गौर करें। मैं यह कहता हूं कि आप भले ही कम कुयें बनवायें लेकिन कुओं का ही निर्माण करायें और यह अपनी नल वाली योजना बाद के लिये रहने दें। जब कुयें बन जायें तब नलों की आवश्यकता पड़ेगी।

दूसरी बात यह है कि अभी तक इन विकास खंडों में प्रमुख को अधिकार हस्तांतरित नहीं किया गया। अभी हमारे कागजों में यह दर्ज है कि ब्लाक का प्रमुख प्राइमरी शिक्षा और दूसरी प्रकार की बातों का इंचार्ज होगा, मास्टरों का तबादला वह किया करेगा और प्रायमरी स्कूल उसके हाथ में रहेगा। और एस० डी० आई० भी उसके मातहत काम करेगा। लेकिन ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता––कम से कम मेरे जिले में तो कहीं भी पावर ट्रांस्फर नहीं की गई। तो यह सिवाय विकेन्द्रीकरण का मजाक उड़ाने, और दिखावा करने के और क्या हो सकता है ?

तीसरी बात यह है कि कई-कई जगहों पर डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर नियुक्त कर दिये हैं, लेकिन व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। बरेली में हमारे डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर चले गये, ६-७ महीने से ज्यादा हो गये, आजतक कोई नहीं पहुंचा। ए० डी० एम० (पी०) है वही चार्ज लिये बैठे हैं। तो यह विभाग किस तरह से अपना काम चलाता होगा जबकि ६–७ महीने किसी पोस्ट पर नियुक्ति नहीं की जाती। पंचायत सेक्रेटरियों को देखिये कि उनका कार्य-क्रम इस प्रकार है कि अगर किसी गांव में पहुंच जायें और दूसरी जगह का प्रधान शिकायत करे कि हमारे यहां नहीं आते, मीटिंग नहीं कराते, ध्यान नहीं देते तो वह ८ गांवों का नाम गिना देता है कि हम वहां पर थे। उसकी ड्यूटी डेफिनिट अलाट नहीं है। उसको किस समय किस गांव सभा में जाना चाहिये किस तरह विकास कार्य करना चाहिये, किस जगह की पंचायत का काम देखना चाहिये, उसका कोई अलाटमेंट नहीं है। नतीजा यह होता है कि वह महीने भर का कार्य-क्रम दफ्तरों में लिखकर भेज देता है और पता नहीं लगता कि कौन से गांवों में गया, कौन से गांव में नहीं गया। शिकायत भी प्रधान

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

नहीं कर सकता, क्योंकि उसको वह सन्तोष दिलाता रहता है कि उस समय वह काम कर रहा था, अबकी बार मैं आपका काम करूंगा। नतीजा यह होता है कि किसी गांव में एक्चुअली जाता नहीं और ऊपर ही ऊपर कागज की कार्यवाही अपनी पूरी करके भेज देता है। तो इस ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

एक बात और है। जितने भी छोटे-छोटे पुलों का निर्माण है या कुछ सड़कों या रास्तों का निर्माण है ब्लाक में इस दृष्टि से कोई कार्य नहीं हो रहा है। यदि उनसे कहा जाता है कि एक छोटी पुलिया निर्माण करनी है किसी नदी पर, या पुल आम रास्ते पर बनवाना है तो कहा जाता है कि हमारे पास बहुत कम पैसा है। हम एक पुल ही निर्माण कर दें तो और कामों का क्या होगा? तो अगर हम एक नियम बना लें कि ब्लाक के अन्दर इतने हजार रुपये तक का काम करेंगे तो हम छोटी-छोटी पुलियों का निर्माण कर सकते हैं और जिला परिषद्, पी० डब्लू० डी० और गन्ना विकास का ध्यान उस ओर दिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिन कामों में दो-ढाई हजार का खर्चा है उनमें हमें सालों लग जाते हैं और ब्लाक वाले सिवाय प्रस्ताव पास करने के कुछ नहीं कर सकते और जो काम होना चाहिये वह पूरा नहीं होने पाता। इसलिये उनके लिये जो छोटे-छोटे काम हैं उनकी ओर भी क्षेत्र के अधिकारी ध्यान दे सकें, उनको काफी पैसा दिया जा सके, इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

इसी तरीके से जो ब्लाक के अधिकारी हैं उनको जो कर्त्तव्य पालन करने के लिये दिये हैं उसको वह बेचारे समझ भी नहीं पाते हैं कि उनकी डेफिनिट ड्यूटीज क्या हैं। कभी ऐग्रीकल्चर के बारे में, कभी और-और कामों के बारे में, लगा दिये जाते हैं और सिवाय एक मैप सर्वेयर के उनको अपनी ड्यूटीज कुछ समझ में नहीं आतीं। इसलिये सारी योजनायें खाली कागज पर रह जाती हैं और उनका कोई नतीजा नहीं निकल पाता है। उनको कोई डेफिनिट अधिकार भी नहीं है। वह ए० डी० एम० (पी०) के मातहत भी हैं कलेक्टर के मातहत भी हैं और जाने कितने साहबों के मातहत हैं और उसका नतीजा यह होता है कि जो काम ब्लाक स्तर पर किया जा सकता था उसके लिये भी जवाब यही आता है कि हम कर नहीं सकते थे, हम प्लानिंग के कार्य में थे, कलेक्टर साहब जानें या सिंचाई विभाग के आदमी जानें। इस तरह से यह समझते हुये भी कि उनको काम करना चाहिये था वह खुद भी हेल्पलेस थे और कर नहीं सकते थे। तो उनको और भी अधिकार देने चाहियें बजाय इसके कि उनको सीमेंट वितरण जैसे कार्य के लिये रखा गया है या और भी इसी प्रकार की बातों के लिये रखा गया है।

अभी माननीय मन्त्राणी जी ने यह बताया कि हमने ९ लाख ६६ हजार आदमियों की पी० ए० सी० में भर्ती की। अभी जब मैंने आरम्भ किया था तो लोग मेरे यह कहने पर हंसे थे कि सिर्फ कागज पर है। किसी जिले में हुआ हो तो हुआ हो, लेकिन अपने जिले की बात मैं जानता हूं। वहां विकास खंडों में जाकर देख लें। वहां सिवाय ब्लाक स्तर पर विकास खंडों में बैठकर नाम दर्ज कर लिये गये हों बाकी इस प्रकार की भरती की कोई बात न गांव समाज के स्तर पर और न ब्लाक स्तर पर ही हुई है। हो सकता है कि गांव सभा में फार्म भर कर रख लिये गये हों, लेकिन वह सब कागज पर ही है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। भारत सेवक समाज की जो कार्यवाहियां चल रही हैं, यद्यपि इससे उनका कोई सम्बन्ध नहीं है लेकिन ब्लाक के कार्यों में वह कुछ हस्तक्षेप कर रहे हैं, हमारे यहां ऐसी शिकायत है। एक जलसे में उनके, ऐसी बातें बताई गयीं कि तुमको ब्लाक के कार्यों पर निगरानी रखनी है, गांव सभा के एकाउंट्स की भी देख भाल करनी है। इस तरह की भारत सेवक समाज की तानाशाही ढंग की कार्यवाहियां ब्लाकों, क्षेत्र

समितियों और गांव पंचायतों पर रही हैं यह उचित बात नहीं है। वहां एक भारत सेवक समाज के कनवीनर ने मीटिंग बुलाकर इस तरह की बातें उनको बतायीं कि तुमको ब्लाकों पर निगरानी रखनी है, गांव सभाओं के एकाउंट्स पर नजर रखनी है।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका समय समाप्त हो गया ।

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, अनुदान संख्या २५ जो इस समय सदन के समक्ष प्रस्तुत है मैं उसका दिल से समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे भाई अभी श्रीमन्, यह कह रहे थे नियोजन को मजबूत करने के लिये उन्हें कोई डामिनेशन बरदाश्त नहीं है जैसा कि भारत सेवक समाज ने कर रखा है। मैं समझता हूं कि भारत सेवक समाज का उससे बहुत दूर का सम्बन्ध है और उसका संचालन केन्द्र द्वारा होता है। उसके बारे में जो कुछ आपसे किसी ने कह दिया है, वह मुनासिब नहीं है, सही नहीं है।

श्रीमन्, नियोजन का जो कार्य इस समय हमारे प्रदेश में चल रहा है यह बड़ा व्यापक और आकर्षक होता जा रहा है। देहात के रहने वाले आज यह अच्छी तरह से समझने लगे हैं कि नियोजन के द्वारा ही गांव और शहरों में बहुत जल्दी सुधार होगा क्योंकि वह कार्य एक सिलसिले से चल रहा है और उसकी देखभाल बहुत अच्छी तरह हो रही है। आज जो काम हो रहा है उसपर काफी देखभाल रखी जाती है। आज जनता की समझ में यह आ गया है कि नियोजन से ही उनकी भलाई हो सकती है। इसकी जो व्यापकता है वही इस बात का सूचक है कि हम इस कार्य में सफल हो रहे हैं

श्री उपाध्यक्ष---

अब एक बज रहा है, आप अपना भाषण २ बजे से जारी रखें। अब हम उठते हैं और २ बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री बैजनाथसिंह वैद्य---

अधिष्ठाता महोदय, मैं कह रहा था कि नियोजन का कार्य जो चल रहा है वह अनोखे ढंग का है क्योंकि प्रजातन्त्र में अनेक प्रकार की बाधायें आती हैं, जिनके कारण जल्दी होने वाले कार्यों में देर लगती है। दुनियां के और देशों ने भी एक्सपैरीमेंट किये और उन्हें सफलता भी मिली। रूस ने नियोजन का कार्य अपने देश में चलाया, लेकिन उनका ढंग निराला था। कानून के जरिये उन्होंने सारे देश को एक रास्ते पर चलने के लिये मजबूर किया और काम करने के घंटों को बढ़ा दिया। नियोजन के विरुद्ध प्रचार करने वाले लोगों को सजायें मिलीं। एक आतंक का वातावरण बन गया था और उन्हें भी ३० वर्ष लग गये और थोड़ी उन्हें सफलता भी मिली। जिस तरह से एक नये ढंग से उन्होंने आजादी प्राप्त की थी उसी प्रकार नियोजन के सफल होने में समय लगा। हमारे देश में भी एक नया एक्सपैरीमेंट आजादी की प्राप्ति का हुआ जो दुनिया के सामने एक नयी मिसाल है। उस के साथ प्रजातांत्रिक पद्धति में नियोजन का कार्य भी हमारा एक नये ढंग का प्रयोग है। यह बात हो सकती है कि जितनी जल्दी सफलता मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिली। उसका एक खास कारण यह है कि जिस व्यापकता के साथ हम गांव के लोगों को समझाना चाहते थे उनकी सहमति प्राप्त करना चाहते थे, वह कार्य उस तरह से हम नहीं कर सके, उसकी जिम्मे-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बैजनाथसिंह वैद्य]

शायद हमारे सामने बैठने वाले भाइयों की भी है। वे लोग भ्रमात्मक प्रचार करते हैं और नियोजन के कार्य को भोंडा कार्य बताते हैं, सरकार के चलाने की एक मशीन बताते हैं, जिस से हमारे देहात के भाइयों पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। फिर भी जितनी सफलता हमें मिलती जा रही है दुनियां के सामने वह भी एक नयी मिसाल है। हमारे प्रदेश में नियोजन का अब एक जाल सा फैल गया है और गांवों के लोग भी समझने लगे हैं इससे कुछ फायदा भी उठाने लगे हैं।

खास तौर से हमारी नियोजन मन्त्राणी जी अपने काम को बड़े अच्छे ढंग से चलाने की कोशिश करती हैं। यह बात मशहूर है कि वह अपनी फाइल दूसरे दिन के लिये नहीं छोड़ती हैं और सारा काम उसी दिन खत्म करने की कोशिश करती हैं। वह इस चिन्ता में रहती हैं कि उनका विभाग कैसे आगे चले। ये सब ऐसी बातें हैं जिनके कारण सफलता बहुत करीब आती जा रही है।

आज गांव के लोग हमारे उन भाइयों को जो इस विभाग में काम करते हैं, ए० डी० ओ० और बी० डी० ओ० की हैसियत से, अच्छी तरह समझने लगे हैं और वे भी गांव वालों के साथ उठते-बैठते हैं। गांव वाले समझने लगे हैं कि इस विभाग के द्वारा उनकी गरीबी बेकारी और अविद्या इत्यादि दूर हो जावेगी। बहरहाल, यूं तो यह बात सही है कि हमारे आचरण में आमतौर से बहुत सुधार की आवश्यकता है। हम अपनी कमजोरियों और गैरजिम्मेदारी की बातों को कम करते जा रहे हैं और जिम्मेदारी के साथ अपने कार्यों को संचालित करते जा रहे हैं। नियोजन विभाग में हमारे गांववालों की आशायें अब बहुत निहित हो गई हैं और उन्हें यह विश्वास हो गया है कि उसके द्वारा वे जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त कर सकेंगे।

हर काम में कुछ न कुछ कमजोरी और खराबी दिखाई जा सकती है। कहा जा सकता है कि नियोजन के कार्यों में भी कुछ खामियां हैं। लेकिन फिर भी सब मिलाजुलाकर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारी हालत बहुत अच्छी होती चली जा रही है। गांव पंचायतों का पूरे तौर से नीचे से ऊपर तक नियोजन के कार्यों से सम्बन्ध होता जा रहा है। अब इस प्रकार से नियोजन की व्यापकता है कि हर आदमी समझता है कि हम इसी के द्वारा सफलता प्राप्त कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इन सब बातों के कारण हमें विश्वास है कि नियोजन के कार्यों से हमारी परेशानियां जल्द दूर हो जावेंगी। मैं अपने उन सामने बैठने वाले भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि जो बातें वे करते हैं कुछ मुनासिब नहीं करते हैं। मैं चाहता हूं कि वे सुझाव दें। हैल्दी क्रिटिसिज्म का मतलब तो यह है कि सरकार को वे बातें बतलावें जिन्हें वह समझ नहीं पाती है। लेकिन केवल बुराइयों को ही बतलाने से ऐसा लगता है कि सारी चीजें बुरी ही हो गई हैं। अच्छाई और बुराईयों की मात्रा अगर वे अलग-अलग बतलावें तो हमारे प्रदेश के रहने वालों का लाभ हो सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)--

अधिष्ठाता महोदय, नियोजन का सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिये आर्थिक विकास करना। बगैर आर्थिक विकास के किसी भी क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो सकता लेकिन आज के विकास को देखकर अगर हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तो वह यही है कि गांवों की आर्थिक स्थिति दिन व दिन गिरती जा रही है और आर्थिक आय भी गिरी है। हमारे देश में छोटे और बड़े आदमियों की आमदनी में काफी फर्क है। हर देश के छोटे और बड़े आदमियों की आमदनी में फर्क होता है। हमारे देश में यह फर्क १००, २०० और ३०० गुना है जबकि दूसरे देशों में केवल ५-७ गुना ही फर्क होता है।

कोई भी योजना उस समय तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक हम इस असमान आर्थिक अवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास नहीं करते हैं। श्रीमन्, जो नियोजन की प्रक्रिया हमारे देश में और राज्य में चल रही है उससे यही नतीजा निकला कि गरीब और गरीब होता जा रहा है और बड़े लोगों की आमदनी बढ़ती जा रही है। अगर हमें अपनी योजना को कामयाब बनाना है तो हमें उसमें आमूल परिवर्तन करना होगा।

श्रीमन्, गांवों की स्थिति यह है कि अधिकतर लोगों के पास आमदनी का कोई साधन नहीं है इसलिये वह सिर्फ मजदूरी पर ही अपना जीवन व्यतीत करता है। अधिकतर लोगों के पास खाने और पहनने का कोई ठिकाना नहीं है। हमें यह देखना होगा कि गरीबों को किसी प्रकार से काम दिया जाय, चाहे तो वह खेती के द्वारा हो, चाहे उद्योगों के द्वारा हो अथवा नौकरियों के द्वारा दिया जाय। जीविका उपार्जन के लिये उनके पास साधन होना चाहिये। इसलिये इस प्रकार से हमें योजना को कामयाब बनाने के लिये उसमें आमूल परिवर्तन करना होगा।

श्रीमन्, जो योजना चल रही है उससे केवल ४० प्रतिशत लोगों को ही लाभ हो रहा रहा है। कांग्रेस कार्यसमिति की एक रिपोर्ट अक्तूबर में अखबारों में छपी थी जिसमें इस बात को कबूल किया गया था कि योजना से ६० प्रतिशत लोगों को लाभ नहीं पहुंच रहा है। इसलिये अगर योजनाओं को कामयाब बनाना है, गरीब जनता को ऊपर उठाना है और असमान आर्थिक व्यवस्था को दुरुस्त करना है तो योजनाओं में परिवर्तन करना अनिवार्य है।

अब मैं आपका ध्यान सामुदायिक योजनाओं की ओर खींचना चाहता हूं। यह सामुदायिक योजना सिर्फ कुछ लोगों को जीविका उपलब्ध करने का साधन मात्र हैं। इसके द्वारा अफसरों और कर्मचारियों की पल्टन तैयार की जा रही है बाकी देहात को उससे कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है। जहां तक बजट का सम्बन्ध है अगर इसको ध्यान पूर्वक देखा जाय तो उसका दो-तिहाई भाग अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्तों तथा साज समान पर खर्च हो रहा है और केवल एक तिहाई भाग ही जनता के पास पहुंचता है। आप देखें कि जिला स्तर पर बड़े-बड़े अधिकारी रखे जाते हैं, उनकी एक पल्टन बनायी जा रही है। जैसे नियोजन अधिकारी, उद्योग अधिकारी, कल्याणकारी अधिकारी, इस तरह के तमाम अधिकारी हर जिले में रखे जाते हैं जिनका एक ही काम है। अगर जनता को मदद पहुंचानी है, जनता को ट्रेनिंग देनी है तो यह जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा स्टाफ रखा जाय। सारा काम विकास खंड द्वारा होता है। आखिर उन लोगों का कौन-सा काम है जब वही काम विकास खंड के आफिसर और कर्मचारी करते हैं। इसी तरह से अगर आप विकास खंड को ले लीजिये तो वहां भी बी० डी० ओ०, तमाम ए० डी० प्रोज० और तरह तरह के आफिसर और कर्मचारी रखे जाते हैं। तो इस तरह से जितना अनुदान है, श्रीमन्, वह सिर्फ कर्मचारियों और अधिकारियों को नौकरी देने के लिये ही एकमात्र रखा गया कहा जा सकता है।

देहातों की स्थिति ज्यों की त्यों है। नियोजन चल रहा है लेकिन गोंडा के जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वह बिलकुल बाढ़ का इलाका है। शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था आज भी अधिकतर गांवों में नहीं हो पा रही है। डेढ़-डेढ़ और दो-दो मील से लोगों को अपने पीने के लिये पानी लाना पड़ता है और जब बाढ़ आती है तब तो उनकी हालत ऐसी खराब होती है कि जिसका वर्णन हम आपके सामने नहीं कर सकते।

ज्यों-ज्यों योजना बढ़ती जाती है, उसी के साथ-साथ योजना अधिकारियों और कर्मचारियों में भ्रष्टाचार भी बढ़ता जा रहा है अगर हम इस भ्रष्टाचार को कठोरता के साथ नहीं दबाते हैं तो फिर सारी योजना बिलकुल बेकार हो जायगी। श्रीमन्, आपका ध्यान मैं बाराबंकी जिले में ले जाना चाहता हूं। वहां के जिला नियोजन अधिकारी ने वहां अपना

[श्री गिरजाप्रसाद—]

निजी मकान तैयार किया है और सारे सरकारी साधनों का इस्तेमाल किया है। जिसके सम्बन्ध में मैंने नियोजन मन्त्री को पत्र भी लिखा था, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई साथ ही साथ मकान तैयार होने के बाद उसको पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र बना दिया गया है और वह किराये पर उठ गया है, जहां पर ५० कर्मचारी ट्रेनिंग लेते हैं लेकिन उनके रहने की जगह भी नहीं है। तो इस तरह से विकास कर्मचारी और अधिकारी अपने निजी कार्य में दिलचस्पी लेते हैं। समय नहीं है, नहीं तो और जो उनकी भ्रष्टाचार के नमूने हैं, उन सब को मैं आपके सामने रखता।

यहां पर कृषि उद्योग की तमाम बातें की गयीं। हमारे जिले में भी उद्योग परियोजना चालू है। तमाम योजनायें बनी हैं लेकिन वे सब फर्जी योजनायें ही रह गयी हैं। एक दो योजना चाहे चल रही हो, बाकी जितनी योजनायें हैं वे सब केवल कागज के ऊपर ही हैं या कुछ स्वार्थी लोगों के हाथों में ही हैं और पैसे लेने के लिये ही सरकारी कर्मचारियों और उन स्वार्थी लोगों ने अपना एक षडयन्त्र रच रखा है। एक जाल बना लिया है जिससे वे एक अच्छी खासी लिस्ट यहां दे देते हैं लेकिन गांव में कोई कार्य नहीं होता है। हमारा देश गरीब है और ऐसी हालत में इसकी एक-एक पाई बचा कर देश की हिफाजत के लिये रखना है।

जब मैं पढ़ रहा था तो उस समय की एक बात मुझे याद आती है। जब महात्मा गांधी पैदल यात्रा कर रहे थे तो उनके पांव में बेवाई हो गयी थी पैर में पट्टी बंधी थी वह कहीं गिर गई और उनको थोड़ा कष्ट हुआ इस पर उन्होंने उसी पट्टी को ढुढवाया। इस तरह से वह एक छोटी चीज के लिये इतनी सावधानी बरतते थे। लेकिन हमारे यहां यह हो रहा है कि हमारी सरकार सावधानी के बजाय ऐसे काम करती है जिससे गरीब आदमी की हिम्मत टूटती है और मितव्ययता की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता और जो खर्च होता है उसका लाभ भी गरीबों तक नहीं पहुंचता है। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए समाप्त करता हूं।

श्री किशोरीलाल अग्रवाल (जिला लखनऊ)—

श्री अधिष्ठाता जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। माननीया नियोजन मंत्राणी जी ने जो यह अनुदान की मांग की है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं अधिक बातें न कह कर केवल जो सामुदायिक विकास योजना में खराबियां हैं और उसके कार्यों को जो मेशीनरी इम्पलीमेन्ट करती है उसके विषय में ही कुछ बताऊंगा और सुझाव दूंगा।

मैं चिनहट ब्लाक का मेम्बर भी हूं और अधिकतर जब भी उसकी मीटिंग होती है तो मैं उसको अटेंड करता हूं और वहां मैंने बहुत नजदीक से यह जानने की कोशिश की है कि दो योजनाओं के समाप्त होने के बाद और तीसरी के प्रारम्भ होने के बाद भी अपने प्रदेश में तरक्की क्यों नहीं हो रही है। कृषि उत्पादन का हाल यह है कि वह अब ६२–६३ में भी वही रहा जो सन् ६१–६२ में था, इसका कारण क्या है १९६०–६१ में १४१.५ लाख टन था, ६१–६२ में १३९.५ लाख टन और ६२–६३ में वही रहा जो ६१–६२ में था, करीब-करीब वही है। इस साल चूंकि रबी की फसल खराब है।

एक सदस्य—

कहां से बता रहे हैं ?

श्री किशोरीलाल अग्रवाल—

यह किताब जो आपको बांटी गई है उसमें से बता रहा हूं, आप को न मिली हो तो मेरे घर आकर लें लें।

हमें इस समय यह सोचने की जरूरत है कि हमारे यहां प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ रहा है। इसके कई कारण हैं, और इसका मुख्य कारण यह है कि आज हमारे यहां अफसरों की पल्टन है लाखोंमें और उन में भी आपस में कोआर्डिनेशन नहीं है। विभाग अलग-अलग अपने आर्डर्स

जारी करते हैं और बी० डी० ओ० अपने आर्डर अलग जारी करते हैं और यह ए० डी० ओ० एग्रीकल्चर वगैरह जो हैं यह लोग अपने विभाग के कहने के मुताबिक काम करते हैं, उनको यह फिक्र नहीं रहती कि पैदावार कैसे बढ़ाई जाय और चूंकि उनके केरेक्टर रोल में बी० डी० ओ० को एन्ट्री करने का अधिकार नहीं है इसलिये वह उनके कहने के मुताबिक काम नहीं करते। जरूरत इस बात की है कि बी० डी० ओ० को ही कैरेक्टर रोल में हिन्दी एन्ट्री का अधिकार दिया जाय।

हमारे यहां एक तरफ तो डायरेक्टरेट है और दूसरी तरफ विकास आयुक्त का आफिस है, यह दो चीजें अलग क्यों है मेरी राय में विकास आयुक्त के अधीन ही सब विभाग आने चाहिये क्योंकि जब प्लानिंग हो रही है, नियोजन से काम चल रहे हैं तो आवश्यक है कि एक हेड होना चाहिये और डिपार्टमेंटल हेड अलग न होने चाहिये। यह न होना चाहिये कि डेवलपमेन्ट कमिश्नर के अन्डर में केवल बी० डी० ओ० ही हो। खाद का वितरण भी कोई खास नहीं हुआ है। पिछले २, ३ साल में जितनी खाद बटी है उतनी ही अभी भी बटी है। यही कारण है कि प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि जब पापुलेशन बढ़ रही है विकास का काम भी बढ़ना चाहिये केवल कागज पर काम बढ़ रहा है, वास्तव में ऐसा नहीं है। इसलिये जरूरी है कि जो ए० डी० ओ० बी० डी० ओ० हैं इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिये कि वह किसान को प्रोत्साहित करें कि ज्यादा से ज्यादा खाद इस्तेमाल करें तभी फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा। ब्लाक में कोई कोआर्डिनेशन नहीं है। अभी मैंने बताया कि एक तरफ डिपार्टमेन्ट के मातहत ब्लाक के अधिकारी है, दूसरी तरफ बी० डी० ओ० के अन्डर वह नामिनल रूप से है। इसलिये जरूरत हैं कि बी० डी ओ० हर ब्लाक में आल इन आल हो। कोई जिम्मेदारी नहीं फील करता है इस लिये जरूरी है कि प्लानिंग सेक्रेटरी और डेवलपमेन्ट कमिश्नर दो अलग अलग पोस्टें होनी चाहिये। डेवलपमेन्ट कमिश्नर की जिम्मेदारी है कि वह दौरा करें कागजी कार्यवाही करने के लिये प्लानिंग सेक्रेटरी होना चाहिये जो स्टेटिस्टिक्स वगैरह इकट्ठा करे और कानफरेंस वगैरह करे।

सिंचाई विभाग अपनी जिम्मेदारी विकास लेविल पर बहुत कम फील करता है। वे नहर ट्यूबवैल्स बना देते हैं लेकिन उनके अधिकारी यह नहीं देखते हैं कि वह किसान को प्रोत्साहन देते हैं कि नहीं कि वह पानी इस्तेमाल करें? अतः जब तक बी० डी० ओ० के अन्डर सिंचाई विभाग के लोग नहीं आयेंगे तब तक मैं समझता हूं प्रोग्रेस नहीं होगी। कोआपरटिव सुपरवाइजर भी अपने विभाग की तरफ देखते हैं और बी० डी० ओ० के अन्डर काम करने की कोशिश नहीं करते हैं।

इसी तरह से ब्लाक बाउन्ड्री निश्चित होनी चाहिये। तहसील के परगने की बाउन्ड्री अलग-अलग होने से विभाग को स्टेटिस्टिक्स इकट्ठा करने में और लोगों को हुए कामों की प्रगति के बारे में बताने में कठिनाई होती है। इसलिये ब्लाक और परगने की बाउन्ड्री एक ही होनी चाहिये। एक-एक ब्लाक में ए० डी० ओज० बहुत हैं जब कि ग्राम सेवक ज्यादा होने चाहिये थे। १० गावों में एक ग्राम सेवक होता है जिसकी वजह से वह लोगों के सम्पर्क में नहीं आता। वह लिखा पढ़ी का काम करता है। अतः ग्राम सेवकों की संख्या बढ़ायी जाय क्योंकि वही डायरेक्टली किसानों के सम्पर्क में आते हैं। एक बीज जो ब्लाक के काम में बाधा डाले हुए हैं वह हैं ए० डी० ओ० वीमन, उसकी पोस्ट खत्म करके हर विकास क्षेत्र में स्कूल लड़कियों के लिये खोल दिये जायं। उसी के माध्यम से स्त्रियों के वकास के काम होने चाहिये। उससे यह फायदा होगा कि जितनी ज्यादा लड़कियां पढ़ेगी उतना ही उनका कल्याण होगा। फिर कुदरती बात है कि विकास की ओर उनके पग बढ़ेंगे। इसलिये मैं मंत्राणी जी से निवेदन करूंगा कि इस पर वह खास तौर से ध्यान दें कि सोशल वेलफेयर जो वीमेन का है इसको एबालिश करके वे हर ब्लाक में लड़कियों के स्कूल ज्यादा से ज्यादा खोलें और उनके माध्यम से जितनी सोशल बातें हैं वे बतला दें।

[श्री किशोरीलाल अग्रवाल]

अन्त में मैं यह कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो प्रमुख हैं गांव ब्लाक के उनको और जो भी सोशल वर्कर्स हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाय ताकि वह यह जानें कि उनको अपने गांव में किस प्रकार से काम करना चाहिये, क्योंकि सिर्फ सरकारी मशीनरी नियोजन का जो उद्देश्य है उसको नहीं दे पायेगी। जब तक जनता का सहयोग नहीं होगा इसमें सफलता नहीं मिलेगी। अपोजीशन को चाहिये कि वह गांव में जा कर क्या क्या करप्शन है उसको बतलाये तो कोई कारण नहीं है कि मंत्राणी जी उस पर ध्यान न दें। लेकिन आज अपोजीशन का रोल यह है कि वह डिपार्टमेंट की खराबी न देख कर यह देखता है कि मंत्राणी जी किस तरह से खाती हैं, कैसे रहती हैं। इन चीजों की तरफ अपोजीशन को देखना चाहिये।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सर्वप्रथम माननीय यादव जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जब से प्रदेश में नियोजन का कार्यक्रम चला उसी समय से उत्तर प्रदेश में कम्युनिटी (समुदाय) की परिभाषा का सवाल पैदा हो गया। बदकिस्मती से स्वर्गीय पंत जी के यहां से जाने के बाद से इस प्रदेश में यह भ्रम पैदा हो गया कि किस कम्युनिटी का विकास किया जाय। कम्युनिटी के अर्थ पर ही यहां अशान्ति पैदा हो गयी है। शासक दल के लोगों ने ही चर्चा की। इस प्रदेश के जो लोग राज काज संभाले हुए हैं वे कम्युनिटी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। शासक दल के लोग एक कम्युनिटी विशेष या अपनी-अपनी कम्युनिटी का ख्याल रखते हैं। आज जब वह शासक दल का एक पक्ष सत्ता पर हावी है तो दूसरा पक्ष कहता है कि यहां जातिवादी कम्युनिटी का सवाल सरकार के सामने है। कम्युनिटी का गलत प्रयोग जातिगत समुदाय के रूप में हो रहा है।

जहां तक नियोजन में कोआर्डिनेशन (एकीकरण) का प्रश्न है वह स्पष्ट है कि प्रदेश में नियोजन विभाग को खंडित किया गया है। इस मंत्रिमंडल में भी वैसा कोआर्डिनेशन है इसकी भी मिसाल है। अभी एक सवाल प्रदर्शनी का उठ खड़ा हुआ था। इस हाउस में हंगामा पैदा किया गया और इस मंत्रिपरिषद् के एक वरिष्ठ सदस्य नाटकीय ढंग से प्रदर्शनी देखने दौड़े गये और लौटकर बयान दे दिया कि बड़ा अनर्थ हो गया, इस प्रदेश में आदरणीय नेहरू जी की हत्या की कोशिश हो रही है और अपने एक सहयोगी पर उन्होंने आक्षेप किया। यह एकीकरण का नमूना है। माननीया सुचेता जी, जिन्होंने इस बजट को प्रस्तुत किया है, उनके ऊपर भी लांछन लगाया कि उन्होंने भी नेहरू जी की गद्दी छीनने की कोशिश की है।

श्री अधिष्ठाता---

वह बात तो आप काफी कह चुके, अब प्वाइंट पर आ जाइये।

श्री मैनेजरसिंह---

मान्यवर, कोआर्डिनेशन के सिलसिले में कह रहा हूं और किसी के संबंध में तो शिकवा शिकायत हो सकती है लेकिन उनके बारे में सारा देश और विशेषकर जो लोग स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले राजनीति में रहे हैं वे सब जानते हैं, इनकी नीयत पर कोई संदेह नहीं कर सकता। इन पर भी कीचड़ उछालने की कोशिश की गयी। क्या यही कोआर्डिनेशन का नमूना है इस प्रदेश में? मैं यह निवेदन कर रहा था कि जबसे नियोजन की चर्चा इस देश में शुरू हुई यह प्रदेश ऐसा बदकिस्मत है कि कोई नियोजित कार्यक्रम न चल सका। जिस प्रदेश में कभी जातीयता और क्षेत्रीयता की बात सुनने को नहीं मिलती थी आदरणीय पंत जी और रफी साहब के नेतृत्व में उसमें आज इस तरह की छोटी छोटी बातें सुनने को मिलती हैं। मैं जानता हूं, हमारे माननीय गुप्ता जी पुराने कांग्रेसी सिपाही रहे हैं। उन पर पहले कोई आक्षेप जातीयता का नहीं होता था लेकिन जब से उन्होंने मुख्य मंत्रित्व सम्हाला है तब से, चूंकि उन्हीं के लोगों ने माननीय सम्पूर्णानन्द के जमाने में शुरू किया था इसलिए अब इनके खिलाफ भी सुनने में आता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस प्रदेश में नियोजन के कार्य में या और कहीं कोआर्डिनेशन नहीं है।

जहां तक नियोजन के कार्यों का संबंध है इसके कार्यक्रम को संचालित करने वाले जो अधिकारी हैं और जो इस प्रदेश का सूत्र संचालन करने वाले लोग हैं उनका मस्तिष्क नियोजन के कार्य में नहीं लग रहा है और उनके दिमाग की पृष्ठिभूमि नियोजन के अनुकूल कभी नहीं बनी है। जो सरकार के सदस्य हैं उनमें अधिकांश लोग आज राजनीतिक गुटबाजी में अपना ज्यादा समय देते हैं और प्रदेश के सामुदायिक विकास में कम रुचि लेते हैं। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश में सिविल सर्विसज के लोग शासन पर हावी हैं और जो पी० सी० एस० या आई० ए० एस० के अधिकारी नियोजन के कार्यक्षेत्र में आते हैं उनका दिल व दिमाग वही पुराना रहता है। इसलिये यह आवश्यक है कि नियोजन के लिये जिस प्रकार पहले आई० सी० एस० का एक वर्ग था और आज आई० ए० एस० का है उसी तरह से नियोजन के लिये एक अलग सिविल सर्विसेज की मशीनरी बननी चाहिये और उसमें जो लोग चुने जायं उनमें यह देखा जाय उनका मानसिक रुझान नियोजन के प्रति है या नहीं और उनका प्रशिक्षण ऐसी रीति से किया जाय ताकि जब वे नियोजन के कार्य को सम्हालें तो उसकी बुनियादी बातों को पकड़ पावें और सही रूप से उसे क्रियान्वित कर सकें।

योजना के सिलसिले में हमारे कई मित्रों ने कहा कि बहुत से लोगों को रोजगार मिला है। हमारी योजनाओं का एक उद्देश्य यह भी है कि देश से बरोजगारी कम की जाय। लोगों को रोजगार दिया जाय। उस माने में सही है कि कुछ लोगों को रोजगार मिला, नियोजन का मुहकमा खुलने से। आप देखेंगे कि ब्लाक स्तर पर जो एक बड़ी फौज अधिकारियों और कर्मचारियों की है उस पर कितना व्यय होता है। माननीया मंत्राणी जी ने कहा कि ११ करोड़ का खर्चा ८ करोड़ कर दिया गया। मैंने अभी हिसाब लगाया तो देखा कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण दोनों को मिला कर ३ करोड़ २६ लाख १२ हजार रुपया वेतन और भत्ते पर खर्चा है। कृषि जिस पर बहुत जोर दिया जा रहा है और जिसकी तरक्की के लिये बहुत ढिंढोरा पीटा जा रहा है, उन कृषि कार्यक्रमों पर केवल ५४ लाख २३ हजार रुपया रखा गया है। पशु पालन पर १२ लाख ६५ हजार की धनराशि रखी गयी है। तो कैसे विकास होगा? हमारे किसी मित्र ने कहा कि आपके ब्लाकों में ए० डी० ओ० कम्पोस्ट हैं। मैं आदरणीया मंत्राणी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ए० डी० ओ० ऐग्रीकल्चर उस कार्य को सम्पादित नहीं कर सकते हैं? इस प्रकार से अनावश्यक पद वहां सृजित किये जाते हैं। जब एक अफसर किसी विभाग का प्रदेश स्तर पर बनाया जाता है, ए०डी०सी०, डी० डी० सी० निदेशक आदि तो वह चाहता है कि उसका विभाग गांव तक चला जाय। आज इस बात की आवश्यकता है कि कर्मचारियों की फौजे में कटौती की जाय, नये कर्मचारी न बढ़ाये जायं और जो नये ब्लाक खुलने वाले हों उनमें उन्हीं कर्मचारियों को ऐडजस्ट किया जाय और जो रुपया बचे उसको कृषि के कार्यक्रमों में लगाया जाय ताकि कृषि की उन्नति हो सके।

प्रदर्शन और प्रशिक्षण में भी कुछ पैसा रख दिया गया है। विकास के कार्यक्रमों को सम्पादित करने के लिये, आवश्यक है कि प्रदर्शन हों, प्रशिक्षण हों। मैं इसके साथ कहना चाहता हूं कि विकास कार्यक्रम में यदि कहीं ज्यादा गड़बड़घोटाला है तो प्रदर्शन और प्रशिक्षण के कार्यों में ही है। प्रशिक्षण के कार्य के अन्तर्गत आने जाने के भत्ते के चक्कर में, खाने पीने के चक्कर में ज्यादा ध्यान रहता है। फरजी मीटिंग्ज दिखला कर हर स्तर पर हिसाब लगाया जाता है। विशेषकर जो कृषि के प्रदर्शन होते हैं उनमें काफी फरजीपन देखने को मिलता है मैंने अपने जिले में कृषि मूल्यांकन कमेटी में घूम कर देखा तो ८०,९० फीसदी फरजी कार्य मिले। डी० पी० ओ० और कृषि अधिकारी हमारे साथ थे, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। बनारसी क्षेत्र में, जब कि हक साहब डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर थे, तो उस वक्त यह काम बहुत जोरों से बढ़ा, फरजी स्टेटमेंट बनाने का और फरजी नक्शा बनाकर यह दिखलाया गया कि बनारसी रीजन का बहुत अच्छा कार्य है। मैं चैलेंज करता हूं। सरकारी पक्ष इसको इनकार करें तो मैं चलने के लिय तैयार हूं। जो लक्ष्य की पूर्ति दिखलायी गयी है, आज भी उसकी पूर्ति नहीं हुई है।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सर्वप्रथम तो कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और माननीया मंत्राणी जी को इसके लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसे विभाग के लिये अनुदान मांगा कि जिस विभाग के द्वारा हमारे प्रदेश और देश की आशायें बंध रही हैं कि इसके द्वारा हमारा कल्याण होगा और मानवता में समानता आयेगी। जब से इस नियोजन विभाग की हमारी सरकार ने स्थापना की तब से हमारे अधिकारीगण ने इतने परिश्रम के साथ कार्य किया कि शायद जितना कांग्रेस वालंटियरों ने और हमने उस जमाने में नहीं किया। श्रीमन्, उन्होंने दिन रात एक कर दिया और अपना सोना बैठना उठना सब हराम कर दिया, जैसा कि नेहरू जी कहते हैं आराम हराम है, वह करके दिखलाया और हमारे देहातों में यह चमत्कार फैलाया कि वहां का अन्धकार मिटा और उस चमत्कार के द्वारा हमारे गांव के निवासी भी यह समझने लगे कि हम भी इंसान हैं और हमारा कर्त्तव्य है कि हम अपने गांव, जिले, प्रदेश और देश की उन्नति करें। यह सब बातें ठीक थीं जब तक नियोजन जिले के स्तर पर था और यह बखेड़ा नहीं था जो ब्लाकों के द्वारा चारों ओर फैला हुआ है....

श्री अधिष्ठाता—

आप माइक पर बोलिये। सदन आपकी बात सुनना चाहता है और आप सुनाते नहीं हैं।

श्री हरीसिंह—

श्रीमन्, यहां तक मैंने देखा है कि हमारे जो प्लानिंग अधिकारी होते थे, हम आलस्य मान जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी आलस्य नहीं माना। वह ऊंची शिक्षा प्राप्त थे और अच्छे और ऊंचे पदों पर विराजमान थे। जो योजनायें हमारे दिमागों में नहीं थीं, वह योजनायें उन्होंने हमें दिखायीं और वह रास्ते दिखाये कि जिनकी वजह से हम उनको बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे और समझते थे कि अब हमारे देश का अवश्य कल्याण होगा और हमें अपने मंत्रियों में भी श्रीमन्, उतना ही विश्वास था। हमारे मंत्रियों ने भी दिन रात एक किया और जहां तक हमारी जनता के उत्थान का कार्य था उसमें उन्होंने वह कार्य किया कि जिसके लिये हम चाहे बहुमत दल के हों चाहे विरोधी दल के हों, ऐसे मंत्रियों की हमें भूरि भूरि प्रशंसा करनी चाहिये। उन्होंने और अधिकारियों ने ऐसा कार्य कर दिखाया कि जिन गांवों में गाड़ियां गड्ढे में फंसती थीं, कोई सफाई नहीं रहती थी, आज वहां खड़ंजे मौजूद हैं, आज वहां पेशाबघर मौजूद हैं, पाखाने मौजूद हैं जब कि शहरों में भी गरीबों के मुहल्लों में उनका प्रबन्ध नहीं है। लेकिन ज्यों ज्यों समय बीतता गया, त्यों त्यों ब्लाकों के जो स्थापना हुई जिसने अपना प्रचार आरम्भ किया और दे ट्रेनिंग, दे ट्रेनिंग, पता नहीं किस बात की ट्रेनिंग दिन रात दिया करते हैं। जिनको कुछ पता नहीं कि हल कितने बहान में चलाये जाते हैं, कैसे चलाये जाते हैं, वह हमारे किसानों को शिक्षा देने जा रहे हैं।

श्रीमन्, यहीं तक नहीं, जो सरकारी सहायता दी जाती है वह भी जब तक बी०डी०ओ०, ए०डी०ओ० को पूजा नहीं चढ़ती तब तक नहीं मिलती। हमारे योजना अधिकारियों ने जो बस्तियां बसायीं आज मौजूदा प्लानिंग के अधिकारी जो बैठे हैं वह कभी जाकर उसे देखते भी नहीं हैं कि वहां हो क्या रहा है। मंत्री जी भी नहीं जाते। वह सब काम ठप हो गया और सरकार का लाखों रुपया बरबाद हो गया, कभी मंत्राणी जी या उनके अधिकारियों ने जाकर नहीं देखा जबकि इस विभाग की मंत्राणी वह हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन देश के लिये और अपने प्रदेश के लिये....

श्री अधिष्ठाता—

आप माइक पर बोलिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मैनेजरसिंह--

मेरठ में तो वैसे ही पांच पांच मंत्री हैं, वहां किसी मंत्री के जाने की क्या जरूरत है ?

श्री हरीसिंह---

श्रीमन्, यहीं तक नहीं, दुख की बात तो यह है कि जब माननीय मैनेजर सिंह जी जैसे लोग विरोधी दल में हों जो व्यक्ति इधर उधर की डींग मारते हों, ऐसे मैनेजरसिंह जी ऐसे व्यक्ति जिस प्रदेश की सरकार के विरोधी हों तो फिर कैसे उस प्रदेश का कल्याण होगा ? ऐसे लोगों का सिवाय बुराई करने के सरकार की और दूसरा कोई काम नहीं है चाहे सरकार कितना ही अच्छा काम करे। जब उन्होंने मेरी बात को मोड़ दे दिया है तो मैं उनको बताऊं कि उनका बल क्या है ।

वह एकीकरण की बात करते हैं । प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में रहकर भी वह एकीकरण की बातें करते हैं जो दूसरी पार्टी से टूट कर आये हैं । उस पार्टी की सरकार की वह बुराई करते हैं । जिस पार्टी की सरकार जनता ने भेजी है और जनता के लिये कल्याण का काम करना चाहती है और देश का उत्थान करना चाहती है । मैं मेनेजरसिंह जी से निवेदन करूंगा कि वह उस मन्त्राणी जी का विरोध करते हैं जिस मन्त्राणी जी ने जनता के उत्थान के लिये अपना जीवन दे दिया है । जिन दुकानों पर जाकर आप खादी खरीदते हैं वह उन दुकानों पर जाकर सूत की गट्ठियां ढोती थीं । वह सब उनकी ही बनाई हुई योजना है । कुछ हमारे कम्युनिस्ट भाई भी इसका विरोध करते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है और जो देश और प्रदेश को गुलाम बनाना चाहते हैं । वह इस देश से हमेशा के लिये भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं । वह बजाय इसके कि अमीर को नीचे लायें और गरीब को उठावें इन दोनों को खत्म करना चाहते हैं । भाई भाई के अन्दर कटुता पैदा करना चाहते हैं । वह भी आज इस तरह से योजना और एकीकरण की बात करते हैं जो कभी एकीकरण के पक्ष में नहीं रहे हैं ।

मैं आपके द्वारा मंत्राणी जी से यह निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि आपके अधिकारी जो काम करते हैं ब्लाकों के अन्दर उनका रवैया अच्छा नहीं है । आपके बी० डी० ओ० और ए० डी० ओ० ब्लाकों के अन्दर जनता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं । उनकी वजह से वहां पर गरीब जनता में हाहाकार मचा हुआ है । जनता का ब्लाक के अन्दर अपमान होता है । मेरी समझ में नहीं आता कि आप उसको देखते क्यों नहीं हैं । जब तक प्लानिंग के अन्दर वे अपनी पूजा नहीं ले लेते तो कोई बात सुनते नही हैं। जब मन्त्राणी जी मेरठ ब्लाक के अन्दर गई थीं तो उनको शिकायत की गई थी । यहां तक कि जिन बस्तियों के ऊपर गवर्नमेंट का लाखों रुपया व्यय हुआ है उनकी तरफ भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है । उसको कोई देखता नहीं है । जहां पर जरूरत है वहां पर कोई सहायता नहीं दी जाती है । किसानों को और गरीब मजदूरों को आप सहायता दीजिये और फिर दखिये कि वे लोग कितनी उन्नति करते हैं । उनको खाद, पानी और अच्छा बीज दीजिये तो वे आपको खेती की पैदावार बढ़ाकर दिखा सकते हैं । किसानों के लिये आपने कोई सुविधा नहीं दी है । उनके लिये कोई इंडस्ट्री भी नहीं है जो इस विभाग के द्वारा फैलाई गई हो । जो छोटी छोटी इंडस्ट्री थी उसको आप खत्म करने जा रहे हैं । इसलिये मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मंत्राणी जी इस नियोजन विभाग की ओर बहुत ध्यान दें। आप बहुत महामान्या और विद्वान हैं । आप से जनता को पूरी आशा है । मुझे आशा है आप इस पर ध्यान देंगी। जो आपके अधिकारी ब्लाक में रिश्वत लेते हैं वे न लें, जो सहायता सरकार देती है मजदूर, हरिजन और किसानों को उसका सही सही प्रयोग हो । इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री अवधप्रतापनारायणसिंह (जिला गोंडा)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे अपने विचार रखने के लिये समय दिया। अभी मैं माननीया श्रम मंत्राणी जी का भाषण सुन रहा था । उन्होंने ब्लाक प्रमुख, बी० डी० ओ०, बीज भंडार सिंचाई के साधन, बड़े उद्योग धंधों और छोटे

[श्री अवधप्रतापनारायण सिंह]

उद्योग धंधों, इमरजेन्सी पीरियड, और कान्सट्रक्शन वर्क के लिये जो उन्होंने बताया है, मैं उन सब बातों को बड़े गौर से सुनता रहा हूं । मैं मंत्राणी जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां उन्होंने इन सब बातों को कहा, और यह कायदे कानून बनाये, वहां पर जो ब्लाक प्रमुख चुने जाते हैं उनके लिये यह कायदे कानून नहीं बनाये कि जो अनपढ़ और अनिभिज्ञ हैं, जो लोग नहीं चुने जा सकते हैं, वे लोग भी चुनकर चले आते हैं और वह गलत काम करते हैं । वह बी० डी० ओ० के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं । इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया है । जो अयोग्य और अशिक्षित होते हैं और जो चुनकर चले जाते हैं, वहां पहुंचकर वह बी० डी० ओ० के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं । वह जो चाहते हैं उनसे गलत और सही काम करवा लेते हैं । जो फर्जी तरीके से काम होता है, वह बी० डी० ओ० का होता है । ब्लाक का कोई काम नहीं होता है । मैं अपने जिले गोंडा के बाघनजोत नामक ब्लाक की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । हमारे जिले में वैसे ही दलबन्दी रहती है और वहां पर स्वतंत्र पार्टी ने सब पर अपना कब्जा धांधली से जमा रखा है । जिस पर सरकार ने ध्यान दिया है, उससे कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है । बी० डी० ओ० जो हमारे बाघनजोत ब्लाक के हैं, उनका काम पक्षपात और वहां क्षेत्र के अन्दर पार्टी बाजी और गुट बनाना यही सब काम उनका रह गया है । जो जीपें सरकार से मिली हुई हैं वह भी बारात आदि में उपयोग की जाती हैं । मैंने एक मर्तबा माननीय मुख्य मंत्री और श्रम मंत्राणी जी को भी उसकी सूचना दी थी । डेवलपमेंट कमिश्नर को भी इस बात की सूचना दी । मगर आजतक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है ।

अब मैं सिंचाई के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । हमारा क्षेत्र जो कि सिंचाई के बारे में बड़ा ही पिछड़ा हुआ है, वहां पर मालवीय स्कीम चलाई गई और २२ लाख रुपया केन्द्रीय सरकार से लिया गया मगर आज भी आप देखें कि वहां पर १२ लाख रुपये का घाटा है । समय पर पानी नहीं मिलता है, बीज नहीं मिलता है । माननीय सिंचाई मंत्री जी से कहा जाता है कि यह सिंचाई की योजना आप सरकार में शामिल कर लें ताकि यह कुछ चले मगर मंत्री जी आज तक उस पर राजी नहीं हुए । इस साल वह सदन में राजी हुए हैं कि उसको ले लिया जायगा, परन्तु आजतक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है । उस क्षेत्र की ४० हजार जनता जो आज १२ लाख रुपये का घाटा देख चुकी है और जो कर्जे से पीड़ित है, वह मालवीय स्कीम के नाम पर रो रही है । बड़े धंधों के लिये तो रा-मैटीरियल्स गोंडा में बहुत काफी है, मसलन पेपर मिल के लिये बंकस, जंगल की घास और गन्ने की खुइया तथा जड़हन की भूसी आदि । अगर बड़े धंधे खोले जायं तो उसका उपयोग हो सकता है और वहां पर पेपर मिल आसानी से काम कर सकती है । हमारी माननीया श्रममंत्राणी जी ने भी अभी पिछले साल कहा था कि हर ब्लाक में २ छोटे उद्योग-धंधे खोले जायेंगे । मगर बड़े ब्लाक की कौन कहे, हमारे जिले में, जहां तक मेरा खयाल है, अभी तक कोई उद्योग-धंधा नहीं खोला गया है । इमरजेन्सी पीरियड के लिये जो तराई एरिया घोषित किया गया है जिसमें नैनीताल पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, बस्ती, गोरखपुर है, मगर उसमें आप देखें कि गोंडा का कहीं नाम तक नहीं है । पूर्वी जिले बस्ती तक चले जाते हैं, पश्चिमी जिले बहराइच तक चले जाते हैं, मगर गोंडा का नाम ही नहीं है । इतना पिछड़ा इलाका, उसका कहीं ध्यान ही नहीं ।

कंस्ट्रक्शन वर्क के लिये अभी पढ़ा और बजट को देखा । १५ तारीख का यह "नैशनल हेराल्ड" है । बस्ती के लिये डेढ़ करोड़ रुपया मंजूर कराया गया, मगर गोंडा के लिये कुछ नजर नहीं आया । इसलिये मैं कटौती का प्रस्ताव जो हमारे विरोधी दल की तरफ से रखा गया है उसका समर्थन करता हूं ।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह स्वाभाविक था कि प्रदेशीय सरकार की नियोजन की अनुदान की मांग के ऊपर कटौती का प्रस्ताव कम्युनिस्ट दल के योग्य साथी यादव जी उपस्थित

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करते, क्योंकि विश्व के कम्युनिस्ट दल को इस बात का श्रेय प्राप्त है कि प्लानिंग की कल्पना, आर्थिक प्रणाली की ये लोग लाये और उसका सफल प्रयोग भी किया । विश्व में जो नियोजन हुआ उसको कहा जा सकता है कि "चांद की ऊंचाई तक" पहुंचा । उससे दुनिया के पिछड़े हुए देश नियोजन की तरफ आकर्षित हुए, लेकिन श्रीमन्, हिन्दुस्तान में जो कि नियोजन पर प्रयोग चल रहा है उसमें एक तथ्य में मौलिक रूप से रूस के नियोजन से अन्तर है और यदि उसकी उपेक्षा कर दी जाय तो हिन्दुस्तान में चल रहे नियोजन का सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता ।

प्रजातांत्रिक नियोजन का इतिहास दुनिया के और किसी देश के इतिहास के पृष्ठ में नहीं खोजा जा सकता । यह हिन्दुस्तान में एक बिलकुल नया प्रयोग हो रहा है और यदि उसमें सभी दलों का सहयोग मिला और जनता का सहयोग प्राप्त हुआ तो विश्व में हुए नियोजन में वह एक इवोल्यूशन कहा जायगा । हिन्दुस्तान के नियोजन के सामने एक समस्या है कि ४० करोड़ स्त्री-पुरुष जो कि हजारों वर्ष के इतिहास के चक्र में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास बहुत ही कम साधन हैं, जिनके साधन बिखरे हुए हैं इन ४० करोड़ व्यक्तियों में नियोजन के प्रति आस्था और प्रेम उत्पन्न करके, समस्त साधनों का एकीकरण करके देश की प्रगति करना एक बहुत ही कठिन कार्य है ।

माननीय यादव जी ने एक वाक्य में प्रदेश में १२ वर्ष में हुए नियोजन का मुल्यांकन करके कह दिया कि स्टैगनैंट रह गयी यहां की इकोनामी, यह बड़े दुःख की बात है । यदि उनके आंकड़ों को सही मान लें तो २ लाख प्रति वर्ष के हिसाब से जो प्रदेश में जनसंख्या बढ़ी सौन्द इस प्रकार से जो १२ वर्ष में २५ लाख हो गयी, यदि यह नियोजन आज नहीं होता तो २५ लाख जनसंख्या बढ़ जाने पर यहां की इकोनामी स्टैगनैंट न रह कर और भी पीछे ढकेल दी गयी होती । यदि वह स्वीकार कर लें कि इतनी आबादी के बढ़ने पर भी प्रदेश की इकोनामी पिछड़ने नहीं पायी, प्रति व्यक्ति यदि आय बढ़ी नहीं तो कम भी नहीं हुई, तो यह बहुत बड़ा श्रेय नियोजन के प्रति हो जायगा ।

मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता । बीसियों आइटम्स हैं । उन्हीं आंकड़ों से यादव जी पढ़ कर सुना सकते हैं कि प्रदेश पिछड़ा हुआ है और मैं सुना सकता हूं कि प्रगति हुई है तो उससे कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन मैं उनको जरूर बधाई देना चाहता हूं कि उनका जो सबसे बड़ा आक्षेप प्रदेश के नियोजन के बारें में था उसका उत्तर उन्होंने स्वंय दे दिया कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट का रेट बहुत कम रहा है, ६७ रुपये प्रति व्यक्ति, जब कि और प्रदेशों में इससे अधिक रहा है और इससे यहां की इकोनामी बढ़ती नहीं है, लेकिन प्रदेश की सरकार के साथ इतनी तो सहानुभूति रखेंगे ही कि जो भी टैक्सेशन रेट आज है उस पर इतना हो हल्ला आज सदन में, उनके दल में भी और जनता में भी होता है और यदि इन्वेस्टमेंट का रेट बढ़ाया जाय तो टैक्सेशन अधिक करने का सवाल आयगा, जो एक कठिन सवाल उनके दल के और इस सरकार के सामने भी आ जायगा । तो अपने सीमित साधनों को देखते हुये जो भी प्लानिंग इस डिमाक्रेटिक प्रदेश में हो रही है उसको उपेक्षित नहीं कहा जा सकता और उसके लिये यह नहीं कहा जा सकता कि उसमें प्रगति नहीं हो रही है ।

श्रीमन्, यह जो अनुदान सामुदायिक विकास का है उसके लिये मैं माननीय मंत्राणी महोदया को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं कि उनके सामने इतनी कठिन जिम्मेदारियां हैं कि हमारे प्रदेश के उन गांवों में जो आज हजारों वर्षों से इतिहास में इतने पिछड़ गये अपने प्रदेश और देश के नगरों से और दुनिया की ग्रामीण जनता से भी, जहां कच्चे मकानों की समस्या, जहां सैनिटेशन, अस्पतालों की कल्पनायें और योजनायें सैकड़ों वर्षों तक नहीं चली है, वहां भी जो चतुर्मुखी विकास हो रहा है, सामुदायिक विकास योजनाओं के जरिये से, श्रीमन्, यह एक कठिन कार्य है और जिस प्रकार से वे पंचायती राज्य की परिकल्पना को साकार करने में प्रयत्नशील है इसके लिये वह बधाई की पात्र हैं ।

[श्री कृष्णानन्द राय]

श्रीमन्, समाजवादी दल के एक साथी जब भाषण दे रहे थे तो मैं यह सोच रहा था कि कम से कम वे एक शब्द बधाई का अवश्य कहेंगे क्योंकि उनके परमप्रिय नेता डाक्टर राम मनोहर लोहिया फोर पिलर स्टेट की बहुत बात करते हैं, लेकिन हमारे प्रदेश में तो फाइव पिलर स्टेट, जो शायद ज्यादा मजबूत होगा, गांव सभा, क्षेत्र समिति, जिला परिषद्, प्रदेशीय सरकार और केन्द्रीय सरकार, बन गया है। यदि नियोजन का लखनऊ या दिल्ली से संबंध होता तो गांव-गांव तक वह सारी बातें न पहुंचतीं, लेकिन गांव से और ब्लाक स्तर से जब नियोजन के लिये एलाटमेंट होंगे तो कुछ न कुछ हर गांव में नियोजन का प्रकाश फैलेगा।

श्रीमन्, दो चार सुझाव मैं देना चाहता हूं। चूंकि ब्लाकों के माध्यम से आज गांवों के नियोजन की परिकल्पना की जा रही है इसलिये मैं मंत्राणी महोदया से प्रार्थना करूंगा कि वे इन ब्लाकों के संगठन के बारें में पुनः जांच करालें। आज कई प्रकार के ग्रेडेशन्स ब्लाकों के हैं। एक प्रकार का ग्रेडेशन है कि हम पाइलट प्रोजेक्ट स्कीम चलावेंगे। पाइलट प्रोजेक्ट स्कीम में घोषित करके ५० लाख रुपया दे दिया जाता है और शेष को ५ लाख रुपये से ही काम करना होता है, फर्स्ट और सेंकेन्ड ग्रेड, और इस तरह से इन सबका एकीकरण नहीं रह जाता जहां तक धन के एलाटमेंट का प्रश्न है। श्रीमन्, ब्लाकों का क्षेत्रफल जनसंख्या के अनुपात में नहीं है। कहीं ६० हजार पर, कहीं ४८ हजार पर ब्लाक है। हमारे जिले गाजीपुर की जमानियां तहसील में ९९ हजार की जनसंख्या तक के ब्लाक हैं और वही ५ लाख रुपया उनके लिये भी है जो ४८ हजार की जनसंख्या वाले ब्लाकों के लिये है। तो इसीलिये यह आवश्यक है कि इसकी जांच हो। इन ब्लाकों की हाई लेविल पर थोड़ा सी छानबीन कर लेना आवयक है क्योंकि बहुत सी जगह देखा गया है कि ब्लाक लेविल पर योजनाओं की स्वीकृति हो जाती है, लेकिन डी० पी० ओ० की फाइल में दबाकर लखनऊ तक वह पहुंच नहीं पातीं। इसलिये ब्लाक और गांव स्वतंत्र हों योजनाओं के बनाने के लिये यह आवश्यक है। श्रीमन्, यह सब समस्यायें है जिन पर वैज्ञानिक दृष्टि से देखना है।

पूर्वी जनपद के संबंध में जो दर्दनाक स्थिति बतायी गयी है वह सही है। इसका श्रीमन्, एक ही उपाय हो सकता है कि जोनल प्लानिंग को और मजबूत किया जाय। उत्तर प्रदेश के अनेक जिले हैं जब तक उनके विकास के लिये एक जगह बैठकर नहीं सोचा जायगा तब तक विकास नहीं हो सकता है। श्रीमन्, लखनऊ में एक प्लानिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। वहां बहुत अच्छा काम होता है, लेकिन हम यह नहीं समझ सकते हैं यहां पर ही सारे एक्सपेरीमेंटस क्यों होते हैं। यह तो वैसे ही राजधानी है और यहां पर बिजली के बड़े-बड़े बल्ब चमचमाते रहते हैं। यहां आप क्या रिसर्च करते हैं? इसको आप गाजीपुर, बलिया आदि जगहों पर ले जाइये। ये सब समस्यायें हैं, इनको सामने रखते हुये मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जब हम इस द्वितीय सत्र के बजट पर विचार कर रहें हैं तो हमें यह समझना चाहिये कि जब बाहर और भीतर से जनतंत्र पर प्रबल हमले हो रहें हैं, उस समय क्या हम अपनी योजनायों को सही दिशा में ले जा रहें हैं या नहीं। इस पर हमें स्पष्ट रूप से विचार करना चाहिये और एक दल विशेष और गुट विशेष के अहंकार की भावना को छोड़ देना चाहिये। मैं इसी दृष्टिकोण को लेकर विचार कर रहा हूं।

मेरा निजी तजुर्बा है, माननीय मंत्राणी, जी आप यह समझें कि मैं भी आपके साथ उस समय से हूं जब कि आप किसान मजदूर पार्टी में थीं। उसकी किंग कमेटी में मैं भी आपके साथ था और मैं सारी बातों से अवगत हूं। जब पारसाल मैं सदस्य चुनकर आया तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि हमारी प्लानिंग की योजनायें अनप्लान्ड जा रही हैं। कुछ ऐसा समझ में आता है कि विकेन्द्रीकरण किस का कर रहें हैं, दौलत का नहीं कर रहें हैं। समाज की दौलत तो सीमित

करके चन्द आदमियों के पास भेजी जा रही है । यह शक्ति और दौलत केन्द्रीभूत हो रही है । हम विकेन्द्रीकरण अपने संगठन का कर रहें हैं, अनुशासन का कर रहें हैं । आजकल केन्द्र के मंत्री की आलोचना स्टेट मिनिस्टर्स किया करते हैं । कुछ ढंग आपका ऐसा चलता है कि कप्तान की आलोचना सिपाही करने लगता है । यह भावना अच्छी नहीं है । ठीक उसी तरह से जैसे कि आपके दल ने भी कहा । हर ब्लाक में आपने आफिसर्स की आर्मी भर दी है । ग्राम सेवक हैं, ग्राम सेविकायें हैं, डाक्टर हैं और न मालूम कौन-कौन साहब भर दिये हैं । उनका संचालन एक केन्द्र से नहीं हो रहा है । यहां आपका विकेन्द्रीकरण है । मैं आपको बताउं कि हमें जरूरत है एक लाख गज कपड़े की । उसको पूरा करने के लिये आपके पास कोई योजना है ? हमें मुनाफाखोरी करने के लिये शकर की जरुरत नहीं है । शकर की कीमतें बढ़ रही हैं तो उसका उत्पादन भी बढ़ रहा है । आप ने क्या कोई ऐसी योजना बनाई है कि किस-किस चीज की देश के लिये जरुरत है और कहां-कहां किस-किस जगह है ?

आपकी तीसरी योजना को मैंने पढ़ा है । उसमें डिप्रेस्ड एरिया वह दिया है जहां ५०० आदमी से अधिक एक वर्ग मील पर रहते हों । उसमें आपने पूर्वी जिले ले लिये हैं, बुन्देलखंड ले लिया है, लेकिन बताइये कि आपने फतेहपुर लिया है या नहीं ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइये फतेहपुर जिले में कि ने वर्ग मील सड़क हैं और किस फारमूले के हिसाब से हैं ? नागपुर योजना से आप कितने पीछे हैं ? फतेहपुर में धूल उड़ती है, वह गंगा यमुना का दुआबा है और ऋषि मुनियों की भूमि है । वहां से गूदड़, चमड़ा और हड्डियां बाहर जाती हैं और वहां पर एक भी इनका कारखाना नहीं है । लेकिन आपने अपने कार्यकर्त्ताओं को खिलाया है, आपके पहले भी खिलाया जाता रहा है । चन्द हरिजनों ने भी तमाम हरिजनों को खाया है ।

आपको देहातों में काम दिलाने के लिये छोटे-छोटे कारखाने खोलने चाहिये । आज वहां पर औरतों और बच्चों के लिये काम नहीं है । सबसे ज्यादा वहां पर औरतें बेकार रहती हैं । मेरी कम्युनिटी में तो कम हैं, मगर उधर ज्यादा हैं जो हुकुमत कर रहे हैं । इसलिये वहां लोगों के लिये आज काम चाहिये, दस्तकारी के उद्योग धंधे चाहिये । आज जो उनके दस्तकारी के उद्योग धंधे थे उनको इस पूंजीवादी व्यवस्था ने खत्म कर दिये । चैत के महीने में आज भले ही कुछ दिन उनको काम मिल जांय, १५-२० दिन कटनी करती रहें, उसके बाद कोई काम उनके लिये नहीं रह जाता । आपकी ही यह रिपोर्ट है - - - -

श्री अधिष्ठाता—

वह रिपोर्ट मेरी नहीं है ।

श्री दीपनारायणसिंह—

यह केन्दीय सरकार की है—सेविन्थ इवैलुएशन रिपोर्ट १९६० की, इसमें लिखा है—

"Taking the busy and the slack fortnights together, cultivators and artisans are unemployed for 30 per cent of the total man-days and agricultural labourers for 35 per cent"..

इसका मतलब यह है कि ३० फीसदी और ३५ फीसदी तक वे उक्त काम के दिनों में खाली रहते हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि आज सबसे बड़ी समस्या बेकारी की है । आप काम दीजिये । उनको काम देकर उससे दौलत बढ़ाइये और इस बड़ी सेना को बन्द या कम कर दीजिये । कारखाने खोलिये और पब्लिक सेक्टर में रुपया लगाइये । अपने बी० डी० ओ० वगैरह से ८-१० घंटे काम लीजिये । आज आपके फार्म घाटे पर चल रहे हैं । क्यों? अगर आप ऐसा नहीं करते, तो यह देश के साथ गद्दारी होगी ।

आज आपने जो गावों में ब्लाक बनाये हैं उनके जो सेन्टर हैं वह बिलकुल गलत हैं । आपने हमारे जिलों के डी० सी० सी० के प्रसीडेन्ट के नाम पर तिलियानी सेन्टर बनाया है । असोधर भिठौरा आदि कितने ही सेन्टर ऐसे हैं जो बैढंगे हैं और उसी तरह के हैं जैसे आप लखनऊ के जिलों को मेरठ सेन्टर में रख दें और मेरठ के जिलों को लखनऊ सेन्टर में रख दें । इस

[श्री दीनारायणसिंह]

तरह से क्या आपको यह प्लानिंग सफल कही जायगी ? आप ने जो यह कुरूप और बेठेगें सेन्टर्स बनाये हैं, उनकों आप ठीक कीजिये । फतेहपुर में कई ऐसे ब्लाक्स हैं जिनकी रचना ठीक इसी प्रकार से हुई है जैसा कि अभी मैंने आपको बताया ।

मेरा निवेदन यह है कि इस तरीके की फिजूलखर्ची को आप खत्म करें । देहात में पक्की सड़के बनायें, उद्योग धंधे लगाये और इस तरह से व्यक्तिगत रुपया आप देना बंद कर दें । लघु उद्योग के सम्बन्ध में तो मंत्रीजी ने इस बात को स्वयं ही स्वीकार किया कि बहुत सा रुपया खाया गया है ।

*श्री तमेश्वरप्रसाद (जिला बस्ती)—

अधिष्ठाता महोदय, आज जो अनुदान इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका विरोध करता हूं । जो इसके बारे में बहुत सी बातें कही गयी हैं, उनको मैं दुहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो २–३ बातें मुझे खटक रही हैं उनको अवश्य मैं सदन के समक्ष रख देना चाहता हूं ।

अभी बजट में कहा गया कि प्राइमरी स्कूलों को खोलने की व्यवस्था इस अनुदान में की गयी है । बहुत अच्छी बात है, मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन प्राइमारी स्कूलों को किस प्रकार से कन्ट्रोल किया जाय, उनकी एफीशियेंसी किस प्रकार से रहे उसमें करप्शन कैसे न होने पाये, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा । जब हम कुछ ब्लाकों में गये तो हमने देखा कि एक-एक साल में ३–३, ४–४, ट्रान्सफर्स टीचर्स के कर दिये गये हैं । इससे बच्चों का बड़ा नुकसान होता है । इत्तफाक से मैं भी एक जिला बोर्ड का चेअरमैन रह चुका हूं । उसमें ऐनुअल प्रपोजल्स आते थे जो डी० आई० तथा एस० डी० आई० की कनसल्टेशन से आते थे और जिन अध्यापकों का काम अच्छा होता था उनको सुविधा की जगह ट्रान्सफर किया जाता था और इस तरह से उसको एनकरेजमेंट दिया जाता था, लेकिन जब आज ब्लाक्स को ट्रान्सफर करने की पावर्स दी गयी है तो बहुधा प्रमुख उनको अपने नाम से ट्रान्सफर करा लेते हैं और प्रमुख लोग उनका ट्रान्सफर कर देते हैं उसका नतीजा यह होता है कि डी० आई० और एस० डी० आई० को पूछा भी नहीं जाता है और बेतरतीब ढंग से ट्रान्सफर कर दिये जाते हैं । विधान में जनरल बाडी को कहीं भी पावर्स को प्रमुख को ट्रान्सफर करनेंकी बात नहीं कही गयी है, लेकिन फिर भी पावर्स प्रमुखों को ट्रान्सफर कर दी जाती है । मैं चाहता हूं कि विभाग से एक सर्क्युलर जारी किया जाय कि इस तरह से पावर्स के डेलीगेशन का कार्य न किया जाय। इस प्रकार से होने वाले करप्शन को रोकने की आवश्यकता है ।

अभी चुनाव होने वाले हैं और बी० डी० सी० से एक-एक सदस्य चुनकर आयेंगे, लेकिन उसका रिटर्निंग आफीसर प्रमुखों को बना दिया गया है । यह मुनासबि नहीं हुआ । क्योंकि सरकारी नौकर तो आजाद आदमी थे, किसी पार्टी से संबंध नहीं था, इससे किसी की तरफदारी और करपप्शन का कोई सवाल पैदा नहीं होता था, उसकी संभावना बहुत कम थी और साथ ही साथ उस चुनाव प्रणाली में जनता को विश्वास भी था कि चुनाव ठीक ढंग से होंगें । तो इस तरह से जो रिटर्निग आफिसर मुकर्रर कर देते हैं, मेरी समझ में वह उचित नहीं है । कोई ऐसी पाबन्दी होनी चाहिये कि जो चुनाव हों उनके रिटर्निग आफिसर आजाद आदमी होने चाहिये और सरकारी अधिकारी होने चाहिये ताकि उस प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो ।

तीसरी बात यह कि बजट जो प्रस्तुत किया गया है, वास्तव में उसके पीछे आपकी सद्भावना है और आगे बढ़ने की प्रवृत्ति है, मैं उसका समर्थन करता हूं और स्वागत करता हूं । असल बात यह है कि अब मुल्क आजाद हो गया है और हम लोग अगर देश की कोई सेवा कर सकते हैं तो ब्लाकों के जरिये ही कर सकते हैं । हम सभी माननीय सदस्यों का फर्ज हो जाता है कि हम लोग अपने ब्लाकों में जायं, उसका दौरा करें, उनकी बैठकों में शामिल हों, यानी उसको एक तरह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

से इनरजाइज करें। जब सरकारी स्कीम में हम लोग भाग लेते हैं तो सरकारी अधिकारी भी ठीक रहता है। उसी प्रकार जब तक हमलोग अपने ब्लाकों में नहीं जायेंगे, ब्लाकों के काम को नहीं करेंगे, ब्लाकों को अपने सुझाव नहीं देंगे, तब तक आप यह चाहें कि केवल सरकारी अधिकारियों के द्वारा ही ब्लाक का काम अच्छा हो, गांवों में उन्नति आवे, तो मेरी समझ में यह नामुमकिन है है क्योंकि गांव वाले भी यह समझते हैं और वे जानते हैं और कहते भी हैं कि भाई यह तो जो काम है फर्टिलाइजर का है, खेती की तरक्की का है, उन्नतिशील बीज का है, नये ढंग से खेती करने का का है, यह सब सरकार ही ले। असल में जब तक जनता के बीच में इस प्रकार की भावना नहीं पैदा की जायगी कि सरकारी अधिकारियों का काम केवल इशारा कर देना है, केवल प्लान बनाना और सुझाव दे देना है, समय-समय पर उनको एक्सपर्ट राय दे देना है और बाकी काम गांव वालों को ही करना है, तब तक गांव का सुधार नहीं होगा।

वैसे तो जब हम लोग आजाद हो गये हैं और हमारा देश आजाद है, तो जो स्तर बना हुआ है प्रजातांत्रिक ढंग से देश को चलाने का वह बहुत ही अच्छा है, लेकिन किसी कार्य को करने के लिये जिस स्प्रिट की जरूरत है उसके अनुसार हम लोग जुट कर, मेहनत करके और ईमानदारी के साथ और ब्लाक के स्तर पर बगैर पार्टीबाजी किये हुये अगर उसमें भाग लें और काम करें और जब हर तरह से एक्सपर्ट्स राय देने के लिये मौजूद हैं तो कोई कारण नहीं है कि हमारी यह स्कीम फेल हो जाय। इसको भी आप समझ लीजिये कि जो हमारी यह योजना है, इसके साथ ही हमारा जीवन और मरण भी है। अगर इस योजना को सफल बनाने के लिये हमने अपने देश के गावों को मेगनाकार्टा की तरह से नहीं बनाया बल्कि इसका छिद्रान्वेषण ही करते रहे तो यह योजना कभी भी सफल नहीं होगी। जब तक किसी योजना में विश्वास न हो, जब तक उसके प्रति आदर न हो, जब तक उसमें निष्ठा न हो, तब तक वह योजना कामयाब नहीं होगी। इसलिये अधिक न कह कर जो अनुदान पेश किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं और मन्त्राणी जी को बधाई देता हूं कि ऐसे संकटकालीन समय में इतने अच्छे ढंग से बजट उन्होंने पेश किया है, जो बहुत ही प्रशंसनीय है।

*श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर) --

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय चन्द्रजीत यादव द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, ऐसा करने की प्रेरणा मुझे उसी तरफ से मिली जिधर से अनुदान पेश किया गया है। वह इसलिये कि १० करोड़ का बजट पिछले साल का था और इस साल ८ करोड़ कर दिया गया है और वह कब जबकि ऐक्टिव ब्लाक्स की संख्या और बढ़ गई। अनुदान की धनराशि घटाकर १० करोड़ से ८ करोड़ कर दी गई। यादव जी का कहना है कि इस को घटा कर एक रुपया कर दी डाय। इसलिये मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं मन्त्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने आज आदर्श उपस्थित किया, क्योंकि इस विभाग को रखकर ही क्या होगा कि जिस में कोई कोआर्डिनेशन जैसी चीज ही न हो और नाम हो उसका नियोजन और प्लानिंग। कोआर्डिनेशन सिंचाई और कृषि में नहीं, कृषि और प्लानिंग में नहीं, न वह मुर्गी पालन में है और न वह मछली पालन में है। कोआर्डिनेशन कहां है ? अगर वह हो तो बतायें। माननीय रामलखन जी शुक्ल नहीं है उन के क्षेत्र में लाखों रुपया खर्च हुआ है मैनपावर मोबिलाइजेशन स्कीम पर, लेकिन पी० डब्ल्यू० डी० ने कहा कि इस को बन्द करो, यह इन के कोआर्डिनेशन का नमूना है। लाखों रुपया खर्च होने के बाद यह बात पैदा होती है।

दूसरी प्रेरणा मुझे वहां से मिली जहां से माननीया कृपालानी जी प्रतिनिधि हैं। उन पूर्वी जिलों के माध्यम से मुझे इस बात की खुशी है और मैं तहेदिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि बस्ती के लिये ५० लाख रुपए की मैनपावर यूटिलाइजेशन स्कीम बनाई गई, लेकिन जो वहां की कमिश्नरी है गोरखपुर वहां के लिये कितना दिया गया है ? मैं जानना चाहता हूं कि उस जिले के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्पनाथसिंह]

लिये मैनपावर यूटिलाइजेशन स्कीम के लिये कितना रुपया रखा गया है ? जबकि कहा जाता है कि वहां इस साल सब से अधिक बाढ़ है और १ करोड़ एकड़ से कम बाढ़ का क्षेत्र इस प्रदेश भर में नहीं रहा। वहां पर कितना सरकारी फर्टिलाइजर इस्तेमाल होता है, वहां डिबलर और दूसरी योजनायें कितनी चलाई जाती हैं यह वह बतायें ? १० प्रतिशत फर्टिलाइजर की कीमत काटी जाती है और कर्ज के लिये जब किसान प्रार्थना-पत्र देता है तो कहा जाता है वह जो आकड़ा विभाग आंकड़े प्रस्तुत करेगा कि इतने अधिक,फर्टिलाइजर बिके इतने एकड़ में वृद्धि हुई और इतनी उपज बढ़ी होगी और वह आंकड़े आयेंगे। तो जिस विभाग में इतना जाल बट्टा हो उसमें कटौती की बात मंत्राणी जी ने कबूल की, इसकी मुझे खुशी है।

एक निवेदन में यह करूंगा कि देश के कृषि क्षेत्र के विकास का वहां के यातायात के साधनों का बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है। यादव जी ने ठीक कहा था पूर्वी जिलों के बारे में और दोहरी घाट के पुल के बारे में। जो कमेटी सुरक्षा के सम्बन्ध में वहां की थी उसने भी कहा था कि कटाव और बाढ़ के क्षेत्र की योजना लागू की जाय और तमाम वहां के प्रतिनिधि इस पर जोर दिये थे, वहां कहा गया था कि दोहरी घाट का पुल बने, लेकिन कोई संकेत मात्र नहीं हुआ, बरहज आजमगढ़, गोलाबाजार तक की सड़कों की योजना सब खत्म हो गई। इसको भी छोड़िये, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि यह विभाग कुछ करने वाला भी है जिस के लिये कहा गया कि ८ करोड़ की ग्रान्ट मंजूर की जाय ? मैं निवेदन करूंगा कि जब तक यातायात की सुविधायें न होंगी, सड़कें नहीं बनेंगी और जिसको कहा गया हमारे जिले से मैनपावर यूटीलाइजेशन स्कीम के अन्तर्गत कई बार योजनायें आयीं और उनको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया और कहा गया इसमें सड़कें ज्यादा हैं। मैं जानना चाहता हूं बस्ती जिले में सड़कें क्यों नहीं ली गईं, देवरिया में या वाराणसी में सड़कें क्यों नहीं ली गई ? हमारा कहना है कि आपको अगर कुछ करना है तो बाढ़ पीड़ित इलाके के लोगों को काम देने के लिये कुछ करिए

मंत्री जी ने कहा हमको मनोबल के जरिये बदलने की कोशिश करना है और जनता के श्रम और मस्तिष्क को नियोजन करके नियोजन के कामों में लगाना है। श्रम, मस्तिष्क और मनोबल कितना बढ़ा है १२ सालों में ? मस्तिष्क और मनोबल की हालत यह है कि कर्मचारियों, सभापतियों में और दूसरे जो ब्लाक प्रमुख आदि हैं इनमें कोई एकता नहीं है। इसलिये जो लम्बी चौड़ी कर्मचारियों की फौज है, एक ही काम के लिये सेक्रेटरी जायगा उसी काम के लिये ग्राम सेवक जायगा इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है। दिन में बाल मंगल योजना होती है और रात को महिला मंगल योजना होती है। यह केवल बात करने के लिये है और किसी काम के लिये नहीं। इस फौज की कटौती होनी चाहिये, यह बेकार साबित हो रही है। एक गांव से कहा गया बी० डी० ओ० के पास जीप है, लेकिन सड़कें नदारत। यह भी आंकड़े आने चाहिये कितने मील सड़कें हैं किस ब्लाक में, जीप्स कहां कहां चला करती हैं ? रोज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर सलामी में, बारात में शामिल रहती हैं, उनका दुरुपयोग होता है।

माननीय कृष्णानन्द राय जी ने कहा आर्थिक स्थिति हमारे प्रदेश की जहां की तहां है और उसके तर्क में कहा कि हमारी आबादी बढ़ गई। आबादी तो बढ़ी, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि देश का कोई प्रान्त बता दें जो तरक्की पर हो या कोई ऐसा देश बता दें जिनका जिक्र उन्होंने किया रूस और चीन का जहां आबादी रोकने की फेक्ट्री चालू हो गई थी जब वहां प्लानिंग हुई थी। आबादी उस समय भी बढ़ रही थी और उस का अन्दाज रख कर प्लानिंग की जाती रही। इसलिये यह कोई दलील नहीं कि आबादी बढ़ गई इसलिये प्रगति नहीं हुई। योजना का तो मतलब ही यह है कि हर चीज को ध्यान में रख कर योजना बनायी जाय।

टैक्सेशन के बारे में कृष्णानन्द राय जी ने कहा। आप टैक्स लेने के अधिकारी हैं, लेकिन शर्त यह है कि उसका उचित इस्तेमाल करें। लेकिन मेरा कहना है कि आपने जनता से वसूल किये गये टैक्सों का अनुचित वुरुपयोग किया है इसलिये न आप टैक्स लेने के अधिकारी हैं और न ग्रांट लने के। बल्कि इस ग्रांट को रिड्यूस कर देना चाहिये जैसा कि माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने प्रस्ताव रखा है। मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)---

अविष्ठाता महोदय, अधिकतर देशों में जब मशीनों के द्वारा उत्पादन किया जाता है और धन बढ़ता है तो उनके सामने एक समस्या खड़ी होती है कि बड़ा हुआ धन नींचे के तबके में जाता है या वह चन्द हाथों में इकट्ठा हो जाता है। अगर चन्द हाथों में वह बढ़ा हुआ धन इकट्ठा हो जाता है तो उस देश के लिये एक भयंकर स्थिति का निर्माण होता है। हमारी योजनाओं से पहले भारत में विकेन्द्रित अर्थ व्यवस्था थी और उसी की ओर गांधी जी का भी ध्यान था, परन्तु हमने दुनिया से प्रभावित होकर मशीन के द्वारा विकास करने की ओर ध्यान दिया। दौलत बड़ी, लेकिन वह दौलत हाथों में इकट्ठा होकर रह गयी। मैं इसकी पुष्टि में प्रोफेसर पी० सी० महालनोबिस, जो भारत सरकार के सांख्यकीय सलाहकार तथा योजना आयोग के सदस्य हैं, उनकी जो रिपोर्ट उससे उद्धृत करता हूं---

"देश की अर्थ व्यवस्था में बड़े पूंजीपतियों का नियन्त्रण, उत्पादन साधनों पर निरन्तर बढ़ रहा है। शीर्षस्थ व्यापारियों के हाथों में आर्थिक सत्ता केन्द्रित हो रही है। कमेटी की दृष्टि में यह अत्यन्त भयावह स्थिति है कि नियोजन की बेला में देश का धन और आय ऊपर के वर्ग में घटने के स्थान पर द्रुतगति से बढ़ रहा है। अमीरों और बड़े पूंजीपतियों के हाथों में धन का यह केन्द्रीयकरण, उत्पादन के साधनों और आर्थिक गति विधियों पर कई प्रकार उनके नियन्त्रण के कारण होता है। जीवन के निम्नस्तर को केवल उठाने से न तो धन के बटवारे की यह असमानता दूर होगी और न धन का यह केन्द्रीयकरण ही रुक सकेगा।"

आगे लिखा है "१९५१ में बड़ी कम्पनियों के १० ग्रुपों का हित ८७६ कम्पनियों में था जिनके हिस्सों का मूल्य २०५ करोड़ था। १९५८ में यह इंटररेस्ट बढ़ कर ९२९ कम्पनियों तक हो गया और हिस्सों का मूल्य २७७ करोड़ रुपये तक पहुंच गया। १९५१ से १९५८ तक इन १० ग्रुपों के हिस्से असरकारी कम्पनियों की एग्रिगेट शेयर कैपिटल में २९.३५ परसेंट ३४.५३ परसेंट हो गये। नेट कैपिटल स्टाक में हिस्से २६.९९ परसेंट से बढ़ कर ३२. परसेंट हो गये तथा सामूहिक स्टाक में २७.२१ परसेंट से बढ़ कर ३१.८३ परसेंट हो गये। धन का यह केन्द्रीयकरण कुछ प्रमुख उद्योगों में भी पाया जाता है। इस सम्बन्ध में १२ उद्योगों का अध्ययन किया गया। सीमेंट के कुल उत्पादन का ४५ परसेंट भाग केवल एक बड़े ग्रुप के हाथ में है। पेंट और वार्निश इत्यादि रसायनिक पदार्थों के उत्पादन का ३२ परसेंट भाग बड़ी यूनिटों के हाथ में है। इंजीनियरिंग मशीन्स का उत्पादन ८८ परसेंट भाग शीर्षस्थ यूनिटों के हाथ में है तथा इलेक्ट्रिक फैन्स का ५१ प्रतिशत उत्पादन टापमोस्ट यूनिटों के हाथों में है।"

इसी रिपोर्ट में यह कहा गया है "जबकि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में १८ प्रतिशत की वृद्धि हुई, कृषि मजदूर की आय ११.७ परसेंट घटी जो अत्यन्त चिन्ता का विषय है।" आगे कहा गया है कि "जबकि ग्रामीण क्षेत्र में राष्ट्रीय आय का ७० परसेंट होता है। यह कुल आबादी के ८३ परसेंट में बट जाता है। अतः नगरों में ३० परसेंट होने वाला भाग केवल १७ परसेंट में बट जाता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति व्यय में बहुत अन्तर है। नागरिक क्षेत्रों में यह अन्तर प्रति व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा ३६ परसेंट अधिक है।"

इससे साफ हो जाता है कि हमारे देश का उत्पादन बढ़ रहा है परन्तु वह चन्द हाथों में जमा हो रहा है। उससे साधारण व्यक्ति को लाभ नहीं हो रहा है। यह हमारी योजनाओं का सब से बड़ा दोष है। दूसरे हमारी योजनाओं का लक्ष्य अब तक ऐसा रहा है कि हम कुछ धनराशि

[श्री बसन्तसिंह]

निश्चित करते हैं, फिर उनको बांटने की योजना बनाते हैं और यह समझते लेते हैं कि रुपया बांट देने से ही योजना का लक्ष्य पूरा हो जाता है या योजना का प्रारूप तैयार कर लेना ही योजना को पूरा कर लेना होता है, लेकिन हमें उसके कार्यान्वयन की तरफ ध्यान देना चाहिये। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहां मैनपावर की है। हमारे यहां मैनपावर के यूटिलाइजेशन की ओर कम ध्यान दिया जाता है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमें टेक्नीशियन्स नहीं मिलते और हमारे उत्तर प्रदेश में ही करीब ३०० हास्पिटल बिना डाक्टरों के खाली पड़े हैं और दूसरी तरफ बेरोजगारी निरन्तर बढ़ती जा रही है। स्थिति यह है कि काम के लिये आदमी नहीं और आदमी के लिये काम नहीं। हमें अपनी योजनाओं की तरफ इस दोष को दूर करने के लिये ध्यान देना होगा। योजनाओं को ऊपर से न लाद कर नीचे से चलाना होगा। जनसंघ भाई ब्रो प्लानिंग में विश्वास करता है। योजनायें नीचे से बनें और और स्थानीय समस्याओं को जो लोग जानते हैं वे उन्हें आगे रखें। अगर नीचे से योजनायें बनेंगी तो काफी उपयोगी होंगी। हमारी योजनाएं सुनियोजित नहीं होती हैं। हम एक प्लान्ट लगाते हैं, लेकिन मीन्स आफ कम्युनिकेशन को डेवलप नहीं करते। सामान के अभाव में स्टाफ बेकार पड़ा रहता है और इस तरह से काफी पैसा खराब हो जाता है।

श्री अधिष्ठाता—

आप इधर के संकेत को भी देख लें।

श्री बसन्तसिंह—

योजना में भी प्रायोरिटीज होनी चाहिये। सबसे पहले जरूरी यह है कि हम बढ़ती हुई आबादी के लिये खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन जायं। लेकिन अभी तक ऐसा हम नहीं कर पाये हैं। दूसरी चीज यह है कि हम उन योजनाओं को लें जिनका लाभ हमें जल्दी मिलने वाला है। आज कल दुनिया में जबकि बड़ी तेजी के साथ घटनायें घट रही हैं। हम ऐसे प्राजेक्ट तैयार करें जो १५–२० साल में कुछ देने वाले हों और तब तक हमारी जनता में बेचैनी पैदा होती रहे यह अच्छी स्थिति नहीं है। इसके अलावा मैनपावर को इस्तेमाल करने के लिये काटेज इंडस्ट्रीज को डेवलप करना चाहिये जो पावर से रन करती हों। इससे दौलत का एक जगह केन्द्रीयकरण नहीं होगा और अधिक आदमियों को रोजगार मिलेगा। काटेज इंडस्ट्री लिये के हमने मारकेट तैयार नहीं किया है। इसी कारण खादी उद्योग गवर्नमेंट सबसिडी पर चलता है, लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट इस तरह से अधिक दिन तक जिन्दा नहीं रह सकता उसे जिन्दा रखने के लिये उसके प्रोड्यूस की मारकेटिंग का इन्तजाम होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

यह आप का आखिरी प्वाइंट होना चाहिये।

श्री बसन्तसिंह—

मैं इन बातों के साथ जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका समर्थन करता हूं।

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं जो आज विकास मंत्री जी ने नियोजन और एकीकरण की ग्रांट का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। इस कटौती के प्रस्ताव को माननीय चन्द्रजीत जी ने पेश किया है। वे तो एक पढ़े लिखे हमारे साथी हैं और शायद दुनियां के और भी देशों के कार्यक्रमों और नियोजन की प्रणाली को देखा है। सबसे बड़ी तकलीफ की बात होती है जब हम हल्के-हल्के इस कम्युनिटी डेवलपमेंट और इस योजना के कार्यक्रम को उन्हीं पुरानी रटी रटाई चीजों पर कि भ्रष्टाचार है, इसमें एकीकरण नहीं है, आदि आदि बातें कहते हैं। विरोधी पक्ष का एक बहुत बड़ा स्थान डेमोक्रेटिक सेट-अप में होता है। उसके सुझाव कभी-कभी सरकारों के सुझावों से भी अच्छे होते हैं और उन पर विचार करने के

लिये सरकारें कभी-कभी विवश हुआ करती हैं। लेकिन यहां तो अधिकतर कहा गया कि ब्लाक पर कंट्रोल किसका हो, ए० डी० ओ० बहुत हैं, आदि आदि। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वे देश के अन्दर सारे प्रान्तों के कम्युनिटी डेवलपमेंट में अधिकारियों के सेट-अप को देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम रुपया उस पर खर्च होता है। आप आन्ध्र को देखिये, राजस्थान को देखिये, महाराष्ट्र को देखिये, आन्ध्र में ३०० ब्लाक्स पर जितना खर्च होता है है उत्तर प्रदेश में ८७५ ब्लाक्स पर उतना खर्च होता है। कहा गया कि ए० डी० ओ० इंडस्ट्रीज क्या करते हैं। हर ब्लाक में इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न किया जा रहा है। ए० जी० ओ० ऐग्रीकल्चर का प्रश्न उठाया गया। आज ऐग्रीकल्चर की सबसे बड़ी प्रमुखता है। कहा गया कि ए० डी० ओ० कम्पोस्ट क्या करते हैं। ए० डी० ओ० कम्पोस्ट ने इंटेन्सिव तरीके से कार्य करना शुरु किया है।

प्लानिंग, जैसा कि माननीय चन्द्रजीत जी को मैंने कहा, अगर उन्होंने दुनियां के प्लानिंग इतिहास को देखा होगा तो संसार में जितनी प्लानिंग हुई है वह दो के अलावा तीसरे तरीके से हुई ही नहीं। एक तो इनवर्टेड प्लानिंग हुई है और दूसरी वर्टिकल प्लानिंग हुई है। इनवर्टेड प्लानिंग उन देशों में होती हैं जहां सत्ता का केन्द्रीकरण होता है। वर्टिकल प्लानिंग उन देशों में होती है जहां सत्ता का विकेन्द्रीकरण होता है है। आपको इनमें चूज करना होगा। हमारे यहां बड़ी कठिनाई है कि क्रास ट्रैवेलिंग करना चाहते हैं। अगर आप बबूल का पेड़ लगायेंगे तो पांच साल के बाद आपको उसमें आम नहीं मिलेंगे। आपको यह तय करना होगा कि रास्ता क्या है, किस आधार को बना कर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कि डेमोक्रेटिक सेटअप में देरी होती है, यह प्रणाली खर्चीली है, बहुत से कार्य-क्रम करने पड़ते हैं, जनता की राय देख कर ठप भी करना पड़ता है। यूनाइटेड नेशन्स ने भी कहा है कि संसार की सारी शासन पद्धतियों में जहां डेमोक्रेसी सबसे अच्छी है उसमें पंचायती राज जो भारत में चला है वह सबसे अधिक ह्यूमैनटेरिएन शासन पद्धति है। पंचायती राज, सहकारी समाज और सामुदायिक विकास ये तीनों एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। प्लानिंग एक सिस्टम है जो योजना के प्रारम्भिक और योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों के बीच के रास्ते को तय करने का तरीका होता है। एक तरफ यह कहा जाता है कि ब्युरोक्रेसी बढ़ रही है हर स्टेज पर आपके अधिकारी छाये हुए हैं। दूसरी तरफ जब डेमोक्रेटिक डिससेंट्रलाइजेशन होने लगता है, जिला परिषद्, क्षेत्र समिति और गांव पंचायत, ये शासन की तीन इकाइयां जब जोड़ी जाने लगती हैं, जब इस लखनऊ व देहली से ८५ फीसदी दैनिक कार्य गांव पंचायतों, क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों को देने की बात होती है तो कहा जाता है अमुक कार्य प्रमुख को न दिया जाय बी० डी० ओ० को दिया जाय। यह छोटी मोटी बाते हैं तो हम तय कर लेंगे।

सेल्फ जेनरेटिंग इकोनामी की बात कही गयी। १० हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ, उससे क्या आमदनी हुई ? मैं कहता हूं कि भिलाई का स्टील प्लान्ट है। उसमें रुपया लगा। दो योजनायें हुई। सेल्फ जेनरेटिंग इकोनामी तब बनेगी जब उपभोक्ता के उपभोग का सामान भी बनने लगे, उस वक्त उससे जो आमदनी होने लगती है, उसी से वह इकोनामी जेनरेट होती है, उस समय वह स्वचालित अर्थ व्यवस्था होती है।

कटौती के प्रस्ताव में कहा गया है कि अनुदान की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। पता नहीं हमारे नियमों में क्या है। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन अगर चन्द्रजीत जी ध्यान से देखेंगे और जैसा कि उन्होंने बताया वह रूस और चेकोस्लोवेकिया आदि देख आये हैं, रशा की प्लानिंग और डेमोक्रेटिक प्लानिंग में बहुत बड़ा अन्तर है। डेमोक्रेटिक प्लानिंग में वर्टिकल इकानोमी होती है। जैसा कि पूर्व वक्ता महोदय ने कहा, नीचे से योजनाएं बनें। कौन बनायेगा. उनकी स्थिति क्या होगी ? यह तब होगा जब गांव सभा सबसे बड़ी अधिकारिणी संस्था होगी। जब गांव सभा को अपने स्तर पर इस बात को

[श्री बंशीधर पांडेय]

सोचने का सबसे बड़ा अधिकार होगा कि हमें किन कार्यों को करना है। पंचायत में पीपुल्स पार्टिसिपेशन भी लगा हुआ है। यह योजना अपेक्षा करती है इस देश की जनता से कि वह अपनी सारी शक्ति को जो गांवों में पड़ी हुई है उसको जागृत करे। सोशलिस्टिक इकोनामी आखिर कैसे कायम होगी जब तक उसका इंटरमीडियरी, बिचौलिया क्लास खत्म नहीं होगा। आज सोशलिस्टिक इकोनामी कायम करने के लिये सरकारों ने बड़े ठोस कदम उठाये हैं। चाहे वह केन्द्रीय सरकार हो चाहे प्रदेशीय सरकार हो। गांव सभाओं को ठेके दिये जाना और मैनपावर मोबिलाइजेशन स्कीम यह सब क्या है? मैनपावर मोबिलाइजेशन के अन्तर्गत बड़े-बड़े कार्य स्थानीय जनता के सहयोग से वहां की मजदूरी के रेट के अनुसार वहां की जनता द्वारा ही कराये जायेंगे। यह सोशलिस्टिक इकोनामी कायम करने की तरफ कदम नहीं है तो और क्या है?

श्रीमन्, इस कार्य को लेने के बाद इसको करने में समय लगता है। हमारी एकोनामी आज जितनी बढ़ी हुई है उसमें मैंने आपसे निवेदन किया कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना जरूरी हो जायगा। जहां तक जिला परिषद् और जिला परिषद् के अध्यक्ष की बात है, को आर्डिनेशन की बात मैनेजर सिंह जी ने कही कि वहां पर कोआर्डिनेशन नहीं है, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज तो कोआर्डिनेशन यहां तक है कि जिलाधीश को छोड़कर जिला स्तर के करीब-करीब सभी अधिकारी जिला परिषद् की अधिकार सीमा में कर दिये गये हैं, कोई ३९ वें सेक्शन में है, कोई ९५ सेक्शन में है और सरकार समय-समय पर उन सारे अधिकारियों को जिला परिषद् के स्तर पर एक ही सूत्र में रखने का प्रयत्न बराबर करती है। उसी प्रकार से हमारे ब्लाक स्तर पर है। ब्लाकों में कौन सा बड़ा हुआ बजट खर्च हो रहा है? अभी किसी ने कहा कि बी० डी० ओ० नौ महीने बेकार बैठा रहता है, हमें खुशी है उसी तरफ से उसका खंडन भी हुआ, किसी साहब ने कहा बी० डी० ओ० इतना व्यस्त रहता है कि वह केवल सुपरवाइजरी कार्यक्रम को कर सकता है। तो यह संक्रमण काल है, इस काल में अभी हम पूरा संगठन नहीं कर पाये हैं, जब वह संगठन पूरा हो जायगा तो आप देखेंगे कि सचमुच डेमोक्रेटिक प्लानिंग होगी जबकि गांव सभायें अपनी योजनायें बनायेंगी, उनको क्षेत्र समिति में हम देखेंगे, फिर जिला परिषद् में रखेंगे और उसके बाद प्रान्तीय सरकार और प्रान्त से देश की सरकार उन योजनाओं को देखेगी। फिर जो इन्वर्टेड एकोनामी में एक अन्धकार रहता है वह वर्टिकल एकोनामी में मिट जाता है। उसके अवगुण और दोष वर्टिकल एकोनामी में नहीं रहते। उसके लिए हमें इस प्रकार से अपनी योजना को चालू करना पड़ेगा। आज भारत में इस योजना को लेकर सारे सामुदायिक विकास कार्य-क्रम को बनाया गया है। हमारे देश की कम्युनिटी डेवलपमेंट की योजनाओं में और दूसरे देशों की योजनाओं में बड़ा भारी अन्तर है। आज आप चले जाइये अमेरिका में या और किसी देश में, अमेरिका का या और किसी दूसरे कंटिनेंट का आदमी जब हमारे देश में आता है और देखता है तो कहता है कि और चाहे जो कुछ इस देश में हो, लेकिन एक जो संयुक्त परिवार प्रणाली का सिस्टम है वह बिलकुल एक अनोखी चीज है। आखिर यह ज्वाइंट फेमिलि सिस्टम है क्या? यह गांव सभायें क्या हैं? यह कोआपरेटिव सोसाइटीज, कोआपरेटिव फार्मिंग यह सब क्या है जिसमें दस-दस आदमी मिल कर किसी एक काम को करते हैं। सारे भारत की धरती को और प्रदेश को ५,२०० और ८७५ क्षेत्रों में बांटा गया है। यह एक नयी ऐडमिनिस्ट्रेटिव इकाई कायम हुई है इस मुल्क में जिसमें गैर सरकारी आदमी ही प्रधानता में होंगे। जिला परिषद् का अध्यक्ष अब यह पुराना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का अध्यक्ष नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेविल पर वह चीफ मिनिस्टर है, उसे इतना बड़ा अधिकार है कि वह पालिसी भी करता है और कार्यक्रम भी करता है। जिला परिषद् के स्तर पर सारे अधिकारी उसके कार्यक्रम के अन्तर्गत रहेंगे।

(इस समय ४ बजकर ६ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

वह पालिसी बनायेगा, उसकी फंक्शनल कमेटीज होंगी। उन कमेटीज को भी अधिक से अधिक पावर दी जाने वाली है। जैसे अलग-अलग मिनिस्ट्रीज हैं वैसे ही अलग-अलग विभाग के लोग उस कार्य को करेंगे, लेकिन इस कार्य में अधिक से अधिक रुपया आप को खर्च करना पड़ेगा।

भारत सरकार ने भी बड़ी कृपा की है और प्रदेश की सरकार ने भी बड़ी कृपा की है और इस बात पर जोर दिया है कि कृषि का उत्पादन बढ़ाया जाय। क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किसी भी देश में तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि ऐग्रीकल्चर का डेवलपमेंट क्लाइमेक्स पर न पहुंच जाय। ऐग्रो इंडस्ट्रियल स्टेज के बाद इंडस्ट्रिअलाइजेशन का स्टेज आता है। अग्रीकलचरल डेवलपमेंट की उच्चतम सीमा, उसके बाद एग्रो इंडस्ट्रियल स्टेज और उसके बाद इंडस्ट्रिलाइजेशन के स्टेज का कार्यक्रम आता है। आज इसी कार्यक्रम को लेकर हमारे देश में एक मास मोबलाइजेशन हो रहा है।

आज सत्ता कहां जा रही है ? आज सत्ता केन्द्र से २० प्रान्तों में जा रही है। २० प्रान्तों से ३२५ जिलों में जा रही है। ३२५ जिलों से ५२०० ब्लाकों में जा रही है। ५२०० ब्लाकों से २ लाख ३० हजार पंचायतों में जा रही है। वहां से ४१ करोड़ पंचों में वह सत्ता केवल रही है। इस तरह से वह सत्ता विकेन्द्रित की जा रही है। यह देश में मास मोबलाइजेशन हो रहा है। गांव के सभापति को और गांव के एक एक पंच को यह जिम्मेदारी दी है कि वह अपने गांव का निर्माता है। अपना कार्यक्रम अपनाने के लिये उनकी जिम्मेदारी है। बहुत से हमारे साथियों को यह भ्रम रहता है, लेकिन आज लैंड रेविन्यू का सारा काम उनके द्वारा ही होने वाला है। एक दिन आनेवाला है जब हमारे डे साहब की कल्पना और प्रधान मन्त्री का स्वप्न पूरा होगा। उन्होंने कहा था कि कम्युनिटी डेवलपमेंट का सारा काम जनता से ही पूरा कराया जाय। गांव का लैंड रेविन्यू गांव के लोगों पर छोड़ दिया जाय और वह वसूल कर के कोष को बढ़ायें। जब उनको उसमें से शेयर मिलेगा तो उनको मालूम होगा कि गांव का विकास करना है। मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, कृषि कार्य, इंडस्ट्री इस तरह का कार्यक्रम है जो उनके ऊपर छोड़ना पड़ेगा और उनको इस दिशा में गाइड भी करना पड़ेगा। आज प्रमुख कौन है, वही यह सब काम करेगा। पहले वहां बैठ कर यह मांग हुआ करती थी कि वह प्रमुख १०० गांवों के स्तर पर बैठ कर अपने हेल्थ, सैनीटेशन, कुंए, हरिजन कल्याण, पशुपालन, खेती सम्बन्धी कार्य नहीं करता। आज जरूरत इस बात की है कि कल्याण सम्बन्धित, कृषि सम्बन्धित, शिक्षा सम्बन्धित सब कार्य ब्लाक के स्तर पर लोग उस कार्यक्रम को करें। आज इस कार्यक्रम को अपनाने की आवश्यकता है। अभी विधान सभा और पार्लियामेंट के सदस्यों को हमारे प्रधान मन्त्री ने कहा था कि इनको वोट का अधिकार न दिया जाय। उत्तर प्रदेश के विकास मन्त्री ने कहा कि नहीं विधान सभा और पार्लियामेंट के सदस्यों का विकास समिति में रहना आवश्यक है क्योंकि उनको ऊपर का अनुभव होता है ? यहां पर जो काम होता है और जितना यहां पर अनुभव होता है हाउस में अनुभव प्राप्त होता है, उससे हम उनको अवगत करा सकें। ब्लाकों के कार्यक्रम से सचमुच हिन्दुस्तान में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सार्वजनिक स्वतंत्रता आई है। वह ऐसी इकाई है जहां पर बैठ कर कुछ आलोचना करें। हम यह नहीं मानते हैं कि पूरी सफलता मिल गयी है। मैं यह नहीं कहता कि जिस शिखर पर हम जाना चाहते थे वहां हम पहुंच गये, किन्तु यह भी कटु सत्य है कि हम प्रगति के पथ पर चल रहे हैं। इतने वक्त में हिन्दुस्तान की डेमोक्रेटिक प्लानिंग में जो कार्यक्रम हमने बनाया है उसको जरूर पूरा कर के रहेंगे, हिमालय के उस शिखर को जरूर पार कर के रहेंगे चाहे परिस्थितियां कुछ समय के लिये हमारे मार्ग को अवरुद्ध कर दें। समाज की शक्ति को एकत्रित कर के उस ऊंची चोटी को पार करेंगे। इस कार्य क्रम को हम कम्युनिटी डेवलपमेंट के द्वारा ही पूरा कर सकते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट के जो ५ स्तर हुआ करते हैं उन सब को इन योजनाओं के द्वारा पूरा करना चाहते हैं जो आगे चल कर हमारी डेवलेपिंग इकोनामी की सूरत धारण करेगा। इस कार्यक्रम से हमारे देश में, जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि ८३ फीसदी आदमी जो गांव में रहते हैं, उनको लाभ होगा। ८३ फीसदी लोगों से सम्बन्धित यह ब्लाक है। गांव के कार्यक्रम को बढ़ाने के लिये और इन ८३ फीसदी लोगों की उन्नति के लिये उन ८३ फीसदी लोगों को गांव के स्तर पर, ब्लाक के स्तर पर अधिकार दिया गया है। मैंने बहुत से ब्लाक देखे हैं और यह बात मैं सही कहना चाहता हूं कि बहुत से ब्लाकों में कार्यक्रम न देख कर मुझे भी तकलीफ होती है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि विकास अधिकारियों ने मेहनत से और लगन

[श्री बंशीधर पांडेय]

से काम किया है यह वास्तविकता है। यह बात हो सकती है कि कहीं पर त्रुटि रह गई हो, लेकिन ज्यादा स्थलों पर बड़ी अच्छी मेहनत से कार्य किया है। ए० डी० ओ० और बी० डी० ओ० कार्य में लगे हुये हैं। आप कह सकते हैं, जैसा कि बहुत से साथियों ने कहा कि पेपर वर्क बहुत ज्यादा बढ़ा रखा गया है। आप ने स्वयं भी स्वीकार किया है और आप पूछते भी हैं कि आपके टारगेट कहां से आये और फिगर्स तथा इन्टरनेशनल प्राइस के बारे में भी आप कोट करने लगते हैं। एक तरफ तो आप स्टेटिस्टिक्स और फिगर्स की बात करने लगते हैं और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि पेपर वर्क बहुत ज्यादा बढ़ा रखा है। मैं आप को यह बता दूं कि हमारे थर्ड प्लान में है कि करीब-करीब १८ मिलियन आदमी प्लान के बाद भी बेकार रहेगा। इसको दूर करने के लिये ही कम्युनिटी सेन्टर्स खोले गए हैं। इसमें वे सेन्टर्स मदद करते हैं। सामुदायिक विकास के केन्द्रों के बारे में यह कहा गया है कि वहां पर लोग बैठकर अपने गुब्बार निकालते हैं, वह तो तथ्य से परे की बात है। मैं कहता हूं कि यदि इसको सही मान भी लिया जाय तो यह भी तो सही है कि वहां पर गांव के लोग बैठ कर अपनी प्लानिंग की बात भी करते हैं और वहां पर इन्डस्ट्रियलाइजेशन की बात भी करते हैं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि यहां पर सड़कों की बात भी आई और उसमें यह भी कहा गया कि सड़कें नहीं बनीं। जैसा कि माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने कहा कि जब तक ट्रांसपोर्ट नहीं होगा और जब तक रोड ट्रांसपोर्ट नहीं डेवलप करेगा, तब तक उन्नति नहीं हो सकती है। यह मैं मानता हूं कि ट्रांसपोर्ट का बड़ा भारी स्थान होता है, परन्तु शायद आपने आंकड़े पढ़े नहीं हैं, और मैं आंकड़े इस वक्त देना नहीं चाहता हूं। फिर भी मैं यह बता देना चाहता हूं कि १० वर्षों के अन्तर्गत श्रमदान भी हो, पंचायत से हो, क्षेत्र समिति के द्वारा हो, और फिफ्टी फिफ्टी उसकी ग्रान्ट पर हो आप देखें कि काफी सड़कें बन गई हैं। बहुत सी सड़कें नहरों के किनारे, पटरियों के रूप में और इन्टर विलेज रोड्स के रूप में बनी हैं। यह भी कहा गया कि हम कर्जे से लदे जा रहे हैं दूसरी तरफ प्लानिंग और सुरक्षा की भी बात की जाती है। परन्तु मैं आप को यह स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि आज राष्ट्रीय संकट के समय में भी कम्युनिटी डेवलपमेंट के कार्यक्रम का महत्व हमारे प्रधान मंत्री पंडित नेहरू तक ने स्वीकार किया है और हमारे देश के दूसरे कर्णधारों ने तथा नेताओं ने भी इसको स्वीकार किया है। हमारे देश की सुरक्षा भी और उसका कार्यक्रम भी डेमोक्रेटिक तरीके से चल रहा है, इससे हमारी सुरक्षा की पंक्ति भी मजबूत रहेगी। किसी देश की सुरक्षा के लिये असली सैनिक केवल लड़ाई के मैदान में ही नहीं रहते हैं, बल्कि वह तो फैक्टरी, कारखानों, और खेतों में कार्य करने के लिये लगे रहते हैं और देश का उत्पादन बढ़ाते हैं। वह भी तो देश की सुरक्षा में योग देते हैं।

अब मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं आप के माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि कम्युनिटी डेवलपमेन्ट कार्यक्रम हमारे देश में एक नया प्रयोग है। जैसा कि हमारे माननीय कृष्णानन्द राय जी ने कहा कि सचमुच हिन्दुस्तान के इतिहास में ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में लिखा जायेगा। बावजूद सारी कमियों के और अच्छाइयों के भारतवर्ष में कम्युनिटी लाइफ, सामुदायिक विकास योजनायें, जो पंचायत राज व सहकारी एजेन्सियों के द्वारा संचालित किया गया है, संसार के इतिहास में, उसके सामाजिक, राजनीतिक और सार्वजनिक क्षेत्रों के स्थान में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योग रखता है। मैं अपेक्षा करता हूं कि सभी माननीय सदस्य, इस ग्रान्ट का समर्थन करेंगे और मैं भी इसका समर्थन करता हूं, साथ ही साथ कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी माननीय पांडेय जी की तकरीर बड़े ध्यान से सुन रहा था और जो खाका उन्होंने कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स का खींचा है जो कि देहातों में है, उसका जिस ढंग से चित्रण किया गया है यदि उस ढंग से काम होता रहता तो मैं समझता हूं कि उनका विभाव

इस प्रदेश के अन्दर कुछ उत्थान का काम कर रहा है । हमारे पांडेय जी भी उसी देहाती क्षेत्र के रहने वाले हैं । वह खासकर बनारस जिले को तो जानते ही होंगे कि वहां पर कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स किस प्रकार से देहातों में काम करती हैं । जो ए० डी० ओ० और बी० डी० ओ० और जो दफ्तरों में काम करने वाले हैं, वहां पर जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हिदायतें दी जाती हैं, उन्हीं के बल पर वहां पर थोड़ा बहुत काम होता है । देहात के जो नुमाइन्दे हैं, यहां तक कि क्षेत्र के चुने हुए इस विधान सभा के माननीय सदस्य हैं, उन की भी राय की उन कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स और ब्लाक की कमेटियों में किसी तरह की कदर नहीं है । मैं बहुत सफाई के साथ आप के द्वारा कहना चाहता हूं कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट की योजनायें बिलकुल नौकरशाही की फाइलों में बन्द हैं । किसी भी तरीके से , जैसा हो सकता है कि सरकार का मकसद रहा हो । वहां पर सरकार का लक्ष्य वैसा ही है जैसा कि पांडेय जी ने कहा है । मैं निहायत अदब से पूछना चाहूंगा माननीय मन्त्री जी के सभा सचिव से कि इस ढंग से काम होते हैं जैसा कि आप ने कहा ? जो हिदायतें और सरकुलर जाते हैं उनके बारे में लोग जो ब्लाक में राय देते हैं उनका कार्यान्वयन नहीं होता । उदाहरणार्थ कहना चाहता हूं कि हमारे बलिया जिले के अन्दर बिलहरा ब्लाक में २ लाख रुपया हरिजनों को कर्जा मिला । वह ब्लाक कमेटी की तरफ से था उनके छप्पर या घर बनाने के लिये । वह रुपया ट्रांस्फर हुआ और उन हरिजनों के नाम, आज तक पड़ा हुआ है, पेमेंट नहीं हुआ, बावजूद इसके कि ब्लाक कमेटी ने प्रस्ताव किया, स्वयं मैंने और जितने सार्वजनिक लोग हैं उन्होंने कहा कि प्रस्ताव पास है, रुपया ट्रांस्फर्ड है, क्यों नहीं उनको दे दिया जाता । लेकिन वह ज्यों का त्यों बैंक में पड़ा हुआ है और हरिजन कालोनी भी नहीं बन रही है । नौकरशाही का तरीका और पेपर-वर्क चलता रहता है । हम को लगा कि पांडेय जी पेपर वर्क और फिगर कलेक्शन को एक ही समझ लिये हैं । पेपर वर्क यह नहीं होता कि नक्शा बनाना छोड़ दें, फिगर कलेक्ट करना छोड़ दें और लिखना पढ़ना छोड़ दें और बजट बनाना छोड़ दें । पेपर वर्क यह है कि कमेटी ने प्रस्ताव पास किया और उसके एग्जिक्यूशन के लिए एक सदस्य की हैसियत से प्लानिंग अफसर या हरिजन कल्याण आफिसर से कहते हैं कि २,००० रुपया दे दीजिये तो कहते हैं कि लिख कर ले आइये । विकास अफसरों को कोई बात मालूम है कि सही है, लेकिन लिख कर मांगते हैं । तो ऐसी ही गैर-जरूरी चीजों को लिख कर लेते हैं और फाइल बढ़ती जाती है, यही पेपर-वर्क का मतलब है और इस तरह का काम बी० डी० ओ० और ए० डी० ओ० के कार्यालय में हो रहा है । तो जिस तरीके से कम्युनिटी प्रोजेक्ट और पंचायत राज का काम चल रहा है उससे लोगों में नेतृत्व की ताकत और विकास की भावना आप नहीं पैदा कर सकते, बल्कि चारों तरफ एक मायूसी फैली हुई है और लोग समझते हैं कि कुछ चुने हुए लोगों का स्वार्थसिद्ध होता है । विकास खंड, प्रसार सेवायें और बी० डी० ओ० हर जगह मुकर्रर किये हुए हैं और प्रचार होता है कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड है और उस पर ७ लाख रुपये के करीब खर्च होते हैं । लेकिन उसमें से साढ़े तीन लाख रुपये तो नौकरों की तनख्वाह , भत्ते और क्वार्टरों में खर्च हो जाते हैं और बाकी में चन्द दलालों के जरियों से कुएं और नल बन जाते हैं और अपने अपने बागों में रख लिये जाते हैं । बलिया जिले में, कांग्रेसी सदस्य जानते हैं, लाखों रुपयों का गबन हुआ और कुआं कागज पर खुदा हुआ है, मुकाम पर गायब । मुकाम पर नल-कूप और कुएं नहीं मिलेंगे । सवा लाख रुपये तो कामों में जाते हैं, साढ़े तीन लाख तनख्वाह, भत्ते और क्वार्टरों में जाते हैं और लाख-डेढ़ लाख रुपये का गबन हो रहा है और भ्रष्टाचार में जाता है ।

जहां तक विकास का संबंध है, सामुदायिक विकास के नाम पर बी० डी० ओ० का विकास होता है । एक क्वार्टर मिल जाता है , लड़कों की शिक्षा-दीक्षा हो जाती है । राष्ट्रीय विकास के नाम पर एक आदमी का विकास हो रहा है । बहुत से कांग्रेसी जाते हैं और कहते हैं कि सोशलिस्ट गलत कहते हैं , देश तनुज्जली की तरफ नहीं जा रहा है, छप्पर की जगह खपरैल हो रहा है मिट्टी की जगह सीमेंट और ईंट लग रही है और देश तरक्की की ओर जा रहा है । श्रीमन्, यह बात तो कुछ हद तक सही है कि जब लाखों और करोड़ों रुपये आप खर्च करेंगे तो कहीं तो उसकी करामात आयेगी ही, लेकिन श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सन्

[श्री काशीनाथ मिश्र]

१९४७ के पहले जब आप की कम्युनिटी प्रोजेक्ट की योजनायें नहीं थीं और अंग्रेजी राज्य था तब २० से ३० लाख आदमियों के पास आधुनिक जीवन की सुविधायें, जैसे टेलीफोन, मोटर, आदि प्राप्त थीं। यह सुविधायें आप को कम्युनिटी प्रोजेक्ट के चलते, प्रथम और द्वितीय योजनाओं के चलते ३० लाख से बढ़ कर ६० लाख तक पहुंच पायी हैं, १२ और १४ सालों के बाद। और यह जो बढ़े हुये ३० लाख आदमी हैं वे कौन हैं? वही पांडेय जी और मंत्रियों के सगे सम्बन्धी, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े ठेकेदार, ऐसे लोगों में आते हैं, आम जनता इससे परे है। चन्द अफसर, ठेकेदार, मिनिस्टरों के साले ससुर, बहनोई, फूफा, नाना, दामाद इनका विकास तो हो जाता है, लेकिन शेष आम जनता तो इससे परे है।

मैं पांडेय जी और उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि, आप की योजनाओं का रुख आज किधर है? यह आप का पैसा कहां जा रहा है क्या कभी सोचा है? इस तरह से योजनायें चलाने से तो प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। आप को अपनी योजनाओं में आमूल परिवर्तन करना पड़ेगा। जो आप की विकास की योजनायें हैं उससे तो ऐसा लगता है कि सारे हिन्दुस्तान में कीचड़ भरा हुआ है, बीच में कहीं-कहीं पर कमल के फूल एक दो नजर आते हैं। होता क्या है? ब्लाक बन जाता है तो ब्लाक आफिसर के क्वार्टर उसमें उनके लड़कों के खेलने के लिये मैदान बना दिये जाते हैं। पांडेय जी ने अपने भाषण में देश के कर्णधार पंडित जवाहरलाल नेहरू की चर्चा की है। लेकिन मैं उनकी ही कांस्टीट्युयेंसी का ही हवाला दूंगा। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि उस की ऐसी अवस्था है कि हिन्दुस्तान में अगर सब से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू की कांस्टीट्युयेंसी है। मैं उस कांस्टीट्युयेंसी में घूमा हूं। सब से पिछड़ा इलाका है। कहीं एक भवन बन गया, कहीं लड़कों के खेलने के लिये सामान हो गया, एक छोटा सा स्कूल खुल गया, लोगों को आकर्षित करने के लिये जैसे एक रेगिस्तान के बीच में कहीं कहीं नखलिस्तान हो। वैसे जो चीजें कम्युनिटी प्रोजेक्ट के चलते हो रही हैं वह मैं पांडेय जी से प्रार्थना करूंगा कि देखें ठीक नहीं हैं।

गांव के सभापतियों के अधिकार की बात आती है। क्या अधिकार आप ने देहातों में दिया है? एक विधान सभा के सदस्य की तो नौकरशाही के सामने कोई हैसियत नहीं है। वह लिख कर ले जाता है और आप कहते हैं कि हम ए० डी० ओ०, बी० डी० ओ०, तहसीलदार और पंचायत इंस्पेक्टर से जांच करायेंगे। आप के आफिसरों की फाइलों के नीचे, उस अंग्रेजी जमाने के तौर तरीके से आपने जनतांत्रिक तरीके को नौकरशाही के नीचे दबा कर आप ने रखा है। अगर आप चाहते हैं कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट से देश और प्रदेश के अन्दर कुछ काम हो तो आप को सब से पहले यह नियम बनाना पड़ेगा कि जो जनता के चुने हुए लोग हों जो बात वह कहें उस पर आप के ए० डी० ओ०, बी० डी० ओ० आप के आफिसर अमल करें तब कहीं नेतृत्व जगेगा वरना यह जो थोड़ा बहुत काम आप का १२ साल का है वह नाकाम हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त।

श्री प्रेमसिंह जी, आप केवल दो मिनट में समाप्त कर दें।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

बहुत अच्छा साहब, दो मिनट ही सही। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे २ मिनट का समय दिया प्लानिंग पर बोलने के लिये। ठीक है, आज की प्लानिंग भी तो दो मिनट के लिये ही होती है।

"न तड़पने की इजाजत है न फरियाद की है।
घुट घुट के मर जाऊं यही मरजी नियोजन की है॥"

१९६३--६४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या ३८७ २५--नियोजन और एकीकरण

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर, आप के प्रदेश में नियोजन का कार्यक्रम असफल हुआ है। दो पंचवर्षीय योजनाओं के समाप्त होने के बावजूद हमारे प्रदेश की जनता का जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठा है। कृषि की पैदावार में जो तरक्की हुई है उसकी मैं क्या तारीफ करूं। टैक्सों की वृद्धि हुई है और ज्यादा क्या कहूं। तरक्की अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या में हुई है। (व्यवधान) इतना ही काफी है, तो मैं भी समाप्त करता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन तमाम माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे प्रस्ताव के ऊपर अपने विचार व्यक्त किये हैं और काफी गम्भीरता के साथ बहुत सी चीजों को दोनों तरफ के लोगों ने रखा है। मैं समझता हूं कि इन तमाम बातों के ऊपर यह आदरणीय सदन गम्भीरता से गौर करेगा। माननीय बंशीधर पांडेय जी के भाषण को सुनने के बाद मुझे थोड़ा-सा आश्चर्य हुआ। मैं समझता हूं कि वे नौजवान साथी हैं, बड़े उत्साह के साथ काम करते हैं और उनमें काफी दूरदर्शिता भी है, लेकिन तमाम चीजों के ऊपर जो वास्तविकता है उसके ऊपर परदा डालने से काम नहीं चल सकता है। मैंने दरख्वास्त की थी कि सरकार को वास्तविकता को नजरन्दाज नहीं करना चाहिये। हमारी क्या कमजोरी है, क्या खामियां हैं, उनको कैसे दूर किया जाय, इस पर विचार करना चाहिए।

हमारी दो योजनाओं ने हमें कुछ सिखाया है और मैंने अपने प्रस्ताव को पेश करते समय कम्युनिस्ट मुल्कों की प्लानिंग या सोशलिस्ट मुल्कों की प्लानिंग के बारे में कुछ नहीं कहा था। मैं जानता हूं कि हम एक नया प्रयोग कर रहे हैं और इस ढांचे में जाहिर है कि बहुत सारी बातें होती हैं, नये रास्ते पर दिक्कत होती है, इसको बदलना होगा। लेकिन केवल यह कह कर कि इकोनोमी होती है और सेल्फ जैनरेटिंग इकोनामी कर रहे हैं काम नहीं चलेगा। हमारी शिकायत है कि जो इकोनामी हमारे प्रदेश में होनी चाहिये वह नहीं हो रही है। सेल्फ जेनरेटिंग इकोनामी का सबसे बड़ा लक्षण यह होता है कि इनवेस्टमेंट बढ़ता है, आउटले बढ़ता है और फी कस आमदनी बढ़ती है, आदमी बचाता है और फिर इनवेस्ट करता है और उसके आधार पर हमारे यहां इकोनामी नहीं है। हमारे यहां फी कस आमदनी बढ़ नहीं रही है। मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में प्रजातंत्र का प्रयोग हो रहा है और दूसरे प्रदेशों में नहीं हो रहा है या केन्द्रीय सरकार अप्रजातांत्रिक ढांचे में काम कर रही है। जब देश के दूसरे प्रदेशों में फी कस आमदनी बढ़ी है, कृषि की पैदावार बढ़ी है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा है और हम जहां के तहां ही रह जाते हैं, बल्कि १९५०-५१ में हमारे सूबे की फी कस आमदनी ज्यादा थी और दस साल के बाद हम इसमें पीछे हैं। इसलिये हमें गौर करना चाहिये, हमें सोचना चाहिये कि इसी ढांचे में जब दूसरे प्रदेश और देश आगे जा रहे हैं और हम पिछड़े हैं तो हमारे अन्दर कोई न कोई कमजोरी है और उस पर गौर करना चाहिए। अगर हमने परदा डालने की कोशिश की तो लाभ नहीं होगा।

सोशलिस्ट मुल्कों की बात को माननीय बंशीधर जी क्षमा करें। मैं नहीं समझता कि हमारे यहां का उनसे क्या मुकबला हो सकता है? पिछले १०/५ वर्षों में ३ या ४ फीसदी आमदनी बढ़ाई है और जो उन्होंने लांग टर्म योजना बनाई है और उसमें जो लक्ष्य निर्धारित किया है वह यह है कि आने वाले २० सालों में राष्ट्रीय आय में ५०० फीसदी की वृद्धि करेंगे और औद्योगिक उत्पादन में ६०० फीसदी की वृद्धि होगी, कृषि में ३०० फीसदी बढ़ेगी। ये देश आगे बढ़ रहे हैं और हम पीछे हैं तो जरूर हमारी इकोनोमी में कमजोरी है। हमारा देश एक नया प्रयोग कर रहा है और मैं चाहता हूं कि यह सफल हो। जनवाद का ढांचा मजबूत हो और आगे बढ़े। लेकिन जब हम समझते हैं कि विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं तो उसका अर्थ यह नहीं होना चाहिये कि हमारी अर्थ व्यवस्था पर बुरा असर पड़े और हमारा ढांचा अस्त-व्यस्त हो जाय।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

इस पर हमें गौर करना पड़ेगा। आज जो हम पंचायतों और जिला परिषदों को अधिकार दे रहे हैं, कहीं पर उनका डीसेन्ट्रालाइजेशन होना चाहिये। कहीं ऐसा न हो कि वहां अराजकता फैल जाय। कहीं किसी पंचायत को आपने ३५ रुपये अनुदान दिया है, कहीं कहीं १५०० तक दिया है। ३५ रुपये में साल भर तक कोई पंचायत कैसे अपना काम चला सकती है? वास्तविकता यह है कि इस कोआपरेटिव मूवमेंट के पीछे जो आपका दृष्टिकोण है वह उन लोगों के अन्दर पैदा नहीं हो रहा है। सरकार को इस बात की कोशिश करना चाहिये कि जिस नयी व्यवस्था को हम लागू कर रहे हैं उसकी शिक्षा जनता को मिले। मंत्राणी जी ने बतलाया था कि हम करीब ८५ हजार नौजवानों को शिक्षित करने जा रहे हैं। यह बड़ी अच्छी योजना है। मैं चाहता हूं कि जो भी नौजवान शिक्षित हो कर आयें, उन्हें नियोजन आदि की सही शिक्षा मिले। हम क्या नया दृष्टिकोण अपनाने जा रहे हैं, इसकी शिक्षा उनको मिले। आज वास्तविकता यह है कि जो यूथ क्लब हमने बना रखे हैं, उनमें इस प्रकार की शिक्षा लोगों को नहीं मिल पा रही है। जो हमारा वास्तविक परपज है कि हम ऐसी सेना बनाना चाहते हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से सहायक हो, प्लानिंग तथा विकास के कार्य में सहायक हो, वह परपज पूरा नहीं हो रहा है। अगर प्रान्तीय रक्षक दल में ९ लाख सिपाही तैयार होने हैं, तो उनकी सही मानी में ऐसी ट्रेनिंग दें जिससे जो आपका उद्देश्य है वह पूरा हो। आज उनको समाजवाद का जो सही स्वरूप है, जो उसका रास्ता है, वह पता नहीं है। हमने पिछले वर्षों में भी यही शिकायत की है कि उनको वास्तविक ट्रेनिंग दी जाय, १०-१५ दिन के केवल कैम्प ही लग जाने से काम चलने वाला नहीं है। पिछले ६ साल से मेरा प्लानिंग की कमेटी से संबंध रहा है और मैंने इस बात पर जोर दिया है कि मूल सिद्धान्तों पर सेमीनार होना चाहिये, कहां पर कमजोरी है, उसको पता लगाकर हमको दूर करना चाहिये। ६ वर्ष के अन्दर प्रोग्राम बने, मगर वे बराबर सस्पेंड किये गये। जो आप नयी श्रेणी बना रहे हैं ब्लाक प्रमुखों आदि की, उनके अन्दर भी यह डिस्कशन होना चाहिये। वहां भी सेमीनार होना चाहिये। माननीय कृष्णानन्द राय जी ने कहा कि हमारी सफलता यह भी है कि बढ़ती हुई आबादी के अनुपात में हमने अपनी अर्थ व्यवस्था को सम्भाल लिया है। मैं कहता हूं कि इतना ही पर्याप्त नहीं है। हमें यह मानकर चलना है कि आगे आने वाले वर्षों में आबादी बढ़ेगी।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं। जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उनका फुल यूटीलाइजेशन नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिये हमने ब्लाकों के अन्दर कृषि उत्पादन पर बहुत ज्यादा जोर दिया, लेकिन हमारा उत्पादन नहीं बढ़ा। इसके अन्दर जो सबसे बड़ी बाधा रही है वह रही है लैंड रिफार्म्स की। आज भी ८० फीसदी किसानों के पास अन-इकोनामिक होल्डिंग्स हैं। उसका ऐसा वितरण नहीं है कि वे नयी खाद का इस्तेमाल कर सकें, सिंचाई के साधनों का इस्तेमाल कर सकें। इन सारी बातों पर हमको गम्भीरता से सोचना होगा कि हमारे लैन्ड रिफार्म्स काफी नहीं हैं। जमीन आज भी उन लोगों के हाथ में नहीं गई है जो मेहनत करने वाले वर्ग हैं। कोआपरेटिव फार्मिंग की तरफ हमें मजबूती के साथ बढ़ना चाहिये, तभी कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सकती है।

मैं महसूस करता हूं कि लैक आफ कोआर्डिनेशन है। हमारा ब्लाक का अधिकारी बी० डी० ओ० कहता है कि जब हमें पानी की आवश्यकता होती है उस समय सिंचाई विभाग पानी नहीं देता, जिस गांव में बाढ़ से बचत की बात सोची जाती है वहां के लिये फ्लड विभाग सहायता नहीं करता। ये बातें ब्लाक के वे अधिकारी करते हैं जिन्हें इस जिम्मेदारी को सम्भालना पड़ता है। सरकार का कर्त्तव्य है कि इस ओर ध्यान दे और विभागों का समन्वय करावे। हमारा प्रदेश मुख्यतः कृषि प्रधान है। उद्योग की भी उन्नति हम करेंगे। लेकिन केवल उद्योग से ही हमारे प्रदेश का मसला हल होने वाला नहीं है। फी एकड़ हमारा कृषि का उत्पादन बढ़ना चाहिये। हमारे यहां ट्यूबवेल के पानी का पूर्वी प्रदेश में बड़े पैमाने

पर इस्तेमाल नहीं हो पाता है। हमारे यहां किसान पानी बरसने का इन्तजार करते हैं। वह ट्यूबवैल का पानी नहीं लेता है, क्योंकि वह उसकी क्षमता के बाहर है, महंगा पड़ता है। सरकार को इस ओर भी गम्भीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। अतः मैं मांग करता हूं कि सिंचाई की दर में दी गयी छूट जिसे सरकार ने वापस ले लिया है फिर से दी जाय।

एक बात में चकबन्दी के बारे में निवेदन करूंगा। हमारे कृषि के उत्पादन में इस समय चकबन्दी बहुत बड़ी बाधा है। किसानों के चकबन्दी के मुकदमे सालों तक चलते रहते हैं। उनके दिमाग में भय रहता है कि हमारा खेत किसी दूसरे के चक में चला गया तो हमारा खाद डालना बेकार हो जायगा। इसलिये वह खाद नहीं डालता है। संसदीय मंत्री जी आप हंसे नहीं, मैं चकबन्दी की आलोचना कर रहा हूं। मैं साथ ही मानता हूं कि चकबन्दी अच्छी चीज है। इससे अन्त में लाभ होता है। लेकिन बीच की स्थिति में अभी तक आपने १० साल लगा दिये और अगर यही प्रगति रही तो ३० साल और लग जावेंगे और चकबन्दी नहीं हो पावेगी। इस बीच के समय में यह कृषि उत्पादन में बहुत बड़ी बाधक है। मैं समझता हूं कि सरकार अपनी चकबन्दी की मशीनरी की ओर ध्यान देगी और चकबन्दी का काम जल्दी समाप्त करने की कोशिश करेगी।

इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी माननीय मंत्राणी जी उन तमाम बातों पर गम्भीरता से विचार करेंगी जो हाउस में सुझाव दिये गये हैं और हमारे प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को जो पिछड़ी हुई है जो हमारे लिये गर्व की बात नहीं है। उसे ऊपर उठाने के लिये सक्रिय और सफल कदम उठावेंगी।

श्रीमती सुचेता कृप लानी--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आज दिनभर सबकी बहस सुनती रही और मुझे इस बात का कोई खेद नहीं है कि जो बहुत किस्म की समालोचना हुई। इंटेलीजेंट और थाटफुल समालोचना का हम स्वागत करते हैं। कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि उसका काम इतना परफेक्ट है कि उसमें कोई समालोचना नहीं हो सकती। विशेषकर विकास, एक मुश्किल काम है। इस प्रान्त में जो सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति है वह भी बड़ी विकट है। उससे लोगों को ऊपर उठाना आसान चीज नहीं है। इसलिये कि यह एक नये पैटर्न का काम हो रहा है और जो गलती होती है उसे सुधारते हैं। यह एक कंटीनुअस प्रोसेस है। सुधार और ऐडजस्टमेंट का सारे वक्त हम गंभीरता से चिंतन करते हैं और जो गलती होती है उसको सुधारते हैं। लेकिन जिस तरह से सदस्यगण बातें करते हैं उससे मालूम होता है कि हम लोग गांव तक पहुंचते ही नहीं हैं। हमें तस्वीर का पता ही नहीं है कि कहां क्या हो रहा है। मैं यह कहना चाहती हूं कि जहां तक मेरी शक्ति है और मेरे विभाग के और लोगों की शक्ति है, हम लोग गांव-गांव का दौरा करते हैं, ब्लाक की तो कौन कहे, फील्ड तक भी पहुंचते हैं, लेकिन यह भी सही है कि कहीं-कहीं काम ठीक नहीं हुआ है और यह भी सही है कि कहीं कहीं काम अच्छा हुआ है और कहीं-कहीं उत्साहजनक कार्य हुआ है। सारा चित्र एक तरह का ही नहीं है। काम का ठीक होना या खराब होना इस पर मुनहसिर करता है कि वहां के आफीशियल्स और नानआफीशियल्स का कितना कोआपरेशन हमें मिलता है। दूसरे, आर्थिक स्थिति भी सब जगह की एक सी नहीं है, पश्चिमी जिलों की अच्छी है मध्य के जिलों की मामूली है और पूर्वी जिलों की कुछ कमजोर है। कहने का मतलब यह है कि हम बराबर अपने को सुधारने के लिये तैयार हैं। अगर न सुधारें तो यहां बैठे किस लिये हैं?

सारे पैटर्न बदलते जा रहे हैं। जब मैं पहले भाषण दे रही थी तो शुरू ही में मैंने कहा था कि इसमें हमने कुछ नयी बातें जोड़ी हैं और वे सब आपकी बातों को सुनकर और चिन्तन करने के बाद ही जोड़ी हैं। पिछले दिनों जब केबिनेट की प्रोडक्शन सब कमेटी बैठी थी तो सारे डिपार्टमेंट्स के लोग आये थे और उनसे घंटों बातें हुई थीं, घंटों इन सब बातों पर चिन्तन हुआ और बैठ कर देखा कि एक एक आइटम में हम किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं। इस प्रकार से हम हर तरह से सुधार करने का प्रयत्न करते हैं।

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

दूसरी बात करप्शन और इनएफीशियेन्सी की कही जाती है । यह ठीक है कि मैं ऐसा तो कह नहीं सकती कि कहीं करप्शन नहीं है, लेकिन जो सोसाइटी का स्टैंडर्ड होता है, जो वातावरण उसका होता है, उसी का विकास तो एडमिनिस्ट्रेशन में होता है । अगर समाज का स्टैंडर्ड अच्छा होगा तो उसका भी स्टैंडर्ड अच्छा होगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

माननीया मंत्राणी जी जरा बतायें कि शासक दल का असर समाज पर पड़ता है अथवा समाज का शासक दल पर ? हमेशा जैसा शासक दल होता है वैसा ही समाज भी बनता है ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

इंगलैंड में विरोधीदल शासन का एक अंग माना जाता है तो विरोधीदल शासन का ही एक अंग है । इसलिये हमारी और आपकी दोनों की ही जिम्मेदारी है ।

अब यादव जी ने शुरू में ही कह दिया कि पंचवर्षीय योजना द्वारा पर-कैपिटा इनकम बढ़ी नहीं है । उसमें हमारा डिप्रेशन का एटमासफियर अब भी बना हुआ है । लेकिन परकैपिटा इनकम बढ़ाने के लिये परकैपिटा इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होना चाहिये, लेकिन पहली और दूसरी योजना में वह ज्यादा हुआ नहीं है । यह कोई नयी बात नहीं है । यह बात ठीक है कि जितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिये था उतना पहली दो योजनाओं में नहीं हुआ । जो इरिगेशन के बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जो इनवेस्टमेंट किया गया है उनका नतीजा निकलने में समय लगेगा । बहुत से डैम्स बन रहे हैं जब वे तैयार हो जायेंगे तब उनका नतीजा निकलेगा तभी प्रगति दिखाई देगी ।

तीसरी बात पापुलेशन की बढ़ोत्तरी की हुई । एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस बात को तो उठाना ही नहीं चाहिये था क्योंकि दूसरे मुल्कों में भी तो पापुलेशन बढ़ी है, और फिर भी वहां प्रगति हुई है । लेकिन यह बुनियादी बात हमें याद रखनी चाहिये कि भारतवर्ष आलरेडी हाईली पापुलेटेड है जो उसकी बड़ी भारी समस्या है, और देशों में जिनकी तरफ इशारा किया गया वहां जब प्लानिंग शुरू हुई तो आर्थिक दशा ऐसी दशा नहीं थी, लेकिन जब भारत में प्लानिंग शुरू हुई तो यहां की पापुलेशन पहले से ही सेचुरेशन प्वाइन्ट पर थी । यह एक समस्या है जिसको इगनोर नहीं किया जा सकता । इसके बावजूद भी इस थर्ड प्लान में हमारा आउटले डबल हुआ है और इससे आशा है कि हमारी परकैपिटा इनकम बढ़ेगी ।

इसके अलावा हम ज्यादा इनवेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हमारा थर्ड प्लान ४९७ करोड़ का बना है जिसमें से १४७ करोड़ प्रान्त को देना है और उसमें से १०९ करोड़ टैक्सेशन के जरिये लेना है । आप लोगों ने देखा है कि टैक्सेशन बढ़ाने के रिसोर्सेज ढूंढने का कितना प्रयास किया जाता है लेकिन रिसोर्सेज निकालना कितना मुश्किल है । अगर हम चाहें कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही अनुदान दे दे और अपनी तरफ से उस अनुपात में हम पैसा न लगा सकें तो हम अपने यहां इंडस्ट्रीज को नहीं बढ़ा सकते हैं । सेंटर के साथ तो और बहुत सही परेशानियां लगी हुई हैं । सब स्टेट्स को उसे पैसे देने पड़ते हैं और हम सेंटर से ही सब रुपया मागें तो सभी स्टेट्स उसके सामने हाथ पसारने के लिये तैयार हो जायेंगी । इसलिये ज्यादा इनवेस्टमेंट करने में हमारे सामने कुछ दिक्कतें हैं तो भी पहले प्लान से तीसरे प्लान का जो नक्शा है वह बेहतर है और इस प्लान के अन्तर्गत हमने कुछ बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स लिये हैं । करीब ५०० करोड़ के प्रोजेक्ट्स में फर्टिलाइजर का कारखाना, अलुमिनियम का कारखाना, हैवी इलेक्ट्रिकल्स का कारखाना और ऐंटी बायोटिक्स का कारखाना आदि हैं । इससे काफी फर्क पड़ जायगा । तीसरी योजना के अन्त तक जो नक्शा उतरेगा वह इससे कुछ बेहतर नक्शा ही उतरेगा । मगर जो बुनियादी दिक्कत और परेशानी है उसको भी भूल नहीं जाना चाहिये । उसके लिये हम सब को जुट कर कोई न कोई रास्ता निकालना है ।

जहां तक कृषि की बात है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में हमारे उत्पादन का जो टार्गेट था उससे कुछ ज्यादा ही उत्पादन हुआ है, चाहे वह थोड़ा ही ज्यादा हो। यह बात सही है कि पिछले साल के अन्त तक उत्पादन जितना चाहिये उतना नहीं हुआ चूंकि बरसात की परेशानी थी। मगर जिस ढंग से काम हो रहा है उससे हम उम्मीद करते हैं कि तीसरी पंच-वर्षीय योजना के अन्त तक हम अपने टार्गेट पर पहुंच जायेंगे और ईश्वर ने चाहा तो उससे आगे भी बढ़ सकते हैं। हमारी पूरी तरीके से कोशिश यह है कि जो भी हमारे डिफेक्टिव काम हैं उनमें सुधार करें।

फर्टिलाइजर के डिस्ट्रिब्यूशन की जहां तक बात है, कहा यह गया है कि पूर्वी जिलों में कम दिया गया है। मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं। सन् १९६०-६१ में नाइट्रोजन १,४३,२७० टन डिस्ट्रिब्यूट किया गया, १९६१-६२ में १,५७,१९१ टन बांटा गया और इस साल दिसम्बर तक १,८३,३३३ टन बांटा गया। वैसे ही फास्फेट पहले प्लान में १३ हजार टन, दूसरे प्लान में २६ हजार टन और तीसरे प्लान में दिसम्बर तक ३० हजार टन बांटा गया है और यह सुन कर आपको हैरत होगी कि पश्चिमी जिलों की बनिस्बत पूर्वी जिलों में ही ज्यादा बांटा गया है। फर्टिलाइजर के इस्तेमाल के लिये लोगों को उत्साहित करने के लिये ही गवर्नमेंट ने दाम घटा कर किसानों को देने का प्रोग्राम बनाया जिससे ४६ रुपये प्रति टन दाम घट जायगा।

फिर एक बात स्टाफ के बारे में भी कही गयी और यह कहा गया कि बजट में इतना रुपया कम क्यों रखा गया जबकि पहले अधिक बजट था। कहां तो हमारे काम को एप्रिशिएट करना चाहिये था, लेकिन उसकी उल्टी समालोचना की गयी और कहा गया कि आपका सारा मुहकमा ही बेकार है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अपने पैटर्न का स्टाफ रखने के लिये कहा था, लेकिन हमने कोशिश करके उनके पैटर्न को मानने के बजाय अपना पैटर्न माना। उनका कहना था कि जब तक सेंट्रल पैटर्न का स्टाफ नहीं रखा जायगा तब तक काम में एफिशिएंसी नहीं आयेगी। उनके बार-बार कहने के बावजूद भी अपनी आर्थिक परेशानी व आप लोगों की समालोचना को देखते हुये हमने कम आदमियों का स्टाफ रखा लेकिन फिर भी आज उसकी शिकायत है।

हेड क्वार्टर के लिये ४.३५ करोड़ का प्राविजन था और इस साल १६५ ब्लाक्स ज्यादा हो जाने के बावजूद भी ४.१२ करोड़ का बजट है और अगर हम सेंटर के पैटर्न को मानते तो हमारा बजट ५.२६ करोड़ का होता। ए० डी० ओज० के बारे में भी इस प्रकार की समालोचना होती है। क्या आप लोग समझते हैं कि हमें कोई शौक है ज्यादा अफसर रखने का कि जरूरत न हो तो भी हम आलोचना के लिये उसे रखेंगे? ये ए० डी० ओ० जो रखे जाते हैं वे अपने सब्जेक्ट मैटर के विशेषज्ञ होते हैं। बी० डी० ओ० तो हमारे एक जनरल आफिसर हैं जिन की मल्टीफेरियस एक्टिविटीज होती हैं। जो हमारे ए० डी० ओ० हैं उन ए० डी० ओ० में हमने पहले से ही कमी कर रक्खी है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पैटर्न के अनुसार जितने ए० डी० ओ० रखने चाहिये थे उतने ए० डी० ओ० उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने नहीं रक्खे। ब्लाकों में हम तरह तरह के काम चालू कर सकते हैं और बहुत से काम ऐसे हैं जिनके लिये विशेषज्ञों की जरूरत होती है। अगर यह विशेषज्ञ हमारे पास नहीं रहते हैं तो उस काम के पूरा होने में बाधायें उपस्थित होती हैं। उदाहरण के लिये अभी माननीय सदस्यों ने समालोचना की, जो मैंने पिछले बजट के समय कहा था कि हर ब्लाक में दो उद्योग चलायें मगर यह नहीं किया गया, उनकी शिकायत बहुत हद तक सही है क्योंकि सब ब्लाकों में हम दो उद्योग नहीं चला सके। इसका एक विशेष कारण है कि हमारे पास जितने ए० डी० ओ० (उद्योग) होने चाहिये थे, उतने नहीं हैं। एक विशेष अफसर ब्लाक में उद्योग के लिये रक्खें तो वह उद्योग के बारे में प्रचार करे, उसके लिये सरकार ने जो कर्जा आदि देने की सुविधायें दे रखी हैं उन्हें लोगों को बतायें आदि आदि। यह अधिकारी उद्योग की सब तरह से मदद कर सकता है। इस तरह से यह ए० डी० ओ० इंडस्ट्रीज ही हमारे पास काफी नहीं हैं, अब करीब ३०० का प्रबन्ध हुआ है और अब काम थोड़ा चालू हुआ है। अब जो आफिसर बैठे हैं जो यह ए० डी० ओ० कृषि, कोआ-

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

परेटिव, पंचायत राज, सोशल एजूकेशन के हैं जिनको फालतू समझा जाता है। इसी तरह से ए० डी० ओ० (ऐनीमल हज़बंड्री) हैं जो वेटीनरी का काम करते हैं और ए० डी० ओ० (वीमेन) हैं, जिन के बारे में बड़ी आलोचना होती है कि वह फैशन कर के घूमती हैं और वह चुटिया कर के चलती हैं, लेकिन हम को इस का खयाल करना चाहिये कि यह बहिनें गांवों में तकलीफ उठाकर काम करती हैं, वह पढ़ी लिखी औरतें हैं, घूंघट ओढकर तो वह रहेंगी नहीं, वह घूमेंगी और कायदे से रहेंगी। बाकी यह सही है कि उनमें संजीदगी होना चाहिये। गांवों में जाहिर है कि स्त्री पुरुष दोनों हैं, अगर हमें अपने गांवों का विकास और उन्नति करना है तो हमें दोनों ही को संग लेकर चलना होगा। अगर विकास और उन्नति केवल पुरुषों का ही हो जाय और स्त्रियों का न हो तो हमारा समाज विकसित न होगा। हमारे पहाड़ी इलाके में तो खेती का काम अधिकतर स्त्रियां ही करती हैं और जब तक वहां पर खेती के कार्य के नये प्रासेस औरतों को नहीं सिखाये जायेंगे तब तक प्रगति नहीं हो सकती। स्त्रियां समाज की भी एक इकनामिक फैक्टर हैं और उनको भी लेकर आगे बढ़ना है।

स्टाफ के बारे में भी बहुत सी बातें बताई गईं। मुझे एक बात पर हंसी आती है कि बी०डी० ओज० की शिकायतों की बड़ी भरमार की गई। यहां पर और मेरे कमरे में सभी पार्टियों के सब जिले के लोग आकर कहते हैं कि फला बी० डी० ओ० बढ़िया है, उसे यहां रहने दिया जाय और कोई कहता है कि उसको हटा दिया जाय। मुझे २ ढाई साल हो गया, यहां पर करीब करीब कोई दिन नहीं गया कि जब असेम्बली हो और किसी न किसी बी० डी० ओ० की बात मेरे सामने न आये। हो सकता है उसमें कुछ लोग गलत होंगे, कुछ सही होंगे लेकिन मोटे तौर पर उन पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, उनको मल्टीफेरियस एक्टिविटीज हैं, उनका मुश्किल काम है, सब विभागों को वह देखते हैं, हम भी उनको थोड़े थोड़े दिन के बाद रिओरियेंट करने की कोशिश करते हैं। सब बातों को देखते हुये वह अच्छा काम कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगी कि आप लोग हमारी क्षेत्र समितियों के सदस्य हैं, आप लोग उन का हाथ मजबूत कीजिये, उनको सलाह दीजिये, उनसे कोआपरेशन कीजिये, हम उन को बराबर हिदायत देते रहते हैं कि वह नान-आफिशियल एलीमेंट से घुल-मिलकर काम करें और काम को आगे बढ़ायें।

पूर्वी जिलों के बारे में कुछ कहा गया, सही बात है कि बहुत दर्दनाक चित्र पूर्वी जिलों में है, वहां के किसान गरीब हैं, छोटी होल्डिंग्स हैं, उनको हमको ऊपर उठाना है। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में पापुलेशन हर मील पर ८४४ है, जब कि स्टेट में ५५७ है और भारतवर्ष में २८१ है। पूर्वी जिलों की तरफ स्टेट का भी खयाल है और सेन्ट्रल गवर्नमेंट का भी है। १९५८ में स्टेट की तरफ से प्लानिंग कमीशन से मांग की गई थी कि १८ करोड़ ५० लाख रुपये के प्रोजेक्ट्स दिये जायं। उसमें कुछ मंजूर हुआ, स्पेशल प्रोग्राम चलाये गये। इसके अलावा नार्मल बजट में भी सेकेन्ड प्लान में जहां २५० करोड़ का प्लान आउट ले था उसमें से ८३ करोड़ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लिये दिया गया।

पी० आर० ए० आई० की पायलट प्रोजेक्ट स्कीम्स के सिलसिले में कहा गया कि लखनऊ के इर्द-गिर्द ही वह अपनी स्कीम न चलाये, दूसरी जगह भी चलाये। मैं बताना चाहती हूं कि उसके ८८ प्रोजेक्ट्स हैं। यह सारे प्रदेश में फैले हुये हैं और आधे से अधिक प्रोजेक्ट पूर्वी जिलों में हैं। इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट्स अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा पूर्वी जिलों के लोगों की हालत सुधारने के लिये वहां चलाये जा रहे हैं। मगर यह काम बहुत मुश्किल है जिसमें आप लोग हाथ बटायें, क्योंकि अब कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम हमने प्रजातांत्रिक ढांचे में पूरी तरह ढाल दिया है जिसमें प्रमुख और अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। तो क्षेत्रीय परिषद् और जिला परिषद् में आपको देखना है कि यह फोरम डिबेटिंग फोरम्स न बनें बल्कि कंस्ट्रक्टिव फोरम बनें और डेवलपमेंट ऐक्टिविटी के फोरम्स बनें जिनमें आपकी राय चाहिये चाहे आप किसी

पार्टी के हों। इस दुखी जनता को आगे बढ़ाना है और जो साधन बहुत तकलीफ से जुटाये जाते हैं उनका पूरी तरह से इस्तेमाल हो जिसके लिये आप लोगों के सहयोग से सफलता मिल सकती है और काम प्रगति से चल सकेगा।

एक माननीय सदस्य ने ड्रिन्किंग वाटर के लिये कहा। हम लोगों ने उस तरफ खास ध्यान दिया है और १९६१-६२ में ८० लाख रुपया रखा गया था जो सब खर्च हो गया। सबसे ज्यादा कामयाबी पहाड़ी जिलों में हुई है। इस साल ६७ लाख रुपया रखा है। एक माननीय सदस्य ने जो बरेली से आते हैं, हरिजनों के लिये कहा था कि उनके लिये रुपया नहीं है। थोड़ा रुपया जरूर घटा है। पिछली दफा १५ लाख रुपया था और वह डिस्ट्रिक्ट हरिजन सहायक कमेटी के जरिये बांटा जाता था। बरेली के लिये २६ हजार रुपया था और कमेटी उसको जैसे चाहे बांटे। इस साल उसके लिये भी करीब ११ लाख रुपया रखा गया है। उनके टर्म्स भी आसान कर दिये गये, जो मैचिंग कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है वह भी घटा दिया है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि ब्लाक के हैडक्वार्टर ठीक जगह नहीं हैं। तो इसमें हमारा दोष नहीं है क्योंकि प्रजातांत्रिक नीति के अनुसार बी० डी० सी० को पूरा अधिकार दिया गया है, जहां चाहे हैडक्वार्टर रखे। वहां वोट से तय किया जाता है। अगर सब लोग गलत जगह तय करते हैं तो हमने समझा कि लोगों को गलती करने का अधिकार होना चाहिये, उससे वह सुधरेंगे। इसलिये हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास अधिकार नहीं है। मगर यह अधिकार आम तौर से बी० डी० सी० के इस्तेमाल का है।

माननीय रामेश्वरप्रसाद जी ने कहा कि अध्यक्ष और प्रमुख को जो अधिकार दिये गये उसके कारण टीचर्स के ट्रांसफर में धांधली कर रहे हैं, ऐसी शिकायत आयी। जैसा मैंने कहा शुरू-शुरू में जब अधिकार मिलता है तो ज्यादा मिस्यूज होता है। अगर हम लोग देखेंगे कि ज्यादा मिस्यूज हो रहा है तो रोकटोक करने का रास्ता निकालेंगे। हमारे पास ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन आये हैं जिनमें कहा गया है कि जिला परिषद् के लिये चुनाव में प्रमुख को इलेक्शन आफिसर नहीं बनाना चाहिये था। इस विषय में बहुत सोच-विचार किया गया और प्रमुख को क्षेत्र विकास समिति का चेयरमैन होने के नाते चुनाव का काम देखने को कहा गया। जैसे कि विधान सभा में अगर कोई चुनाव होता है तो वह अध्यक्ष के तत्वावधान में होता है, इसी नीति के अनुसार यह फैसला हम लोगों ने लिया था। अब जब इतनी शिकायतें आई हैं उन पर हम विचार करेंगे और अगर जरूरत हुई तो रूल्स में परिवर्तन करेंगे।

मैन-पावर मोबिलाइजेशन स्कीम के बारे में कुछ बातें बतलाई गयीं। मैं यह कहना चाहती हूं कि मैन-पावर मोबिलाइजेशन तीन सीरीज में की जा रही हैं। पहली सीरीज में २० लाख रुपया रिजर्व रखा गया और वह सब प्रोजेक्ट्स में शामिल हुआ, जैसे मथुरा, गोरखपुर में बहराइच, गोंडा आदि जिले हैं दूसरी सीरीज के। कल्पनाथसिंह जी ने यह कहने की कोशिश की कि बस्ती जिला भी इसमें आता है, इसीलिये वहां ज्यादा प्रोजेक्ट्स हुये हैं। मैं समझती हूं कि जितने ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं वे सब गरीब हालत में हैं। यह मेन पावर स्कीम उन जिलों के लिये की गयी है जहां काम कम है, चाहे बलिया लीजिये, गाजीपुर या गोरखपुर अथवा देवरिया लीजिये। सब एक बराबर हैं। इंटर-डिस्ट्रिक्ट राइवलरी का वातावरण न बनाया जाय तो अच्छा होगा। जब सब जिले दुखी हैं तो जितनों का दुख कट सके वह अच्छा ही होगा।

जीप पर बहुत कम आलोचना आज हुई। इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहती हूं कि जीप का मिस्यूज कभी कभी हो जाता है, मगर वह होता है हम लोगों की बावजूद तमाम कोशिश के। हिदायत उनको दी गयी है कि कितने मील वह चल सकती हैं। ८, १० शर्तें जीप चलाने के लिये लगाई हैं। एक नई शर्त बनाई है जिसमें यह कहा गया है कि नोट बुक जो है वह क्षेत्र समिति की बैठक में रखी जाय और क्षेत्र समिति के मेम्बर उसे देख सकते हैं और जो जीप का प्रोग्राम हो वह स्टाफ के बीच में हो ताकि नाजायज तरीके से जीप का इस्तेमाल न हो, फिर जीप का खरीदना बन्द हो ही चुका है। ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि सेंट्रल गवर्नमेन्ट सारी जीप्स मांग सकती है तो उनको हमें देना होगा। इसीलिये जीप के बारे में ज्यादा परेशान न होइये।

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

मुझ से पहले बंशीधर जी ने बहुत सी बुनियादी बातें कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में कह दी हैं, इसीलिये मैं इतना ही नम्रतापूर्वक कहूंगी कि यह बड़ी व्यापक स्कीम है। हमारा सब विभागों से कुछ न कुछ कोआर्डिनेशन रहता है। बहुत कोशिश की जाती है कि कोआर्डिनेशन हो, लेकिन हो नहीं पाता। पुराना ढांचा चला आता है। अलग-अलग डिपार्टमेन्ट काम करते हैं और उनमें सुचारुरूप से कोआर्डिनेशन हो सके यह मुश्किल है फिर भी जितना मुमकिन है हम ईमानदारी से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब कामों में सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है। मैं सब माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगी कि वे अपने अपने क्षेत्र में हमारे इस प्रोग्राम में हाथ बटायें। और हमें चाहिये कि शीघ्र से शीघ्र इसमें हाथ बटायें। अंत में मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरा अनुदान मंजूर किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५—नियोजन और एकीकरण के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय—कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के लिये अनुदान संख्या २५—नियोजन और एकीकरण के अन्तर्गत ११,७२,२४,८०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। अब हम उठते हैं और कल साढ़े १० बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ७ मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१४ मार्च, १९६३।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१५ पर)

REGISTERED

No. B-14570/XX-A—175-1962

FROM

SRI P. MUKERJEE,
UNDER SECRETARY TO GOVERNMENT,
UTTAR PRADESH, LUCKNOW.

TO

ALL HEADS OF DEPARTMENTS AND PRINCIPAL HEADS OF OFFICES,
UTTAR PRADESH.

Dated : *Lucknow, October* 29, 1962

Subject : **Chief Minister's Defence Forces Welfare Fund.**

Secretariat Administration Department(Accounts)

SIR

I am directed to invite a reference to para. 3(2) of Circular letter no. B-14559/XX-A—175-1962, dated October 26, 1962, in which it was indicated that a specimen receipt book will be sent to each District Magistrate and that he would get the receipt books printed in his own district according to this specimen. I am now to enclose a copy of the receipt book for your use till new receipt books are printed by the District Magistrates. When such receipt books have been printed you may kindly requisition the receipt books according to your requirements from the District Magistrate of your district. As the accounts of the Fund are auidtable, it is absolutely necessary to maintain them carefully according to the procedure laid down in the Circular under reference. A record should also be kept (a) of the number of receipt books received by you from Government, and (b) of the number of receipt books obtained by you from the District Magistrates. Arrangements should also be made for the safe custody of the receipt books. When they are issued to any gazetted officer empowered to collect donations to the Fund, his signatures should be taken in token of his having received the receipt book. When the receipt books have been completely used up, the officer concerned should return the counterfoils to you and you should chek them carefully and give him a receipt in token of your having received back the counterfoil.

Yours faithfully,
(Sd.) P. MUKERJEE,
Under Secretary.

Enclosure :
Receipt Book containing 100 receipts.

No. B-14570(1)/XX-A—175-1962

Copy forwarded to the Accountant General, U. P. Allahabad, for information.

Copy forwarded to the Finance (A) Department for information.

Copy also forwarded to all the Departments of the Secretariat for information and necessary action.

By order
P. MUKERJEE,
Under Secretary.

Copy of G. O.no. A-7747/XX-A—175-1962, dated November 9, 1962 from the Under Secretary to Government, Uttar Pradesh to all District Magistrates.

In continuation of Government no. A-7720/XX-A—175-1962 Letter dated November 8, 1962, with which a sample of the Hindi Receipt Book relating to the Chief Minister's Defence Welfare Fund has been supplied, I am directed to say that your further requirements may please be met by getting the Receipt Books printed locally, in Hindi, on the pattern of the sam ple supplied to you.

2. The Receipt Books already supplied to you by Government or got printed locally by you may please by utilized in full before the new receipt books are used; so that there might not be any wasted.

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१६ पर]

	जांच की गई धनराशि	सदुपयोगित धनराशि	दुरुपयोगित धनराशि	अनुपयोगित धनराशि
ऋण ..	१,६३,४१,०८५	१,०१,४४,२५५	४०,२१,७२६	२१,७५,१०४
अनुदान	४,५१,३६८–९८	४,४३,६०७–२६	७,७६१–७२	..

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१८ पर]

१-१-६२ से १६-१-६३ तक देवरिया जिले के प्रत्येक थाने में हुई गैर-दस्तन्दाजी वारदातों की रिपोर्टों की संख्या तथा की गई कार्यवाही आदि का विवरण।

क्रम-सं०	नाम थाना	रिपोर्ट हुई	व्यक्तियों की सं० जिनके विरुद्ध २ या २ से ज्यादा रपटें हुईं	पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही	
१	कोतवाली	७७४	६	३	व्यक्तियों के ११० जा०फो०
				३	विरुद्ध १०७/११७
२	गौरीबाजार	५००	२६	११	,, १०७/११७
३	तरकुलवा	४२५	२५	१	,, ११०
				१६	,, १०७/११७
४	रुद्रपुर	७४८	२८	१	,, ११०
				११	,, १०७/११७
५	खामपुर	६३४	३	३	,, ११०
६	खुखुन्दू	५५८	३८	२	,, ११०
				१३	,, १०७/११७
७	बरहज	४३८	३३	१	,, ११०
				३२	,, १०७/११७
८	लार	६५४	२१	१	,, ११०
				२०	,, १०७/११७
९	कसिया	३१५	२	२	,, १०७/११७
१०	हाटा	३४२	२२	२	,, ११०
				११	,, १०७/११७
११	पथरवा	४३४	२१	३	,, ११०
				१५	,, १०७/११७
१२	बिशुनपुरा	४३२	७२	५५	,, १०७/११७
				४	,, १३३
१३	तरिया सूजन	७१५	३	१	,, ११०
				१	,, १०७/११७
१४	पडरौना	७४३	५	२	,, ११०
				३	,, १०७/११७
१५	रामकोला	५८१	१२०	४	,, ११०
				५६	,, १०७/११७
१६	खड्डा	४७१	९५	१	,, ११०
				८६	,, १०७/११७
१७	कप्तानगंज	४२२	४२	१	,, ११०
				२०	,, १०७/११७
				३	,, १३३
				१	,, १४५
		९,१८६	५६२	३८९	

नत्थी 'घ'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१९ पर]

घटना का विवरण

दिनांक २८/२९ जनवरी, १९६३ की रात्रि में लगभग १७/१८ व्यक्ति लाठी-भाले से सुसज्जित होकर श्री रामकिशुन, निवासी ग्राम चिउटहा, थाना पीपीगंज के घर पर पहुंचे तथा श्री रामकिशुन को दरवाजा खोलने के लिये आवाज दी। श्री रामकिशुन खिड़की से रात्रि में इतने व्यक्तियों को देख कर शंकित हो उठे तथा छत पर जाकर उन्होंने शोर किया जिसे सुनकर कुछ ग्रामवासी घटनास्थल पर पहुंचे। उपरोक्त व्यक्तियों का सामना ग्रामवासियों ने किया जिसके फलस्वरूप ८ ग्रामवासियों को लाठियों से साधारण चोटें आईं। अभियुक्तगण मकान के अन्दर नहीं जा सके और वादी का कोई सामान भी नहीं गया और अभियुक्तगण भाग गये। जांच से पता चला कि वली मुहम्मद नामक व्यक्ति ने वादी श्री रामकिशुन से घटना के कुछ दिन पूर्व ३ बोरा चावल उधार मांगा था किन्तु वादी ने चावल उधार देने से इंकार कर दिया था। इस पर वली मुहम्मद बुरा मान गये थे। इस रंजिश के कारण वह अन्य साथियों सहित वादी को पिटवाने की गरज से उनके घर गये थे। जांच से उपरोक्त घटना जो थाने पर पहले ३९५ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत दर्ज की गई थी धारा १४७/१४८/१४९/३२३ भारतीय दंड विधान की पाई गई। इस मुकदमें में ५ अभियुक्तों का चालान कर दिया गया है। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयत्न किया जा रहा है।

नत्थी 'ङ'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२६ पर]

नकल चिक गै० द० दाजी नं० ४११

थाना महुली, तहसील बस्ती, जिला बस्ती संख्या ४११ रिपोर्ट किये जाने का दिनांक व समय २३-११-६२ समय १४.१० ।

१—नाम पता वादी ..	उदयराज, पुत्र घुरहू अहीर, सा० बाघापार, थाना महुली जिला बस्ती ।
२—नाम व पता प्रतिवादी ..	१—रामअचल, पुत्र सुन्दरपाल, सा० बनकटी, थाना मुन्डेरवा, बस्ती सीरवार रामदास सा० बाघापार ।
	२—कोदई, पुत्र हरिदत्त ब्रा० सा० बाघापार, था० महुली, बस्ती ।
	३—रामनवल, पुत्र सुन्दर पाल, सा० बनकटी, थाना मुन्डेरवा, बस्ती ।
	४—रामदास, पुत्र गजराज, सा० बाघापर, था० महुली, बस्ती ।
३—जुर्म धारा जो लागू हो ..	३२३ भा० दं० वि० ।
४—तारीख व समय घटना ..	ता० २३-११-६२ ई० समय करीब ४ बजे, मु० सीवान बाघापार ।
५—साक्षियों का नाम .	१—रामअवध ब्रा० सा० बाघापार
	२—कुमारे, पुत्र स्वदेशी, सा० बाघापार, थाना महुली, जिला बस्ती ।
६—संक्षिप्त विवरण ..	वादी ने प्रकट किया कि मुझ से और मुलजिम नं० २, ४ से दीवानी में मुकदमा चल रहा है जिसमें आज तारीख थी हमारे बाप घुरहू आज मुकदमें की पैरवी में जा रहे थे जब गांव के सीवान में पहुंचे तो उपरोक्त मुल्जिमान ता वक्त बकुवा उक्त को लाठी से मारे हैं जिसमें उनके बांह, पैर व पीठ में काफी चोट आई है । हल्ला हुआ तब हम लोग दौड़े मुल्जिमान भाग गये उनको घर पर छोड़ कर इत्तला को आया हूं ।
	नि० अ० उदयराज

नकल चिक गैर द० दाजी नं० ३२९ । थाना—महुली, तहसील बस्ती, जिला बस्ती, संख्या ३२९ रिपोर्ट किये जाने का दिनांक तथा समय १७-९-६२ समय ९.४५ बजे ।

१—नाम, पता वादी ..	रामआसरे, पुत्र ननकू, ग्राम बाघापार, थाना महुली, जिला बस्ती ।
२—अभियुक्त का नाम तथा निवास स्थान	१—रामअचलपाल, पुत्र सुन्दरलाल, सा० बनकटी, थाना मुन्डेरवा, बस्ती हाल, मु० बाघापार ।
	२—शिवराज, पुत्र जगमूरत शुक्ल, सा० बाघापार ।

३—रघुनाथप्रसाद, पुत्र हरिदत्त, शु० बाघापार।

४—भग्गन, पुत्र सुक्खू हरि सा० बाघापार, थाना महुली, जिला बस्ती।

३—जुर्म तथा धारा .. ३२३ ता०

४—घटनास्थल तारीख तथा समय बाघापार १७-९-६२; समय ७ बजे प्रातः

५—गवाहों का नाम तथा निवास धुरहू अहीर, रामअवध शु०, बाघापार स्थान।

६—संक्षिप्त विवरण .. वादी ने विदित किया कि मुल्जिम नं० १ के विरुद्ध मैंने डकैती के मुकदमें में गवाही दिया था और मुल्जिम नं० २ से खेत के बारे में मुकदमेंबाजी अर्से से हो रही है इसी रंजिश से मुकदमा नं० १ मुझको धोखे से बुलाकर रामदास शु० के दरवाजे पर ले गया और मुलजिम २-३-४ बैठे थे। बस मुझको लाठी से मारना शुरू कर दिये। गवाहान ने बीच बचाव कराया तब मेरी जान बची। मुझको सख्त खतरा है, इत्तला को आया हूं।

(ह०) रामबहोर मिश्र,
हे० कां०,
१७-९-६२

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३१ पर)

मैनपुरी जिले के विभिन्न थानों में जनवरी, १९६० से जनवरी, १९६३ तक थानेवार व वर्षवार हुये कत्लों का विवरण।

क्रमांक	थाना	वर्ष १९६०	वर्ष १९६१	वर्ष १९६२	१९६३ जनवरी
१	२	३	४	५	६
१	कोतवाली	१	९	७	..
२	कुरावली	१	१	८	..
३	भोगांव	६	५	४	२
४	बेवर	१	४	४	..
५	किशनी	१	३	४	..
६	कुर्रा	..	१	..	..
७	करहल	३	३	..	२
८	शिकोहाबाद	४	४	१२	..
९	सिरसागंज	२	१	२	१
१०	घिरोर	३	३	२	..
११	जसराना	१	..	३	..
१२	एका	३	३	९	१
१३	फरिहा	१	२	..	..
१४	उरावर	..	१	३	..
	योग	२७	४०	५८	६

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४१ पर)

जिला सुरक्षा कोष समिति, फ़तेहपुर के सदस्यों के नाम

(१) श्री एच० एस० तिवारी, जिलाधीश, फतेहपुर (अध्यक्ष)
(२) श्री० एम० एस० माथुर, पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर
(३) श्री डी० एम० भार्गव, सिविल सर्जन, फतेहपुर
(४) श्री हरिप्रसाद, अध्यक्ष, जिला परिषद्, फतेहपुर
(५) श्री नानकप्रसाद, अध्यक्ष नगरपालिका, फतेहपुर
(६) श्री जी० एस० कक्कड़, एम० पी०
(७) श्री एच० सी० सिंघल, डी०पी०ओ०, फतेहपुर (सेक्रेटरी)
(८) श्री एम० ए० वबेम, डिस्ट्रिक्ट इंसपेक्टर आफ स्कूल्स, फतेहपुर
(९) श्री बी० एम० रस्तोगी, ट्रेजरी आफिसर, फतेहपुर (कोषाध्यक्ष)
(१०) श्री मानसिंह, रिटायर्ड डी० आई० जी०
(११) श्री दिलीपमानसिंह, एडवोकेट, फतेहपुर
(१२) श्री रक्षपालसिंह, एम० एल० ए०, वकील
(१३) श्री अब्दुल रऊफल खान, वकील
(१४) श्री जगन्नाथसिंह, एम० एल० ए०
(१५) श्री जी० के० शुक्ला, स्पेशल मैजिस्ट्रेट, फतेहपुर
(१६) श्री बंश गोपाल, एडवोकेट, फतेहपुर
(१७) श्री रामकरणसिंह, अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी, फतेहपुर
(१८) मिस ई० मार्सटेलर, क्रिश्चियन मिशन ।

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४३ पर)

तालिका

मंडल कांग्रेस कमेटी, मियांव फैजाबाद द्वारा अगस्त सन् ६२ में थानेदार जलालपुर के विरुद्ध लगाये गये आरोप :

(१) ग्राम बहादुरपुर, निवासी कुम्हई से एक अपराध की रिपोर्ट लिखने के संबंध में १०० रुपया रिश्वत ली गई। किन्तु दूसरी पार्टी से अधिक रुपया लेकर अपराध की जांच समाप्त कर दी गई।

(२) ग्राम दुधई निवासी खरगू से ५० रुपया लिया गया तथा दूसरी पार्टी से अधिक रुपया पा जाने के कारण संबंधित अपराध की जांच समाप्त कर दी गई।

(३) ग्राम रतना निवासी जतन चौहान से अपराध धारा ३२४ भा० द० वि० के संबंध में अभियुक्तों के चालान करने के लिये २०० रुपया मांगा जा रहा है।

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४५ पर)

तालिका

तिथि	बैठक का समय	संचालक सदस्यों के भत्ते के रूप में
१	२	३
	वर्ष १९६०–६१	
१३–८–६०	९ बजे दिन*	२४–००
२६–८–६०	८ बजे दिन	२४–००
२९–८–६०	४ बजे शाम	३०–००
२२–१०–६०	१० बजे दिन *	३३–००
२९–१०–६०	८ बजे सुबह	१८–००
२०–११–६०	१० बजे दिन	२७–००
१८–१२–६०	१० बजे दिन	२७–००
३०–१–६१	१२ बजे दिन *	२४–००
११–४–६१	८ बजे सुबह	२७–००
२४–५–६१	८ बजे दिन	२७–००
२४–६–६१	१० बजे दिन	२७–००
	वर्ष १९६१–६२	
१९–७–६१	८ बजे दिन	२१–००
३०–७–६१	८ बजे दिन	३०–००
१०–८–६१	११ बजे दिन	२१–००
२२–९–६१	१२ बजे दिन	३०–००
३०–९–६१	१० बजे दिन	२४–००
२७–१०–६१	१० बजे दिन	२७–००
२०–११–६१	१२ बजे दिन	३०–००
३१–१२–६१	१२ बजे दिन	३९–००
३–१–६२	८ बजे दिन *	३३–००
६–२–६२	८–३० बजे सुबह	३६–००
६–३–६२	८ बजे सुबह	२१–००
३–४–६२	८ बजे	२७–००
२०–४–६२	२ बजे दिन	३३–००
५–५–६२	२ बजे दिन	२७–००
२७–६–६२	८ बजे दिन	३३–००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

तिथि	बैठक का समय	संचालक सदस्यों के भत्ते के रूप में
१	२	३
वर्ष १९६२-६३		
५-७-६२ ..	९ बजे दिन ..	.. २१-००
२२-७-६२ ..	११ बजे दिन ..	.. ३३-००
२६-८-६२ ..	१२ बजे दिन ..	.. ३०-००
२४-९-६२ ..	१ बजे दिन ..	.. २४-००
३०-९-६२ ..	११ बजे दिन ..	.. २४-००
४-११-६२ ..	११ बजे दिन ..	.. ३०-००
१५-११-६२ ..	११ बजे दिन ..	.. २४-००
२५-११-६२ ..	११ बजे दिन ..	.. २४-००
२-१२-६२ ..	१ बजे दिन ..	.. १८-००
६-१२-६२ ..	१ बजे दिन * ..	.. ३०-००
२५-१२-६२ ..	११ बजे दिन * ..	.. ३०-००
२७-१२-६२ ..	१२ बजे दिन * ..	.. ३०-००
१-१-६३ ..	१२ बजे दिन * ..	.. २१-००
२४-१-६३ ..	१२ बजे दिन ..	.. २७-००
१३-२-६३ ..	१२ बजे दिन * ..	.. ३-०० (वास्तविक खर्च अब तक)

*जिन बैठकों के समय के सम्मुख * का चिन्ह बना है, उनका समय कार्यवाही पुस्तिका में नहीं लिखा है । अतः उनका समय बैठकों के लिये जारी किये गये सूचना-पत्रों में दिये हुये समय के अनुसार दिया गया है ।

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० ३४८ एल० ए०---१९६३--(प्रो०) ८५०